

336.54
e937
1939-80.

Sl. No. 118

राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय
NATIONAL ARCHIVES LIBRARY

भारत सरकार
Government of India
नई दिल्ली
New Delhi

आह्वानांक Call No.

336.54 e 739

अवाप्ति सं० Acc. No.

124195

MGIPF—412 NAL/79



भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

वर्ष 1979-80 के लिए

संघ सरकार (सिविल)

राजस्व प्राप्तियां

खण्ड II

अप्रत्यक्ष कर

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ सं०	पंक्ति सं०	अशुद्ध	शुद्ध
8	नीचे से 6	3100414	31,60,414
18	3	भ्याज	व्याज
19	12	74.30	78.30
27	2	—	वापसियां
28	14	साधारण निर्धारिती को	निर्धारिती को साधारण
35	17	नरी	नहीं
46	6 नीचे से	लगत	गलत
47	5 नीचे से	1250	1260
47	5 नीचे से	287.96	288.96
76	4	IV क	VI क
86	9 नीचे से	और	और
90	16	24.2.1972 और	24.2.1972, 24.2.72 और
91	1 नीचे से	(सितम्बर 1980)	(दिसम्बर 1980)
110	12 नीचे से	फर्म की	—
112	2 नीचे से	क	एक
117	15	का	कम
122	9	से	में
136	12	से	के
149	2	ति	निवल
151	2	वित्त अधिनियम	(1) वित्त अधिनियम
169	नीचे से 3	235 रु० (235 रु०)
171	अन्तिम	12.00	13.00
174	12	58,870 रु०	58,780 रु०
178	17	कारण	द्वारा
178	22	वाजित	स्वाजित
178	24	न वा	वा
182	4	1.5 प्रतिशत	1.50 प्रतिशत

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

वर्ष 1979-80 के लिए

संघ सरकार (शिवाल)

राजस्व प्राप्तियां

खण्ड II

प्रत्यक्ष कर


के एनए

पुस्तकालय-संख्या

386.54

C739

मार्च 08-05-01



विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ (vii)
प्रस्तावनात्मक टिप्पणी		
अध्याय-1 सामान्य		
विभिन्न प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत प्राप्तियां	1.01	1
बजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में भिन्नता	1.02	2
संग्रहण का विश्लेषण	1.03	5
व्याज	1.04	6
संग्रहण की लागत	1.05	7
निर्धारितियों की कुल संख्या	1.06	8
बकाया निर्धारण	1.07	10
कर मांगों की बकाया राशियां	1.08	16
अपीलें और पुनरीक्षण याचिकाएं	1.09	22
राहत और वापसियां	1.10	27
तलाशियां और जम्नियां	1.11	29
सेटलमेंट आयोग द्वारा निपटाए गए मामले	1.12	34
विभाग द्वारा बट्टे खाते डाली गई राजस्व मांगें	1.13	36
आय छिपाने के लिए शांति और अभियोजन	1.14	41
मूल्यांकन कक्षों के कार्यों के परिणाम	1.15	42
नमूना लेखा परीक्षा के सामान्य परिणाम	1.16	45
अध्याय-2 निगम कर		
कर की संगणना में परिहार्य भूलें	2.05	49
वित्त अधिनियमों के उपबन्धों का अनुपालन न किया जाना	2.06	55
निर्धारणों में गलत हैसियत का अपनाया जाना	2.07	57
कारबार आय की गलत संगणना	2.08	58
मुख्य कार्यालय के व्यय की कटौती में अनियमितताएं	2.09	67
मूल्य-ह्रास	2.10	69

	पैराग्राफ	पृष्ठ
विकास रिबेट	2.11	72
सकल कुल आय से अधिक कटौती का गलत अनुज्ञात किया जाना	2.12	74
नवस्थापित उपक्रमों के संबंध में गलत राहत अनुज्ञात किया जाना	2.13	74
अनियमित छूट का दिया जाना	2.14	76
पूँजी अभिलाभ की अनियमित संगणना	2.15	77
निर्धारण से छूट गई आय	2.16	78
हानियों का अनियमित मुजरा किया जाना	2.17	82
अपीलीय आदेशों को लागू करते समय निर्धारण में गलती	2.18	85
अधिक या अनियमित प्रतिदाय	2.19	87
व्याज/शास्ति का न लगाया जाना	2.20	88
अन्य ध्यान देने योग्य बातें		
पुनः खोले गए या रद्द किए गए निर्धारणों को पूरा न किया जाना	2.21	90
घुड़-बीड़ हानियों का मुजरा किया जाना	2.22	91
जांच के लिए राजस्व लेखापरीक्षा को अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना	2.23	91
अतिकर	2.24	93
प्रभार्य लाभ की गलत संगणना	2.25	94
पूँजी की गलत संगणना	2.26	95
अनन्तम अतिकर निर्धारण करने में चूक	2.27	97
अतिकर निर्धारणों को संशोधित करने में चूक/देरी	2.28	98
गलत दरें लगाए जाने के कारण अतिकर का कम लगाया जाना	2.29	102

	पैराग्राफ	पृष्ठ
अध्याय-3 आयकर		
कर की संगणना में परिहार्य गलतियाँ	3.03	104
पूर्त न्यासों के निर्धारण में गलतियाँ	3.04	105
निर्धारणों में अपनाई गई गलत हैसियत	3.05	107
वेतन आय की गलत संगणना	3.06	108
कारबार आय की गलत संगणना	3.07	109
मूल्य-हानि अनुमत करने में अनियमितताएँ	3.08	112
अनियमित छूटें	3.09	113
पूँजी अभिलाभ की अनियमित संगणना	3.10	114
फर्मों और भागीदारों के निर्धारण में भूलें	3.11	116
पति/पत्नी/अवयस्क संतान की आय को शामिल करने में चूक	3.12	119
अन्य प्रत्यक्ष करों के अभिलेखों के साथ सह-संबंध स्थापित न करने के कारण निर्धारण से छूटी आय	3.13	120
ब्याज का न लगाया जाना/गलत लगाया जाना	3.14	123
सरकार द्वारा ब्याज की परिहार्य या गलत अदायगी	3.15	125
अर्थ-दण्ड का न लगाया जाना	3.16	127
ध्यान देने योग्य अन्य बातें		
एक निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई विवरणी के गुम हो जाने के कारण राजस्व की हानि	3.17	129
रद्द किये गए/फिर से किये गए निर्धारणों को पूरा करने में असाधारण विलम्ब	3.18	130
विदेशी मुद्रा के रूपान्तरण के लिये गलत दरों का अपनाया जाना	3.19	130
अग्रिम कर नोटिस के जारी न किये जाने के कारण राजस्व के संग्रहण में विलम्ब	3.20	131

अध्याय-4 अन्य प्रत्यक्ष कर

क—धन-कर

ऐसी गलतियां जिनके कारण कम निर्धारण किया गया	4.04	134
अन्य प्रत्यक्ष करों के अभिलेखों के साथ मिलान न करने के कारण निर्धारण से छूट गया धन	4.05	135
गृह संपत्तियों का गलत मूल्यांकन	4.06	137
मूल्यांकन अधिकारी की मूल्यांकन रिपोर्ट पर सम्पत्तियों के मूल्यांकन को आधार न बनाया जाना	4.07	141
गलत मूल्यांकन के अन्य मामले	4.08	144
आभूषण का गलत मूल्यांकन	4.09	146
निवल धन की संगणना में गलतियां	4.10	146
छूट का गलत दिया जाना	4.11	148
गलत दरों का लागू किया जाना	4.12	151
अतिरिक्त धन-कर का न लगाया जाना/कम लगाया जाना	4.13	152
भागीदारी फर्मों और विशिष्ट प्रकार की कंपनियों के स्वामित्व वाली शहरी परिसम्पत्तियों के संबंध में अतिरिक्त धनकर का न लगाया जाना	4.14	155
शास्ति का न लगाया जाना	4.15	157
व्याज का न लगाया जाना	4.16	159
कार्यवाही करने में अनुचित विलम्ब के कारण राजस्व की हानि	4.17	159

ख—दान-कर

पैराग्राफ

पृष्ठ

ऐसी गलतियां जिनके कारण कम निर्धारण किया गया

निर्धारण से छूटा दान

4.21

162

“समझे गए” दान-कर का न लगाया जाना

4.22

163

अनुद्धृत इक्विटी शेयरों का गलत मूल्यांकन

4.23

164

अन्य परिसम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन

4.24

168

ग—सम्पदा शुल्क

4.25

170

ऐसी गलतियां जिनके कारण कम निर्धारण किया गया

सह-संबंध के अभाव के कारण सम्पदाओं का छूट जाना

4.28

172

परिसम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन

4.29

172

कंपनियों में शेयरों का गलत मूल्यांकन

4.30

174

सम्पदाओं के मूल मूल्य की गलत संगणना

4.31

176

व्याज का न लगाया जाना

4.32

178

अपीलीय आदेशों को लागू करने में गलतियां

4.33

180

घ—व्याज-कर

4.34

182

कर का अवनिर्धारण

4.35

183

प्रस्तावनात्मक टिप्पणी

जैसा कि संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के खण्ड I की प्रस्तावनात्मक टिप्पणी में उल्लिखित है, प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम एक पृथक खण्ड में प्रस्तुत किए जाते हैं। इस खण्ड में निगम कर, आयकर, धनकर, दानकर, सम्पदा-शुल्क और व्याज कर की लेखापरीक्षा से उद्भूत बातों को शामिल किया गया है। प्रतिवेदन को निम्नलिखित रूप से क्रम-बद्ध किया गया है:—

- (i) अध्याय 1 में प्रत्यक्ष करों से संबंधित आंकड़ों और अन्य सूचना का उल्लेख है।
- (ii) अध्याय 2 में निगम कर की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख है।
- (iii) इसी प्रकार अध्याय 3 में आयकर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा से उद्भूत बातें शामिल हैं।
- (iv) अध्याय 4 धन-कर, दान-कर, सम्पदा शुल्क और व्याज कर से संबंधित है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित बातें वे हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आई हैं। उनका अभिप्राय संबंधित विभाग के कार्यवाहन पर किसी-प्रकार का सामान्य आक्षेप व्यक्त करना नहीं है और न ही उनका यह अर्थ समझा जाए।

अध्याय 1

सामान्य

1.01 विभिन्न प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत प्राप्तियां

वर्ष 1979-80 के दौरान प्रत्यक्ष करों से 2817.57* करोड़ रु० की कुल आय हुई जिसमें से 875.82 करोड़ रु० की राशि राज्यों के समनुदेशित की गई थी। तीन वर्षों अर्थात् 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(करोड़ रुपयों में)

	1977-78	1978-79	1979-80
020. निगम कर	1220.77	1251.47	1391.90
021. आय पर निगम कर से भिन्न कर	1002.02	1117.39	1340.31
028. आय और व्यय पर अन्य कर	115.84	24.53	0.01
031. सम्पदा-शुल्क	12.30	13.08	14.05
032. धन-कर	48.46	55.41	64.47
033. दान-कर	5.55	5.85	6.83
कुल जोड़	2404.94	2527.73	2817.57

घटाएँ : राज्यों को समनुदेशित निवल प्राप्तियों का अंश

आय-कर	675.44	706.62	864.88
सम्पदा शुल्क	9.38	10.71	10.94
जोड़	684.82	717.33	875.82
निवल प्राप्तियां	1720.12	1810.40	1941.75

*महालेखा-नियंत्रक द्वारा दिये गये आंकड़े अनन्तिम हैं।

1977-78 की प्राप्तियों की तुलना में 1978-79 में 122.79 करोड़ रु० की वृद्धि के मुकाबले 1978-79 के दौरान प्राप्तियों की तुलना में 1979-80 के दौरान प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत निवल प्राप्तियां 289.84 करोड़ रु० अधिक थी। निगम कर के अन्तर्गत प्राप्तियां 140.43 करोड़ रु० अधिक थी और निगम कर को छोड़कर आय पर कर की राशि 162.92 करोड़ रु० अधिक थी।

1.02 वजट अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों में भिन्नता

(i) वर्ष 1979-80 के लिए मुख्य शीर्ष "021—आय आदि पर कर", "031—सम्पदा शुल्क", "032—धन-कर" और "033—दान कर" के अन्तर्गत वास्तविक आंकड़े वजट अनुमानों से अधिक थे।

विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वर्ष 1975-76 से 1979-80 तक के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	वजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	विभिन्नता	विभिन्नता की प्रतिशतता
				(करोड़ रुपयों में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
020—निगम कर				
1975-76	780.50	861.70	81.20	10.40
1976-77	1025.00	984.23	(—) 40.77	(—) 3.98
1977-78	1298.20	1220.77	(—) 77.43	(—) 5.96
1978-79	1441.90	1251.47	(—) 190.43	(—) 13.20
1979-80	1529.50	1391.90	(—) 137.60	(—) 8.99

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
021--घाय आदि पर कर*				
1975-76	791.00	1214.36	423.36	53.52
1976-77	957.00	1194.40	237.40	24.81
1977-78	1038.20	1002.02	(—) 36.18	(—) 3.48
1978-79	1134.80	1177.39	42.59	3.75
1979-80	1247.10	1340.31	93.21	7.47
031--गम्पदा शुल्क*				
1975-76	9.25	11.65	2.40	25.95
1976-77	8.75	11.73	2.98	34.06
1977-78	10.75	12.30	1.55	14.42
1978-79	11.00	13.08	2.08	18.91
1979-80	12.00	14.05	2.05	17.08
032--धन कर				
1975-76	43.00	53.73	10.73	24.95
1976-77	52.00	60.44	8.44	16.23
1977-78	54.90	48.46	(—) 6.44	(—) 11.73
1978-79	55.00	55.41	0.41	0.75
1979-80	60.00	64.47	4.47	7.45
033--दान-कर				
1975-76	4.50	5.11	0.61	13.55
1976-77	4.75	5.67	0.92	19.37
1977-78	5.50	5.55	0.05	0.91
1978-79	5.75	5.85	0.10	0.18
1979-80	5.75	6.83	1.08	18.78

*सकल आंकड़े लिये गए हैं।

(ii) वर्ष 1979-80 के मुख्य शीर्ष 020 और 021 के अर्धीन शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्नताओं के व्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

	वजट	वास्तविक आंकड़े	वृद्धि (+) कमी (—)	विभिन्नता की प्रतिशतता (करोड़ रुपयों में)
020—निगम कर				
(i) कंपनियों पर आयकर	1463.01	1300.04	(—) 162.97	(—) 11.13
(ii) अतिकर	59.22	32.26	(—) 26.96	(—) 45.52
(iii) अधिभार	..	56.16	56.16	..
(iv) प्राप्तियां जिनको अन्य लघु शीर्षों को अन्तरित किया जाना है	..	.01	.01	..
(v) अन्य प्राप्तियां	7.27	3.43	(—) 3.84	(—) 52.82
	<u>1529.50</u>	<u>1391.90</u>	<u>(—) 137.60</u>	<u>(—) 8.99</u>

021—आय पर निगम कर से भिन्न कर

(i) आय कर	1040.53	1130.57	90.04	8.65
(ii) अधिभार	189.57	183.60	(—) 5.97	(—) 3.14
(iii) प्राप्तियां जिनको अन्य लघु शीर्षों को अन्तरित किया जाना है	..	14.61	14.61	..
(iv) अन्य प्राप्तियां	17.00	11.53	(—) 5.47	(—) 32.17
घटाएं: राज्यों को समनुदेशित प्राप्तियों का अंश	812.58	864.88	(—) 52.30	(—) 6.43
	<u>434.52</u>	<u>475.43</u>	<u>40.91</u>	<u>9.41</u>

*टिप्पणी:—1.03, 1.04 और 1.06 से 1.15 तक में दिए गए आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा दिये गए हैं।

1.03 संग्रहण का विश्लेषण

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी निर्धारण वर्ष के लिए आयकर वार्षिक वित्त अधिनियम में निर्धारित कर (दरों) पर पूर्व वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रभाय हैं। तथापि, अधिनियम में स्रोत से कर की कटौती, अग्रिम कर और स्व-निर्धारण पर कर की अदायगी के रूप में निर्धारण से पूर्व संग्रहण की व्यवस्था है। पञ्च निर्धारण संग्रहण इस प्रकार अदा न किए गए करों तक सीमित है।

(i) 1979-80 के दौरान निगम कर और आय पर निगम कर से भिन्न कर के कुल संग्रहण का विवरण, जैसा कि वित्त मंत्रालय द्वारा दिया गया, इस प्रकार है :—

1979-80 के दौरान निर्धारण से पूर्व तथा निर्धारण के पश्चात् कर का संग्रहण :—

	(करोड़ रुपयों में)
(i) स्रोत पर कटौती	643.06*
(ii) अग्रिम कर (निबल)	1,778.51
(iii) स्व-निर्धारण	227.79
(iv) नियमित निर्धारण	288.38

इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने 020—निगम कर, अन्य प्राप्तियां और प्राप्तियां जिनको अन्य लघु शीर्षों को अन्तर्गत किया जाता है पर अतिकर, अधिभार ने 117.44 करोड़ रु० के कर का संग्रहण और 323.09 करोड़ रु० का प्रतिदाय सूचित किया है।

(ii) मुख्य श्रेणियों के अंतर्गत स्रोत पर कटौती के व्योरे इस प्रकार हैं :—

	(करोड़ रुपयों में)
(i) कंपनियों द्वारा वितरित लाभांश	74.66
(ii) वेतन	233.25
(iii) ठेकेदारों को भुगतान	77.94
(iv) लाटरियों और बर्ग पट्टियों की जीत का रुपया	5.36

*021—आय पर निगम कर से भिन्न कर के संबंध में अधिभार (संघ) शामिल है।

(iii) अग्रिम कर—मांग और संग्रहण

1979-80 के दौरान अग्रिम कर के रूप में जितनी मांग की गई (अर्थात् नोटिस जारी किए गए) और जितनी राशि संगृहीत की गई:—

	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
(i) जितनी मांग की गई	सूचित नहीं की गई	1891.67
(ii) (i) में से संगृहीत की गई मांग	—वही—	1798.46
(iii) 31 मार्च, 1980 को अग्रिम कर के अन्तर्गत बकाया राशि	—वही—	93.21

1.04 व्याज

अधिनियम में निर्धारितियों द्वारा कुछ चूकों जैसे -विवरणी देर से प्रस्तुत करना, करों के भुगतान में देरी आदि के लिए व्याज अदा करने का प्रावधान है। कुछ मामलों में जैसे जहां अग्रिम कर अधिक दिया गया हो, या जहां निर्धारितियों को देय राशि की वापसी में देरी हो गई हो, सरकार को भी व्याज देना पड़ता है।

अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत लगाए गए व्याज और सरकार द्वारा अदा किए गए व्याज के विवरण नीचे दिये गये हैं।

	(करोड़ रुपये में)
(क) वर्ष 1979-80 के दौरान आयकर अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत लगाए गए व्याज की कुल राशि	154.36
* (ख) लगाए गए व्याज की राशि में से	
(1) विभाग द्वारा पूर्णतया माफ की गई राशि	5.38
(2) विभाग द्वारा कम की गई राशि	12.05
(ग) प्रदत्त व्याज की कुल राशि	
(1) निर्धारण पूरा करने में देरी के लिए	7.74
(2) वापसी में देरी के लिए	1.03

*तीन आयुवर्तों के प्रभारों के आंकड़ों को निकाल कर।

1.05 संग्रहण की लागत

वर्ष 1979-80 के दौरान निगम कर और आय पर निगम कर से भिन्न कर को संगृहीत करने के लिए किया गया व्यय, पिछले तीन वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों सहित नीचे दिया गया है :—

(करोड़ रुपयों में)

सकल संग्रहण संग्रहण पर व्यय

020—निगम कर

1976-77	984.23	4.91
1977-78	1220.77	5.18
1978-79	1251.47	5.68
1979-80*	1391.90	5.93

021—आय आदि पर कर

1976-77	1194.40	34.38
1977-78	1002.02	36.28
1978-79	1177.39	**47.59
1979-80*	1340.31	41.48

*महालेखा-नियंत्रक द्वारा दिये गये आंकड़े अनन्तिम हैं।

**महालेखा-नियंत्रक द्वारा अक्टूबर 1980 में दिये गये अन्तिम आंकड़े 39.76 करोड़ रु० थे।

1.06 निर्धारितियों की कुल संख्या

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय पर कर प्रभाय है। इस शब्द (व्यक्ति) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय, स्थानीय प्राधिकरण और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति और ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा कर अदा किया जाना है, एक निर्धारित कहा जाता है। निर्धारण वर्ष 1979-80 के लिए कंपनियों, सहकारी समितियों और स्थानीय प्राधिकरणों को छोड़कर 10,000 रु० तक की कुल आय पर कोई आयकर देय नहीं था।

(i) 31 मार्च 1980 को विभाग के खातों में निर्धारितियों की कुल संख्या 41,75,615 थी। 31 मार्च 1979 को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष की तुलना में निर्धारितियों की संख्या में 2,05,650 की वृद्धि हुई थी। 31 मार्च 1979 और 31 मार्च 1980 को हैसियतवार निर्धारितियों की संख्या निम्नलिखित थी :—

	31 मार्च, 1979 को	31 मार्च 1980 को
व्यष्टि	30,52,482	31,60,414
हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	2,11,036	2,35,935
फर्म	6,11,088	6,72,817
कम्पनियां	41,532	42,581
अन्य	53,827	63,868
जोड़	39,69,965	41,75,615

(ii) निर्धारितियों की कुल संख्या के श्रेणीवार व्यौरे के संबंध में वित्त मंत्रालय ने बताया है कि आय के विभिन्न खण्डों के अनुसार श्रेणीकरण जो गत वर्ष तक किया गया था, वर्ष 1979-80 के दौरान समाप्त कर दिया गया था "क्योंकि ऐसे श्रेणीकरण से कोई लाभप्रद प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ था।" उन्होंने संवीक्षा निर्धारण मामलों और संक्षिप्त निर्धारण मामलों के रूप में व्यौरे निम्नानुसार दिये गए हैं :—

(क) संवीक्षा निर्धारण मामले	10,56,634
(ख) संक्षिप्त निर्धारण मामले	31,18,981
जोड़	41,75,615

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 143(1) के अन्तर्गत संक्षिप्त निर्धारण किया जाता है और उसमें निर्धारिती की उपस्थिति अथवा उसके द्वारा दाखिल की गई विवरणी के समर्थन में किसी साक्ष्य के प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती। वित्तीय वर्ष 1979-80 के दौरान सभी गैर-कम्पनियों के मामलों में निर्धारणों को जहां निर्धारण वर्ष में सूचित की गई आय और पिछले दो वर्षों में किसी वर्ष में रजिस्ट्रीकृत फर्म के मामले में 75,000 रु० से कम या अन्य किसी मामले में 50,000 रु० से कम थी, संक्षिप्त निर्धारण मामलों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कुछ विनिर्दिष्ट वर्गों के अन्तर्गत माने जाने वाले अलग अलग मामलों को, जैसे कि नए मामले, तलाशी और जन्ती, जांच या अभियोजन के मामले आदि संवीक्षा मामले माना गया था भले ही उनकी मौद्रिक सीमा कुछ भी थी।

(iii) 31 मार्च, 1979 और 31 मार्च, 1980 को विभाग के खातों में धनकर निर्धारितियों की कुल संख्या निम्नलिखित थी:—

	31 मार्च, 1979 को	31 मार्च, 1980 को
व्यक्ति	2,73,482	2,98,375
हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	41,706	44,278
अन्य	3,262	3,638
जोड़	3,18,450	3,46,291

(iv) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिए दान-कर निर्धारण के मामलों की कुल संख्या निम्नलिखित थी:—

1978-79	60,546
1979-80	54,601

(v) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के लिये सम्पदा शुल्क निर्धारण के मामलों की कुल संख्या निम्नलिखित थी:—

1978-79	36,756
1979-80	39,630

1.07 बकाया निर्धारण

आय-कर के मामले में निर्धारण पूरा करने की समय सीमा 2 वर्ष, धन-कर और दान-कर के मामले में 4 वर्ष और सम्पदा-शुल्क के मामले में 5 वर्ष है।

(i) निगम कर सहित आय-कर

(क) पिछले वर्ष के अंत की तुलना में 31 मार्च, 1980 को पूरे किए जाने वाले निर्धारण के मामलों की संख्या बढ़ गई है। 31 मार्च, 1979 को निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या 19.26 लाख और 31 मार्च, 1978 को 15.38 लाख थी, इसके मुकाबले 31 मार्च, 1980 को बकाया मामलों की संख्या 22.99 लाख थी। 22.99 लाख बकाया मामलों में से 12.72 लाख मामले सक्षिप्त निर्धारणों से संबंधित थे।

(ख) पिछले पाच वर्षों के दौरान निर्धारण के बकाया मामलों में से और चालू मामलों में से पूरे किये गए मामलों की संख्या नीचे दर्शाई गई है:—

पूरे किए गए निर्धारणों की संख्या

वित्तीय वर्ष	निपट्टाए जाने वाले मामलों की संख्या	चालू मामलों में से	बकाया मामलों में से	कुल	प्रतिशतता	वर्ष के अंत में लम्बित निर्धारणों की संख्या
1975-76	57,34,327	25,08,108	14,99,536	40,07,644	69.9	17,26,683
1976-77	56,90,717	24,88,743	14,60,136	39,48,879	69.4	17,41,838
1977-78	55,81,355	25,72,678	14,71,135	40,43,813	72.5	15,37,542
1978-79	52,35,891	21,07,544	12,02,783	33,10,327	63.2	19,25,564
1979-80	57,89,055	18,97,276	15,92,514	34,89,790	60.0	22,99,265

(ग) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान पूरे किये गये कुल निर्धारणों के श्रेणीवार व्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

	31 मार्च, 1979 को	31 मार्च, 1980 को
संवीक्षा निर्धारण	8,98,162	9,17,776
संक्षिप्त निर्धारण	24,12,165	25,72,014
जोड़	33,10,327	34,89,790

(घ) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान पूरे किये गए आयकर निर्धारणों के त्रैसियतवार व्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

	1978-79	1979-80
(1) व्यष्टि	25,49,938	26,61,417
(2) हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	1,77,732	1,89,820
(3) फर्म	5,08,196	5,54,787
(4) कम्पनियां	35,982	38,033
(5) व्यक्तियों का संगम	38,479	45,733
जोड़	33,10,327	34,89,790

(ड) पिछले दो वर्षों के लिए बकाया आयकर निर्धारणों की स्थिति नीचे दी गई है:—

	31 मार्च, 1979 को	31 मार्च, 1980 को
1975-76 और पिछले वर्ष	44,061	30,021
1976-77	61,185	18,648
1977-78	5,17,533	72,323
1978-79	13,02,785	6,48,858
1979-80	..	15,29,415
जोड़	19,25,564	22,99,265

(च) 31 मार्च, 1979 और 31 मार्च, 1980 को बकाया आयकर निर्धारणों के श्रेणीवार व्यौरे नीचे दिये गये हैं:—

	31 मार्च, 1979 को	31 मार्च, 1980 को
संबोधा निर्धारण	9,09,533	10,27,300
सक्षिप्त निर्धारण	10,16,031	12,71,965
जोड़	19,25,564	22,99,265

(ख) 31 मार्च, 1980 को बकाया आयकर निर्धारणों के हैसियत-वार और वर्षवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

हैसियत	1975-76 और पिछले वर्ष	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	जोड़
व्यष्टि	20,255	12,657	51,490	4,51,814	11,59,790	16,96,006
हिन्दू अविशक्त कुटुम्ब	1,727	1,310	4,777	40,623	79,056	1,27,493
कम्पनियां	2,503	930	2,454	14,495	23,504	43,886
फर्म	4,445	3,229	12,014	1,23,867	2,37,491	3,81,046
व्यक्तियों के संगम	1,091	522	1,588	18,059	29,574	50,834
जोड़	30,021	18,648	72,323	6,48,858	15,29,415	22,99,265

(ii) धन-कर, दान-कर और सम्पदा शुल्क

(क) 31 मार्च, 1980 को धन-कर, दान कर और सम्पदा शुल्क के वकाया निर्धारणों के वर्षवार व्यौरे नीचे दिये गये हैं। उनमें अन्तर्गत कर/शुल्क की अनुमानित राशि वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं भेजी गई है।

	वकाया निर्धारणों की संख्या		सम्पदा शुल्क
	धनकर	दानकर	
1975-76 और पिछले वर्ष	11,111	1,838	4,934
1976-77	51,213	3,102	3,443
1977-78	65,193	3,490	5,323
1978-79	1,01,878	7,228	7,366
1979-80	2,03,593	11,745	13,825
जोड़	4,32,988	27,403	34,891

(ख) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान पूरे किये गए धन कर निर्धारणों की कुल संख्या निम्नलिखित थी :—

	1978-79	1979-80
व्यष्टि	4,11,742	2,80,765
हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	60,545	41,456
अन्य	2,734	3,497
जोड़	4,75,021	3,25,718

(ग) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान पूरे किये गए (दानकर निर्धारणों की कुल संख्या निम्नलिखित थी :—

	1978-79	1979-80
व्यष्टि	79,151	61,540
हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब	2,167	1,358
अन्य	235	144
जोड़	81,553	63,042

(घ) वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान पूरे किए गए व्यष्टियों के सम्पदा शुल्क निर्धारणों की कुल संख्या निम्नलिखित थी :—

1978-79	37,038
1979-80	32,607

(ङ) 1979-80 के दौरान पूरे किये गए सम्पदा शुल्क निर्धारणों की संख्या निम्नलिखित थी :—

सम्पत्ति का मूल मूल्य	पूरे किये गए निर्धारणों की संख्या
(1) 20 लाख रु० से अधिक	6
(2) 10 लाख रु० और 20 लाख रु० के बीच	47
(3) 5 लाख रु० और 10 लाख रु० के बीच	360
(4) 1 लाख रु० और 5 लाख रु० के बीच	6,013
(5) 50,000 रु० और 1 लाख रु० के बीच	5,583
जोड़	12,009

1.08. कर मांगों की बकाया राशियां

आयकर अधिनियम, 1961 में यह व्यवस्था है कि जब कोई कर, व्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई राशि अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये किसी आदेश के परिणामस्वरूप, देय हो, तो निर्धारिती को मांग नोटिस, भेजना होगा। मांग नोटिस के अनुसार विशिष्ट राशि का 35 दिन के अन्दर भुगतान करना होता है यदि निर्धारिती द्वारा दिये गए प्रार्थना-पत्र

पर आयकर अधिकारी द्वारा भुगतान की अवधि बढ़ा न दी गई हो। अधिनियम को 1-10-1975 से संशोधित करके यह व्यवस्था की गई है कि किसी निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई भी अपील तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि कर का स्वीकृत भाग अपील दायर करने से पहले अदा नहीं कर दिया जाता।

(i) निगम-कर और आय-कर

(क) 31 मार्च 1980 को लगाए गए परन्तु संगृहीत न किए गए कुल कर की राशि 840.38 करोड़ रुपये थी। इसमें 171.47 करोड़ रु० की वह मांग शामिल नहीं है जिसके संबंध में 35 दिन का अनुज्ञेय समय 31 मार्च को समाप्त नहीं हुआ था किन्तु इसमें 8.84 करोड़ रु० जिसे अदा कर दिये जाने का दावा किया गया है किन्तु जिनका सत्यापन/समायोजन किया जाना है, 223.28 करोड़ रु० जिनकी अदायगी रोक दी गई है/आस्थगित कर दी गई है और 18.62 करोड़ रु० जिसके लिए विभाग और न्यायालय द्वारा किस्तों में अदायगी की अनुमति दे दी गई है, शामिल है।

(ख) अपील और पुनरीक्षण याचिकाओं के कारण 31 मार्च 1980 को रोक दी गई आयकर (निगम कर सहित) की मांगें निम्नलिखित थीः—
(करोड़ रुपयों में)

(1) अदालतों द्वारा	65.57
(2) धारा 243 च(2) के अन्तर्गत (सेटलमेंट आयोग को दिए गए आवेदन पत्र)	11.43
(3) न्यायाधिकरण द्वारा	6.72
(4) निम्नलिखित कारणों से आयकर प्राधिकारियों द्वारा	
(i) अपील और पुनरीक्षण	103.25
(ii) दोहरे आयकर से संबंधित दावे	3.43
(iii) धारा 220(7) के अन्तर्गत प्रेषणों पर प्रतिबंध	1.67
(iv) अन्य कारणों से	31.21
जोड़	223.28

(ग) 1011.85 करोड़ रु० की सकल बकाया राशियों में सम्मिलित निगम कर, आयकर, ब्याज और शास्ति के आंकड़ों तथा उनसे संबंधित वर्षों को नीचे दर्शाया गया है:—

	निगम कर	आयकर	ब्याज	शास्ति	जोड़
	(करोड़ रुपयों में)				
1969-70 और उससे पूर्व के वर्षों की बकाया राशियां	14.80	46.67	10.05	9.76	81.28
1970-71 से 1976-77	24.91	128.10	52.58	39.11	244.70
1977-78	13.51	51.01	27.69	14.98	107.19
1978-79	33.04	87.62	47.83	21.51	190.00
1979-80	104.08	168.51	85.50	30.59	388.68
जोड़	190.34	481.91	223.65	115.95	1011.85

(घ) ऐसे निर्धारितियों की संख्या, जिन में 1011.85 करोड़ रु० की सकल बकाया राशि प्राप्य है, को निम्न सारणी में दर्शाया गया है:—

बकाया मांग	निर्धारितियों की संख्या	कर की कुल बकाया राशि (करोड़ रुपयों में)
प्रत्येक मामले में 1 लाख रु० तक	27,52,283	489.54
प्रत्येक मामले में 1 लाख रु० से अधिक और 5 लाख रु० तक	6,736	122.13
प्रत्येक मामले में 5 लाख रु० से अधिक और 10 लाख रु० तक	892	61.41
प्रत्येक मामले में 10 लाख रु० से अधिक और 25 लाख रु० तक	494	74.30
प्रत्येक मामले में 25 लाख रु० से अधिक	337	260.47
जोड़	27,60,742	1011.85

(ङ) जहां कोई निर्धारिती कर की अदायगी करने में चूक करता है, वहां आयकर अधिकारी कर वसूली अधिकारी को चूककर्ता की चल या अचल सम्पत्ति की कुर्की और बिक्री करके, चूककर्ता को गिरफ्तार करके एवं उसको कारागार में रख के, चूककर्ता की चल और अचल सम्पत्ति आदि के प्रबंध के लिए रिसीवर की नियुक्ति करके मांग की वसूली करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करे। 1979-80 के अन्त तक कर वसूली

अधिकारियों और राज्य सरकार के अधिकारियों को वसूली के लिए प्रमाणित कर की मांगें और इसके वर्षवार व्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

	प्रमाणित मांग				
	वर्ष के आरम्भ में	वर्ष के दौरान	जोड़	वसूल की गई गई मांग	शेष
	(करोड़ रुपये में)				
1969-70	359.52	183.55	543.07	116.45	426.62
1970-71	425.25	181.36	606.61	145.37	461.24
1971-72	483.53	208.79	692.32	167.52	524.80
1972-73	530.57	264.98	795.55	189.06	606.49
1973-74	598.15	192.62	790.77	161.93	628.84
1974-75	616.07	188.16	804.23	176.29	627.94
1975-76	616.35	333.92	950.27	290.56	659.71
1976-77	678.72	330.30	1009.02	370.67	638.35
1977-78	638.00	258.00	896.00	244.00	652.00
1978-79	655.00	309.00	964.00	267.00	697.00
1979-80	703.96	323.65	1027.61	287.61	740.00

टिप्पणी:— वर्ष 1979-80 के दौरान 5,57,764 मामलों में वसूली-प्रमाण पत्र जारी किए गए।

(ii) अन्य प्रत्यक्ष कर (अर्थात् धन-कर, दान कर, और सम्पदा शुल्क)

31 मार्च 1980 को तीन अन्य प्रत्यक्ष करों, अर्थात् धन कर दान, कर और सम्पदा शुल्क के अन्तर्गत मांग की वर्षवार बकाया राशियां तथा उनसे सम्बद्ध मामलों की संख्या को निम्न सारणी में दर्शाया गया है:—

	धनकर		दानकर		(करोड़ रुपये में) सम्पदा शुल्क	
	मामलों की संख्या	राशि रु०	मामलों की संख्या	राशि रु०	मामलों की संख्या	राशि रु०
1975-76 और इससे पहले के वर्ष	52,445	11.23	12,850	1.51	5,244	5.39
1976-77	22,009	4.60	5,157	0.56	1,932	1.61
1977-78	30,991	14.51	8,240	1.20	2,441	2.15
1978-79	78,944	87.77	15,768	8.16	3,357	3.39
1979-80	88,090	62.42	18,424	4.34	6,263	4.69
जोड़	2,72,479	180.53	60,439	15.77	19,237	17.23

1.09 अपीलें और पुनरीक्षण याचिकाएं

अधिनियमों में अपील एवं पुनरीक्षण संबंधी कार्यवाही करने की व्यवस्था है।

(i) 31 मार्च 1980 को अतिर्णीत आयकर की अपीलों से संबंधित व्योरे नीचे दिए गए हैं :—

	अपीलीय सहायक आयुक्तों/आयकर आयुक्तों (अपील) के पास आयकर अपीलें	आयकर आयुक्तों के पास आयकर पुनरीक्षण याचिकाएं
अपीलों/पुनरीक्षण याचिकाओं की संख्या	2,53,381	10,457
(क) 1979-80 के दौरान दायर की गई अपीलों/पुनरीक्षण याचिकाओं में से	1,42,178	5,732
(ख) पिछले वर्षों में दायर की गई अपीलों/पुनरीक्षण याचिकाओं में से	1,11,203	4,725

(ii) 31 मार्च 1980 को अनिर्णीत धनकर, दान कर और सम्पदा शुल्क की अपीलों और पुनरीक्षण याचिकाओं से संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:—

	अपीलीय सहायक आयुक्तों/ आयुक्त आयुक्तों (अपील) के पास अपीलें			आयुक्त आयुक्तों के पास पुनरीक्षण याचिकाएँ		
	धनकर	दान कर	सम्पदा शुल्क	धनकर	दान कर	सम्पदा शुल्क
(क) अनिर्णीत अपीलों/पुनरीक्षण याचिकाओं की संख्या	87,525	4,328	5,740	2,785	122	शून्य
(ख) 1979-80 के दौरान दायर की गई अपीलों/पुनरीक्षण याचिकाओं में से	59,695	2,560	1,962	1,733	74	शून्य
(ग) पिछले वर्षों में दायर की गई अपीलों/पुनरीक्षण याचिकाओं में से	27,830	1,768	3,778	1,052	48	शून्य

(iii) अपीलिय सहायक आयुक्तों और आय कर आयुक्तों (अपील) और आयकर आयुक्तों के पास क्रमशः 31 मार्च 1979 और 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाली अवधियों को अनिर्णीत पड़े आय कर के अपील के मामलों और पुनरीक्षण याचिकाओं के वर्षवार व्यौरे उस वर्ष के सन्दर्भ में जिसमें वे दायर की गई थीं, नीचे दिए गए हैं :—

जिस वर्ष में दायर की गई	अपीलीय सहायक आयुक्तों/आयकर आयुक्तों के पास		आयकर आयुक्तों के पास	
	अपीलें 31 मार्च 1979	अनिर्णीत 31 मार्च 1980	अनिर्णीत 31 मार्च 1979	पुनरीक्षण याचिकाएं 31 मार्च 1980
1970-71 और उससे पहले के वर्ष	155	119	89	83
1971-72	187	162	84	84
1972-73	563	452	89	75
1973-74	793	554	124	92
1974-75	1,846	1,306	177	116
1975-76	5,341	3,464	258	193
1976-77	19,521	10,284	689	432
1977-78	53,465	24,165	2,280	1,307
1978-79	1,41,141	70,697	5,672	2,343
1979-80	—	1,42,178	—	5,732
जोड़	2,23,012	2,53,381	9,462	10,457

(iv) अपीलिय सहायक आयुक्तों और आय कर आयुक्तों के पास 31 मार्च 1980 को समाप्त होने वाली अवधि के अनिर्णीत धन कर, दान कर और सम्पदा शुल्क अपील के मामलों और पुनरीक्षण याचिकाओं के वर्ष वार ब्यारे उस वर्ष के सन्दर्भ में जिसमें वे दायर की गई थीं, नीचे दिये गए हैं :—

जिस वर्ष में दायर की गई	अपीलीय सहायक आयुक्तों के प.स अनिर्णीत अपीलें			आयकर आयुक्तों के पास अनिर्णीत पुनरीक्षण याचिकायें		
	धन कर	दान कर	सम्पदा शुल्क	धन कर	दान कर	सम्पदा शुल्क
1971-72 और उससे पहले के वर्ष	55	..	21	57
1972-73	27	1	15	17
1973-74	56	5	11	48
1974-75	153	12	32	49
1975-76	713	27	187	66	3	..
1976-77	2,555	97	584	109	5	..
1977-78	6,121	408	1,198	267	15	..
1978-79	18,150	1,218	1,730	439	25	..
1979-80	5,9695	2,560	1,962	1,733	74	..
जोड़	87,525	4,328	5,740	2,785	122	शून्य

(V) वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान निपटाई गई अपीलों राय के लिए भेजे गए मामलों के व्यौरे नीचे सारणी में दिये गए हैं :—

	1977-78	1978-79	1979-80
(1) (क) अपीलीय सहायक आयुक्तों के पास दायर की गई अपीलों की संख्या	1,87,173	2,18,589	2,08,778
(ख) अपीलीय सहायक आयुक्तों द्वारा 1979-80 के दौरान निपटाई गई अपीलों की संख्या	64,289	1,63,510	1,15,319
(2) आयकर अपीलीय अधीकरण के पास 1979-80 के दौरान दायर की गई अपीलों की संख्या			
(क) निर्धारितियों द्वारा	30,429	25,080	24,478
(ख) विभाग द्वारा	16,981	17,089	18,354
(3) उपर्युक्त (2) (क) में से अधीकरण द्वारा निर्धारितियों के पक्ष में पूर्णतः निर्णीत निर्धारितियों की अपीलों की संख्या	11,560	12,996	11,321
(4) उपर्युक्त (2) (क) में से अधीकरण द्वारा विभाग के पक्ष में पूर्णतः निर्णीत विभागीय अपीलों की संख्या	3,396	3,389	3,245
(5) उच्च न्यायालयों में राय के लिए दाखिल किए गए मामलों की संख्या			
(क) निर्धारितियों द्वारा	1,569	1,645	1,634
(ख) विभाग द्वारा	3,925	4,517	4,262
(6) उच्च न्यायालयों में निम्नलिखित के पक्ष में निपटाए गए मामलों की संख्या			
(क) निर्धारितियों	99	260	228
(ख) विभाग	293	616	566
(7) उच्चतम न्यायालय में दायर की गई अपीलों की संख्या			
(क) निर्धारितियों द्वारा	26	36	46
(ख) विभाग द्वारा	146	65	60
(8) उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित के पक्ष में निर्णीत अपीलों की संख्या			
(क) निर्धारितियों		28	2
(ख) विभाग	2	8	1

1.10 राहत और वापसियां

(i) वापसियां जहां प्रदत्त कर की राशि देय कर की राशि से अधिक हो वहां निर्धारित अधिक अदा किये गये कर की वापसी का हकदार होगा। यदि विभाग द्वारा उस मास के अन्त से, जिसमें दावा किया गया हो, तीन मास के भीतर वापसी अनुदत्त नहीं कर दी जाती तो निर्धारित को ऐसी वापसी की राशि पर निर्धारित दर से साधारण व्याज देय होगा।

धारा 237 के अधीन वापसियां :

- | | |
|---|----------|
| 1. 1-4-1979 को अनिर्णीत आवेदनों की संख्या | 10,843 |
| 2. वर्ष 1979-80 के दौरान प्राप्त वापसी के आवेदनों की संख्या | 1,25,927 |
| 3. 1979-80 के दौरान की गई वापसियों की संख्या व राशि | |

(क) ऊपर (1) में से

- | | |
|----------------------------|--------|
| (1) संख्या | 10,838 |
| (2) राशि (हजार रुपयों में) | 37,99 |

(ख) ऊपर (2) में से

- | | |
|----------------------------|----------|
| (1) संख्या | 1,10,663 |
| (2) राशि (हजार रुपयों में) | 9,40,59 |

4. ऐसे वापसी के मामलों की संख्या जिनमें धारा 243 के अधीन व्याज दिया गया था, ऐसे व्याज की राशि और वापसी की राशि जिस पर ऐसा व्याज 1979-80 के दौरान दिया गया था :—

(क) ऊपर (1) में से

- | | |
|---|------|
| (1) संख्या | 446 |
| (2) वापसी की राशि (हजार रुपयों में) | 4,53 |
| (3) अदा किये गए व्याज की राशि (हजार रुपयों में) | 41 |

(ख) ऊपर (2) में से

- | | |
|---|-------|
| (1) संख्या | 2,442 |
| (2) वापसी की राशि (हजार रुपयों में) | 19,55 |
| (3) अदा किये गए व्याज की राशि (हजार रुपयों में) | 63 |

5. 1979-80 के दौरान की गई वापसियों की संख्या, और राशि जिन पर कोई व्याज अदा नहीं किया गया था :—

(क) संख्या	1,18,613
(ख) राशि (हजार रुपयों में)	9,54,50

6. 31-3-1980 को अनिर्णीत वापसी के आवेदनों की संख्या

15 269

7. ऊपर (6) में उल्लिखित आवेदनों के व्यौर

(क) 1 वर्ष से कम के वापसी के आवेदन	15,264
(ख) 1 वर्ष और 2 वर्ष के बीच	5
(ग) 2 वर्ष और उससे अधिक के	

(ii) अधिनियम में उस राशि की वापसी की भी व्यवस्था है जो कि निर्धारिती को अपील या अन्य कार्यवाही के संबंध में पारित किये गये आदेश के परिणामस्वरूप देय होती हो और इसके लिये उसे कोई दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे मामलों में भी निर्धारित दर से साधारण निर्धारिती को व्याज देय है।

वर्ष 1979-80 के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा धारा 240 के अधीन अपील/पुनरीक्षण आदि के प्रभाव और वापसियों और धारा 244 के अधीन व्याज की अदायगी के भेजे गए विवरण नीचे दिये गये हैं :—

1. अपील/पुनरीक्षण आदि के आदेशों के कारण पुनरीक्षण के लिये पड़े निर्धारणों की संख्या	*6,528
2. 1979-80 में इसी प्रकार के पुनरीक्षण के लिए उद्भूत हुए निर्धारणों की संख्या	1,13,926
3. 1979-80 के दौरान संशोधित किये गए निर्धारणों की संख्या	
(क) उनमें से जो 1-4-1979 को अनिर्णीत पड़े हुए थे	5,725
(ख) उनमें से जो 1-4-1979 से 31-3-1980 के दौरान उद्भूत हुए थे	1,05,407

*वित्त मंत्रालय ने वर्ष 1978-79 के लिए भेजे गए 6511 के अंतिम आंकड़े संशोधित कर दिए हैं।

4. ऐसे निर्धारणों की संख्या जिनमें पुनरीक्षण के फल-स्वरूप वापसियां की गईं और की गईं वापसियों की कुल राशि

संख्या वापसी की राशि
(हजार ₹ में)

(क) ऊपर मद 3(क) के अन्तर्गत 1,745 1,47,27

(ख) ऊपर मद 3(ख) के अन्तर्गत 49,146 38,57,21

5. ऐसे निर्धारणों की संख्या जिनमें धारा 244 के अधीन व्याज देय हुआ और व्याज की राशि

(क) ऊपर मद 4(क) के अन्तर्गत 260 6,23

(ख) ऊपर मद 4(ख) के अन्तर्गत 3,839 95,91

6. 1-4-1980 को पुनरीक्षण के लिए पड़े हुए निर्धारणों की संख्या

(क) ऊपर (1) में से 803

(ख) ऊपर (2) में से 8,519

7. ऊपर (6) में उल्लिखित निर्धारणों का ब्यौरा


(क) 1 वर्ष से कम समय से अनिर्णीत 8,519

(ख) 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष से कम समय से अनिर्णीत 802

(ग) 2 वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत 1

1.11 तलाशियां, जब्तियां और पुरस्कार

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 132, 132(क) और 132(ख) में तलाशी और जब्ती की प्रक्रियाओं की व्यवस्था है। कोई भी तलाशी निरीक्षण निदेशक, आय कर आयुक्त या विनिर्दिष्ट उप-निरीक्षण निदेशक या निरीक्षण सहायक आयुक्त द्वारा प्राधिकृत करनी होती है। जहां कोई धन, सोना-चांदी, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज जब्त की जाती है, वहां आय कर अधिकारी को, आवश्यक जांच के पश्चात्,



जव्ती से 90 दिन के अन्दर, निरीक्षण सहायक आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से एक आदेश करना होता है जिसमें वह उसके पास उपलब्ध सामग्री के आधार पर सर्वोत्तम विवेक वृद्धि से संक्षिप्त रूप में अप्रकटीकृत आय का अनुमान लगाए, उस अनुमानित आय पर कर की राशि का परिकलन करेगा, किसी विद्यमान दायित्व की पूर्ति के लिये अपेक्षित रकम विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसी परिसम्पत्तियों को अपनी अभिरक्षा में प्रतिधारित करेगा जो उसकी राय में कर की कुल मांगों की पूर्ति के लिए पर्याप्त हों और परिसम्पत्तियों के अवशिष्ट भाग को, यदि कोई हो, तत्काल उस व्यक्ति के लिए नियुक्त कर देगा जिसकी अभिरक्षा से उनको जव्त किया गया था। लेखा पुस्तकें और अन्य दस्तावेज प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जव्ती की तारीख से 180 दिन की कालावधि से अधिक के लिए प्रतिधारित नहीं किए जा सकते जब तक कि उन्हें और अधिक अवधि तक प्रतिधारित करने के लिए आयुक्त का अनुमोदन न प्राप्त किया गया हो।

(i) तलाशियां और जव्तियां*

	1977-78	1978-79	1979-80
(1) की गई तलाशियों और जव्तियों संबंधी कार्यवाहियों की कुल संख्या	617	1345	2109
(2) (ख) जव्त किये गए धन, सोना-चांदी और आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं या चीजों में से प्रत्येक की कुल राशि			(लाख रुपयों में)
नकदी	101	220	244.22
आभूषण और सोना-चांदी	119	261	551.25
अन्य परिसम्पत्तियां	133	100	419.21
जोड़	353	581	1214.68

*वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े अंतिम हैं।

1977-78 1978-79 1979-80

(3) धारा 132(5) के अंतर्गत ऊपर(1) में से छिपाई गई आय की अनुमानित राशि

(क) ऊपर(1) में उल्लिखित मामलों ने से ऐसे मामलों की संख्या जिनमें धारा 132(5) के अधीन 31-3-1980 तक आदेश पारित किए गए थे।

359

(ख) ऊपर(क) के मामलों में छिपाई गई आय की अनुमानित राशि।

1,407

(ग) (ख) के बार में देय कर

1130

(घ) (ग) के प्रति प्रतिधारित परिसम्पत्तियों का धन मूल्य

587

(ङ) इन मामलों में निर्मुक्त की गई परिसम्पत्तियों का धन मूल्य

122

(4) (क) 31-3-78/31-3-79/31-3-80 तक निर्मुक्त किए गए धन, सोना-चांदी और आभूषणों या अन्य मूल्यवान वस्तुओं या चीजों में प्रत्येक की कुल राशि

नकदी

23

32

108

आभूषण और सोना-चांदी

31

45

156

अन्य परिसम्पत्तियां

11

9 71 + 272 डालर

जोड़

65

86 335 + 272 डालर

	1977-78	1978-79	1979-80
(ख) तलाशी के वर्ष के आधार के बिना 31-3-1978/31-3-1979/31-3-1980 को रोके हुए धन, सोना-चांदी और आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं या चीजों की कुल राशि			
नकदी	410	477	537
सोना-चांदी और आभूषण	1,004	983	1215+
			566.118
			कि० गा० चांदी
अन्य परिसम्पत्तियां	640	469	753
जोड़	2,054	1,929	2505+
			566.118
			कि० गा० चांदी

(ग) सबसे पुरानी तारीख जिससे इन परिसम्पत्तियों में किसी को भी अभी तक प्रतिधारित किया गया है

4-6-1965

(घ) अभी तक रोकी गई परिसम्पत्तियों की सुरक्षित अभिरक्षा और उनके प्रत्यक्ष सत्यापन के लिए किए गए प्रबंध

नकदी को भारतीय रिजर्व बैंक में आयकर आयुक्तों के व्यक्तिगत जमालेखा में जमा कर दिया जाता है। अन्य मूल्यवान वस्तुएं या तो कार्यालय भवन के भली प्रकार सुरक्षित तिजोरी कक्षों में या खजानों में या बैंक के तहखानों आदि में रखी जाती है।

(5) (क) तलाशियों और जर्नियों में अन्त-प्रस्त निर्धारणों की संख्या जो 1-4-1979 तक पूरे नहीं किए गए

4,842

(ख) 1979-80 के दौरान ऊपर (क) में से पूरे किये गए निर्धारणों की संख्या

23,07

	1977-78	1978-79	1979-80
(ग) कर और शास्तियां :			
(i) वसूल की गई			198
(ii) जो अभी वसूल की जानी है			995
(घ) 31-3-1980 को बकाया शेष			2,535
(6) (क) 1979-80 के दौरान आरंभ की गई निर्धारण कार्यवाहियों की संख्या			3,312
(ख) 1979-80 के दौरान ऊपर (क) में से पूरे किये गए निर्धारणों की संख्या			1143
(ग) कर और शास्तियां :			
(i) वसूल की गई			74
(ii) जो अभी वसूल की जानी है			65
(घ) 31-3-1980 को बकाया शेष			2,169
(7) (क) वर्ष 1979-80 के दौरान तलाशी और जव्ती के मामलों में आरंभ किए गए अभियोगों की संख्या			37
(ख) वर्ष के दौरान मामलों की संख्या जिनमें दोष सिद्ध हुए			5
(ii) मुखबिरों को पुरस्कार*			
	वर्ष	मामलों की संख्या	राशि
		(लाख रु० में)	
(1) 1977-78, 1978-79 और 1979-80 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष में मामलों की कुल संख्या और संस्वीकृत पुरस्कारों (अन्तरिम और अन्तिम) की राशि	1977-78	218	467
	1978-79	207	41
	1979-80	207	69

*वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े अनन्तिम हैं।

(2) ऊपर (1) में दिये गए मामलों में मुखविरों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर छिपाई गई या अप्रकटीकृत आय/बसूल किए गए कर की राशि

मुखविर की सूचना बसूल किया पर की गई कार्य- गया वाही के परिणाम- अतिरिक्त स्वरूप निर्धारित कर अतिरिक्त आय की राशि

	1977-78	305	144
	1978-79	366	106
	1979-80	376	87
(3) (क) ऐसे मामलों की संख्या जहां कर अपवंचन संबंधी सूचना गुप्तचर विंग को मिली थी	1977-78	1978-79	1979-80
	3,196	4,850	4,064
(ख) ऊपर (क) में से ऐसे मामलों की संख्या जहां धारा 132 के अधीन या अन्यथा कार्यवाही की गई थी	802	2,184	1,235
(ग) ऊपर (ख) में से ऐसे मामलों की संख्या जिनमें सूचना से आय में कोई वृद्धि नहीं हुई	169	288	370
(4) ऐसे मामले जहां पुरस्कार की राशि आहरित की गई पर एक वर्ष से अधिक समय के लिए अतिरिक्त रही	वर्ष	मामलों की संख्या	
	1977-78	1	
	1978-79	..	
	1979-80	..	

1.12. सेटलमेंट आयोग द्वारा निपटाए गए मामले

आयकर अधिनियम, 1961 और धन-कर अधिनियम, 1957 के उपबन्धों के अधीन कोई भी निर्धारित करने से संबंधित मामले के किसी चरण में भी सेटलमेंट आयोग को मामला निपटाने के लिए आवेदन-पत्र दे सकता है। सेटलमेंट आयोग की शक्तियां और क्रियाविधि अधिनियम में निर्दिष्ट है। सेटलमेंट आयोग द्वारा पारित प्रत्येक निपटान आदेश उसमें बताए गए मामलों के विषय में अन्तिम होता है।

1978-79 और 1979-80 के वर्षों के दौरान सेटलमेंट आयोग द्वारा निपटाये गए मामलों के ब्यौरे नीचे दिये गए हैं :—

	1978-79	1979-80		
1. आयोग द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या				
आय-कर/धन-कर	आय-कर 113 धन-कर 68	130 42		
2. अन्तर्ग्रस्त निर्धारण वर्षों की संख्या]]	आयकर 630 धनकर 480	486 178		
3. निपटान के लिए प्रस्तावित राशि (करोड़ रुपयों में)	आयकर 2.05 धन-कर 7.61	1.46 2.49		
4. आयोग द्वारा निर्धारित वास्तविक आय/धन (करोड़ रु० में)	आयकर 4.55 धनकर 26.61	रु० 2.38 रु० 6.29		
5. ऊपर (4) पर कर	उपलब्ध नहीं है	उपलब्ध नहीं है		
	1978-79	1979-80		
6. शास्ति और ब्याज	मामलों की संख्या	राशि रु०	मामलों की सं०	राशि रु०
(क) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (1)(ग) के अन्तर्गत शास्तियां	आयकर 1 धनकर 2	5,000 38,183	3 1	1,26,832 12,000
(ख) अन्य शास्तियां	आयकर 1 धनकर 3	27,753 37,812	19 2	1,68,839 8,168
(ग) लगाया गया ब्याज	आयकर 16 धनकर	13,25,534 —	48 —	5,81,223 —
7. कर, शास्ति और ब्याज की वसूली		उपलब्ध नहीं है		उपलब्ध नहीं है
8. बकाया कर		उपलब्ध नहीं है		उपलब्ध नहीं है

1.13. विभाग द्वारा बट्टे खाते डाली गई राजस्व मांगें

(i) वर्ष 1979-80 के दौरान विभाग द्वारा 1,81,413 मामलों में 1053.02 लाख रु० की मांगें बट्टे खाते डाली गईं। इसमें से 325.81 लाख रु० की राशि 149 कम्पनी निर्धारितियों और 727.21 लाख रु० की राशि 1,81,264 गैर-कम्पनी निर्धारितियों के संबंध में है।

		कंपनियां		गैर-कम्पनियां		जोड़	
1	2	संख्या	राशि रु०	संख्या	राशि रु०	संख्या	राशि रु०
I(क)	ऐसे निर्धारित जो मृत्यु उपरांत अपने पीछे कोई परिसम्पत्ति नहीं छोड़ गए या जिनका परिसमापन हो गया था या दिवालिया हो गए। .			834	1,34,73,214	834	1,34,73,214
(ख)	कम्पनियां जो निष्प्रभावी हो गईं किंतु जिनका परिसमापन नहीं हुआ है	100	2,33,91,948	100	2,33,91,948
	जोड़	100	2,33,91,948	834	1,34,73,214	934	368,65,162

II. ऐसे निर्धारित जिनका पता नहीं है	12	36,15,494	44,240	1,72,06,214	44,252	2,08,21,708
III. ऐसे निर्धारित जो भारत छोड़ गए हैं	10	48,21,339	1,061	75,07,000	1,071	1,23,28,339
IV. अन्य कारणों से:						
(क) ऐसे निर्धारित जो जीवित हैं किन्तु जिन की कुर्की योग्य कोई परिसंपत्ति नहीं है	9	3,68,280	3,810	1,57,87,648	3,819	1,61,55,928
(ख) जिनकी राशि नगण्य है, आदि	18	3,84,448	1,27,271	1,76,47,141	1,27,289	1,80,31,589
(ग) समझौतों के फल-स्वरूप बट्टे खाते डाली गई राशि (मांग कम करने वाले मामले)
जोड़	27	7,52,728	1,31,081	3,34,34,789	1,31,108	3,41,87,517

1	2	3	4	5	6	7	8
V. साम्या के आधार पर या अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के नाते या जहां वसूली के लिए कानूनी उपायों में अन्तर्ग्रस्त समय, श्रम और व्यय वसूली की राशि के बथानुपात नहीं समझे गये, बट्टे खाते डाली गई राशि							
			4,048	10,99,650	4,048	10,99,650	
कुल जोड़	149	3,25,81,509	1,81,264	7,27,20,867	1,81,413	10,53,02,376	

(ii) वर्ष 1979-80 के दौरान राजस्व विभाग द्वारा धन-कर, दान-कर और सम्पदा शुल्क की वृद्धि खाते डाली गई मांगों को विभिन्न श्रेणियों में नीचे दिखाया गया है :—

1	2	धन-कर		दान-कर		सम्पदा-शुल्क	
		सं०	राशि रु०	सं०	राशि रु०	सं०	राशि रु०
		3	4	5	6	7	8
I.	ऐसे निर्धारिती जो अपने पीछे कोई परिसम्पत्ति छोड़े बिना मर गए या जिसका परिसमापन हो गया या जो दिवालिया हो गए ।						
	(क) ऐसे निर्धारिती जो बिना परिसम्पत्ति छोड़े मर गए ।	2	246	1	250
	(ख) ऐसे निर्धारिती जिनका परिसमापन हो गया
	(ग) ऐसे निर्धारिती जो दिवालिया हो गए
	जोड़	2	246	1	250
II.	ऐसे निर्धारिती जिनका पता नहीं है ।	4	27	6	2
III.	ऐसे निर्धारिती जो भारत छोड़ गए हैं ।

1	2	3	4	5	6	7	8
IV. अन्य कारणों से :-							
(क) ऐसे निर्धारित जो जीवित हैं किन्तु जिनकी कुर्की योग्य परिसम्पत्ति नहीं है।	•	••	••	••	••	••	••
(ख) जिनकी राशि नगण्य है आदि	•	39	109	19	369	••	••
(ग) निर्धारितियों के साथ समझौतों के फलस्वरूप बट्टे खाते डाली गई राशि	•	••	••	••	••	••	••
जोड़	•	39	109	19	369	••	••

V. साम्या के आधार पर या अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार के नाते या जहां बसूली के लिए कानूनी उपायों में अन्तर्ग्रस्त समय, श्रम और व्यय बसूली की राशि के यथानुपात नहीं समझे गये, बट्टे खाते डाली गई राशि

कुल जोड़

45

382

26

621

••

••

1.14 आयर छिपाने के लिए शास्ति और अभियोजन

(i) आयकर

(क) 1979-80 के दौरान धारा 18(1)(ग)/271(1)(ग) के अन्तर्गत पास किए गए शास्ति आदेशों की संख्या	28,851	
(ख) ऊपर (क) में अन्तर्गत छिपाई गई आय	31.48 करोड़ रु०	
(ग) ऊपर (क) में लगाई गई शास्ति की कुल राशि	22.30 करोड़ रु०	
(घ) आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अभियोजन के मामलों की स्थिति		
(1) 1-4-79 को अदालतों में अनिर्णीत पड़े हुए अभियोजनों की संख्या	673	
(2) 1979-80 के दौरान धारा 276(ग) (1-10-75 से प्रतिस्थापित) 276ग, 276घ, 277 और 278 के अधीन दायर की गई अभियोजन शिकायतों की संख्या	122	
(3) 1979-80 के दौरान निर्णीत अभियोजनों की संख्या	50	
(4) ऊपर (3) में ऐसे मामलों की संख्या जिनमें दोष सिद्ध हुए	24	
(5) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अभियोग चलाए जाने से पहले प्रशमन हो गया	8	
(6) ऐसे मामलों में [ऊपर (5) में] लगाई गई प्रशमन राशि (राशि हजार रु० में)	75	

(ii) धन-कर और दान-कर

	*धनकर	*दान-कर (हजार रु० में)
(क) 1979-80 के दौरान धारा 18(1)(ग)/17(1)(ग) के अन्तर्गत पास किए गए शास्ति आदेशों की संख्या	35,52	1,70
(ख) ऊपर (क) में अन्तर्गत छिपाए गए निवल धन/दान के मूल्य की राशि	7,03,10	20.86
(ग) ऊपर(क) में लगाई गई शास्ति की कुल राशि	4,84,10	13.68

*इसमें एक आयुक्त के प्रभार के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

(घ) धन/दानकर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अभियोजन के मामलों की स्थिति:—

- | | | |
|---|-----|---|
| (1) 1-4-79 को अदालतों में अनिर्णीत पड़े हुए अभियोजनों की संख्या | 140 | — |
| (2) 1979-80 के दौरान धारा 35क, 35ख, 35ग, 35घ, और 35 च के अन्तर्गत दायर की गई अभियोजन शिकायतों की संख्या | 64 | — |
| (3) 1979-80 के दौरान निर्णीत अभियोजनों की संख्या | 1 | — |
| (4) ऊपर (3) में ऐसे मामले जिनमें दोष सिद्ध हुए | — | — |
| (5) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें मुकदमा चलाए बिना प्रशमन हो गया | — | — |
| (6) ऐसे मामलों में [ऊपर (5) में] लगाई गई प्रशमन राशि | — | — |

1.15 मूल्यांकन कक्षों के कार्यों के परिणाम

मूल्यांकन कक्षों के कार्य के परिणामों के व्यौरे नीचे दिये गये हैं:—

(i) मूल्यांकन यूनिटों/जिलों की संख्या:—

वर्ष	मूल्यांकन यूनिटों की संख्या	कार्यरत मूल्यांकन जिलों की संख्या
1977-78	80	10
1978-79	80	10
1979-80	80	10

(ii) गत वर्ष से अग्नेनीत मामलों को छोड़कर मूल्यांकन कक्षों को भेजे गए मामलों की संख्या:—

	आयकर	धनकर	दानकर	सम्पदा शुल्क
1977-78 और उससे पहले के वर्ष	1,571	16,755	137	585
1978-79	1,525	19,193	162	296
1979-80	1,180	11,853	117	214

(iii) मूल्यांकन कक्षों द्वारा निर्णीत मामलों की संख्या और इन निर्णीत मामलों में विवरणी में दिखाई गई राशि की तुलना में कक्षों द्वारा किये गये मूल्यांकन की कुल राशि

(लाख रुपयों में)

वर्ष	आयकर			घनकर			दान कर			सम्पदा शुल्क			मूल्य
	मामलों की संख्या	विवरणी में दिखाया गया मूल्य	निर्धारित मूल्य	मामलों की संख्या	विवरणी में दिखाया गया मूल्य	निर्धारित मूल्य	मामलों की संख्या	विवरणी में दिखाया गया मूल्य	निर्धारित मूल्य	मामलों की संख्या	विवरणी में दिखाया गया मूल्य	निर्धारित मूल्य	
1977-78	1,516	3,648.52	4,605.94	15,340	22,481.36	47,902.78	129	114.87	259.36	635	752.35	1,616.59	
1978-79	1,620	2,997.06	4,825.49	26,152	38,924.70	109,733.96	252	683.69	1,056.05	321	356.04	821.77	
1979-80	1,341	2,585.79	3,499.33	12,045	13,600.81	37,109.51	92	65.87	212.92	331	554.41	1,085.66	

1.16 नमूना लेखापरीक्षा के सामान्य परिणाम

(i) निगम कर और आयकर

1 अप्रैल, 1979 से 31 मार्च 1980 तक की अवधि के दौरान आयकर कार्यालयों के प्रलेखों की नमूना लेखापरीक्षा से 26,703 मामलों में कुल 2,342.54 लाख रुपयों के करों के अवनिर्धारण का पता चला। इसके अतिरिक्त निर्धारित क्रियाविधि के अनुसरण में विभिन्न त्रुटियां भी लेखा परीक्षा विभाग के ध्यान में आईं।

अव-निर्धारण के कुल 26,703 मामलों में से केवल 2707 मामलों में 1993.62 लाख रुपये का कर कम लगाया गया। शेष 2,3996 मामलों में 348.92 लाख रु० का अव-निर्धारण हुआ।

2,342.54 लाख रु० के करों का अव-निर्धारण निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत मोटे रूप से वर्गीकृत गलतियों के कारण हुआ :—

मदों की संख्या राशि
(लाख रु० में)

(1) (2) (3)

1. कर की संगणना में परिहार्य गलतियां	2,304	74.95
2. वित्त अधिनियमों के उपबन्धों का पालन न किया जाना	460	34.42
3. कर-निर्धारण में गलत हैसियत का अपनाया जाना	326	46.45
4. वेतन आय की गलत संगणना	738	22.86
5. गृह सम्पत्ति से हुई आय की गलत संगणना	1,241	37.86
6. कारबार आय की गलत संगणना	3,567	298.16
7. मूल्यह्रास और विकास रिबेट दिए जाने में अनियमितताएं	1,496	353.07

8. पूजा अभिलाषों की अनियमित संगणना	2,299	193.33
9. फर्मों और भागीदारों के निर्धारण में गलतियां	302	438.16
10. पति-पत्नी/अवयस्क बच्चे आदि की आय को शामिल करने में चूकें	709	53.99
11. निर्धारण से छूटी आय	212	25.12
12. हानियों का अनियमित मुजरा	2,230	153.39
13. अप्रीतीय आदेशों को लागू करते समय निर्धारणों में गलतियां	184	37.68
14. अनियमित छूटों और अधिक राहतों का दिया जाना	101	7.12
15. अधिक अथवा अनियमित वापसियां	874	38.32
16. विवरणियां प्रस्तुत करने में विलम्ब होने, कर आदि की अदायगी में विलम्ब होने के कारण ब्याज का न लगाया जाना/लगत लगाया जाना	2,578	78.80
17. सरकार द्वारा ब्याज की परिहार्य अथवा गलत अदायगी	525	25.20
18. शास्ति की चूक होना/गलत लगाया जाना	1,092	55.51
19. अन्य ध्यान देने योग्य बातें/विविध	5,333	321.43
20. अतिकर/अभिलाष कर का अवनिर्धारण	132	46.72
जोड़	26,703	2,342.54

(ii) धन-कर

धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन किये गये निर्धारणों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान 6,871 मामलों में 403.45 लाख रुपयों के कम कर लगाए जाने का पता चला।

403.45 लाख [रुपये के करों का अवनिर्धारण जिन गलतियों के कारण हुआ, उनका निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत मोटे रूप से वर्गीकरण किया गया:—

	मदों की संख्या	राशि (लाख रु० में)
1. निर्धारण से छूटा धन	942	69.08
2. परिसम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन	1,032	98.22
3. निवल धन की संगणना में गलतियाँ	646	21.60
4. निर्धारणों में गलत हैसियत का अपनाया जाना	99	4.44
5. अनियमित/अधिक मोकों और छूटों का दिया जाना	1,059	30.93
6. कर के परिकलन में गलतियाँ	1,189	34.80
7. अतिरिक्त धन कर का न लगाया जाना या गलत लगाया जाना	362	74.15
8. शास्ति का न लगाया जाना या गलत लगाया जाना और व्याज का न लगाया जाना	424	32.01
9. विविध	1,118	38.22
जोड़	6,871	403.45

(iii) दानकर

दान-कर निर्धारणों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया कि 1,250 मामलों में 287.96 लाख रु० का कर कम लगाया गया था।

(iv) संपदा शुल्क

संपदा शुल्क निर्धारणों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया कि 374 मामलों में 25.95 लाख रु० का संपदा शुल्क कम लगाया गया था।

अध्याय 2

निगम कर

2.01 प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत निगम कर आय का मुख्य स्रोत है। पिछले पांच वर्षों के दौरान निगम कर की वसूली की प्रवृत्ति निम्नलिखित थी :-

वर्ष	राशि (करोड़ रु० में)†
1975-76	861.70
1976-77	984.23
1977-78	1220.77
1978-79	1251.47
1979-80	1391.90

2.02 पिछले पांच वर्षों में विभाग के अभिलेखों के अनुसार कम्पनियों की संख्या निम्नलिखित थी:-

31 मार्च को	संख्या
1976	40,055
1977	40,237
1978	42,084
1979	41,532
1980	42,581*

31 मार्च, 1980 को 57,620 कम्पनियां थीं। इनमें 315 विदेशी कम्पनियां और 1447 संघ, जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं था और जिन्हें गारंटी द्वारा परिसीमित कम्पनियों के रूप में पंजीकृत किया गया था और असीमित देयताओं वाली 78 कम्पनियां शामिल थीं। शेष 55,780 कम्पनियों में 825 सरकारी कम्पनियां और 54,955 गैर सरकारी कम्पनियां थीं जिनकी प्रदत्त पूंजी क्रमशः 9,753 करोड़ रु० और 3,658 करोड़ रु० थी। गैर-सरकारी कम्पनियों में 85 प्रतिशत से अधिक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां थीं**।

*आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं।

**आंकड़े कम्पनी कार्य विभाग, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं।

2.03 पिछले पांच वर्षों में निगम कर के अन्तर्गत बकाया राशि, पूरे किए गए निर्धारणों की संख्या तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में अनिर्णीत निर्धारणों की संख्या इस प्रकार थी:—

वर्ष	निर्धारणों की संख्या		मांग की राशि	
	जो वर्ष के दौरान पूरे किए गए	जो वर्ष के अन्त में अनिर्णीत थे	वर्ष के दौरान संगृहीत	वर्ष के अन्त में बकाया
1975-76	40,327	31,613	861.70	192.11
1976-77	41,878	34,008	984.23	146.38
1977-78	41,533	34,864	1220.77	185.96
1978-79	35,982	40,563	1251.47	168.04
1979-80	38,033	43,886	1391.90	190.34

(करोड़ रु० में)

2.04 कम्पनी निर्धारणों में पाई गई गलतियों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

2.05 कर की संगणना में परिहार्य भूलें

लापरवाही या असावधानी के फलस्वरूप हुई परिहार्य भूलों के कारण वर्षानुवर्ष कर का भारी मात्रा में अवनिर्धारण देखने में आया है। 1963 से 1971-72 तक के वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा द्वारा सूचित किए गए ऐसे मामलों की स्थिति का लोक लेखा समिति द्वारा 1975 में पुनरीक्षण किया गया था और उनकी सिफारिशों उनकी 186 वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोकसभा) में दी गई हैं।

विभाग द्वारा उपचारी कार्यवाही किए जाने के बावजूद ऐसी भूलें अब भी हो रही हैं। जैसा कि अध्याय 1 के पैराग्राफ 1.16(i) में पहले ही बताया जा चुका है, निगम कर और आय कर के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा में परिहार्य भूलों के 2,304 मामले देखने में आए जिनमें

74.95 लाख रु० का कर कम लगाया गया था। निगम कर से संबन्धित कुछ महत्वपूर्ण भूलें नीचे दी गई हैं :—

- (i) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत जब अग्रिम में अदा किया गया और स्रोत पर काटा गया कर विवरणी में भरी गई आय के आधार पर देय कर से अधिक हो तो आयकर अधिकारी निर्धारिती को वापसी योग्य राशि का अनन्तिम निर्धारण करने के लिए प्राधिकृत है। नियमित निर्धारण किए जाने के बाद अनन्तिम निर्धारण पर वापस की गई राशि निर्धारिती द्वारा संदेय कर की राशि मानी जाएगी।

दो मामलों में निर्धारिती कम्पनियों ने निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए आय की अपनी विवरणियां सितम्बर 1976 में प्रस्तुत कीं जिनमें उन्होंने 21,10,390 रु० और 7,81,310 रु० की आय घोषित की और अग्रिम कर के रूप में क्रमशः 17,74,000 रु० और 16,55,000 रु० तथा स्रोत पर कर की कटौती के रूप में क्रमशः 14,889 रु० और 21,486 रु० के क्रेडिटों का दावा किया। चूंकि अदा किए गए अग्रिम कर और स्रोत पर कर की कटौती की राशि विवरणी की आय के आधार पर संदेय कर से अधिक थी अतः विभाग ने अप्रैल 1977 में अनन्तिम निर्धारण किया और मई 1977 में क्रमशः 5,70,140 रु० और 12,23,652 रु० की राशि वापस कर दी जो अधिक अदा किए गए कर की राशि थी। नियमित निर्धारण बाद में सितम्बर 1979 में पूरे किए गए थे, जिनमें कुल आय 38,60,970 रु० और 43,17,930 रु० ली गई थी और कुल अग्रिम कर के 34,29,000 रु० समायोजित करने के बाद निर्धारितीओं से कुल 12,66,955 रु० के कर की मांग की गई। यह तथ्य कि 17,93,792 रु० की राशि अप्रैल 1977 में पहले किए गए अनन्तिम निर्धारण के माध्यम से निर्धारितियों को पहले ही वापस कर दी गई थी, ध्यान में नहीं रखा गया। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए कुल 17,93,792 रु० का कर कम प्रभावित किया गया।

आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है कि उपरोक्त निर्धारण संशोधित कर दिए गए हैं और 17,93,792 रु० के कर की अतिरिक्त मांग कर दी गई है।

(ii) एक निर्धारित कम्पनी के लेखे में निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए 50,58,65,564 रु० की हानि दिखाई गई थी। अगस्त 1978 में निर्धारण पूरा करते समय कुल 11,06,93,976 रु० के कुछ खर्चों को अस्वीकार करने के बाद, जिसे जोड़ की भूल के कारण गलती से 10,76,94,078 रु० लिया गया था, विभाग ने हानि की राशि 39,81,71,486 रु० अवधारित की। इसके परिणामस्वरूप 29,99,898 रु० की हानि अधिक संगणित की गई और अग्रणीत की गई।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है। उपरोक्त निर्धारण के संशोधन के परिणामस्वरूप 29,99,898 रु० तक की हानि कम कर दी गई है।

(iii) आय की संगणना करते समय, निर्धारण अधिकारी लाभ और हानि लेखा के अनुसार निवल लाभ या हानि से आरम्भ करके आय की संगणना करता है और अननुज्ञेय व्ययों तथा लेखे में वास्तव में प्रभाषित मूल्यह्रास को जोड़ देता है। उसके बाद आय कर अधिनियम, 1961 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय मूल्यह्रास को कटौती के रूप में अनुमत कर दिया जाता है।

(क) सार्वजनिक क्षेत्र की एक कम्पनी के मामले में निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए लेखा में प्रभाषित किए गए 3,50,44,720 रु० के मूल्यह्रास को लेखे में दिखाई गई 5,45,18,123 रु० की हानि में जोड़ दिया गया किन्तु कुल हानि का जोड़ 1,94,73,403 रु० की बजाए गलती से 8,95,62,843 रु० निकाला गया। इसके परिणामस्वरूप हानि 7,00,89,440 रु० अधिक संगणित की गई।

चूंकि कोई प्रभाष्य लाभ नहीं हुआ था अतः 19,57,69,760 रु० के मूल्यह्रास की छूट और 10,76,62,512 रु० की कर अवकाश रियायत को अनवशोषित के रूप में अग्रणीत किया जाना चाहिए था। इसकी बजाए आय कर अधिकारी ने कारवार हानि को अनवशोषित मूल्यह्रास छूट और कर अवकाश रियायत के साथ सम्मिलित कर दिया और निर्धारण आदेश में कुल राशि को निवल हानि के रूप में दर्शाया। उसी तरह निर्धारण वर्ष 1974-75 और 1975-76 में निर्धारण आदेशों में अनवशोषित मूल्यह्रास कारवार हानि में शामिल कर दिया गया था।

उपरोक्त गलतियों के परिणामस्वरूप 7,00,89,440 रु० की अधिक हानि अग्नेनीत की गई और 80,07,20,879 रु० के अनवशोषित मूल्यहास तथा 10,76,62,512 रु० की कर अवकाश रियायत को अनियमित रूप से कारवार हानि में शामिल कर दिया गया था।

आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है कि निर्धारण वर्ष 1973-74 का निर्धारण अपीनीय सहायक आयुक्त द्वारा मूल्यहास की संगणना के प्रश्न पर 16 फरवरी 1978 को निरस्त कर दिया गया था।

(ख) एक अन्य निर्धारिती कम्पनी के मामले में निर्धारण वर्ष 1975-76 के सुसंगत पूर्व वर्ष के लेखे में पहले से प्रभारित 6,14,087 रु० का मूल्य-हास पुनः जोड़ा नहीं गया था हालांकि 8,89,478 रु० के मूल्यहास की राशि जो अधिनियम के अन्तर्गत अनुज्ञेय है, अलग से अनुमत की गई थी। इस गलती के परिणामस्वरूप 6,14,087 रु० के मूल्यहास की अधिक छूट दी गई तथा 3,54,637 रु० के कर का अव-प्रभार हुआ।

आपत्ति स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस निर्धारण को संशोधित कर दिया गया है और 3,54,637 रु० की अतिरिक्त मांग की राशि संगृहीत कर ली गई है।

(ग) निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए एक और निर्धारिती कम्पनी की कुल आय की संगणना करते समय, निर्धारण अधिकारी ने लाभ और हानि लेखा में प्रदर्शित निवल हानि से आरम्भ करके आय की संगणना की और कुल हानि 30,60,113 रु० अवधारित की। निर्धारण आदेश में निर्धारण अधिकारी ने अस्वीकार्य व्ययों की कुछ मदें अनुज्ञात नहीं की जिनकी राशि 6,75,570 रु० थी। उपरोक्त 6,75,570 रु० की राशि लाभ और हानि लेखा की निवल हानि की राशि में से घटाने की वजाए गलती ने उसमें जोड़ दी गई। इस गलती के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए कारवार हानि को अग्नेनीत करने में 13,51,140 रु० की अधिक संगणना हुई।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(iv) एक निर्धारिती कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1978-79 के सुसंगत पूर्व वर्ष में 20,145 रु० की अतिरिक्त पारी छूट का दावा किया। मूल्यह्रास की छूट देते समय विभाग ने 20,145 रु० की बजाए गलती से 2,01,452 रु० की छूट दे दी। इस गलती के परिणामस्वरूप 1,81,307 रु० की अधिक मूल्यह्रास छूट दी गई और हानि 1,81,307 रु० अधिक संगणित की गई और अशेषित की गई।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(v) निर्धारण अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए एक निर्धारिती कम्पनी के निर्धारण में जो जनवरी 1979 में पूरा किया गया था, कुल आय की संगणना करते समय निर्धारण आदेश में 61,662 रु० के व्यय की कुछ मदों को अस्वीकार्य बताया और यह निर्णय दिया कि निर्धारिती की कुल आय में इस राशि को पुनः जोड़ दिया जाए। तथापि, उपरोक्त राशि जोड़ने की बजाए गलती से कुल आय में से घटा दी गई। इस गलती का परिणाम यह हुआ कि कारवार आय का 1,23,324 रु० से अवनिर्धारण हुआ। परिणामतः 96,859 रु० के कर का अवप्रभार हुआ जिसमें विवरणी देर से प्रस्तुत करने और अनुमान पर अग्रिम कर की कम अदायगी करने के कारण शास्तिक व्याज शामिल है।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(vi) निर्धारण वर्ष 1973-74 के सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए एक अनिवासी बैंकिंग कम्पनी की गृह सम्पत्ति से आय की संगणना करते समय, चार सम्पत्तियों के किराये से आय का जोड़ 55,598 रु० की बजाए गलती से 1,38,421 रु० लगाया गया। इससे आय 82,823 रु० अधिक निर्धारित की गई। इसके अतिरिक्त एक गृह सम्पत्ति में वातानुकूलन संयंत्र के अनुरक्षण पर निर्धारिती कम्पनी द्वारा किए गए 1,86,436 रु० के व्यय की छूट दो बार दी गई जिससे आय 1,86,436 रु० कम निर्धारित की गई। इन दो गलतियों के कारण आय में 1,03,613 रु० के निवल अवनिर्धारण के फलस्वरूप 76,160 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है कि उपरोक्त निर्धारण को संशोधित कर दिया गया है और 76,160 रु० का अतिरिक्त कर वसूल कर लिया गया है।

(vii) निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए एक निर्धारिती कम्पनी के आय कर निर्धारण में जो मई 1978 में पूरा किया गया था, निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए 1,90,334 रु० की अग्नेनीत हानि का मुजरा अनुज्ञात किया गया था। बाद में निर्धारण वर्ष 1973-74 का निर्धारण जनवरी 1979 में संशोधित किया गया था जिसमें पहले निर्धारित 1,90,334 रु० की हानि की बजाए 9,85,340 रु० की आय निर्धारित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1974-75 के निर्धारण में आय के प्रति मुजरा की गई हानि की राशि को वापस ले लेना चाहिए था। तथापि किसी और कारणवश फरवरी 1979 में उस वर्ष का निर्धारण संशोधित करते समय भी इसे वापस नहीं लिया गया और न ही बाद में वापस लिया गया। ऐसा न करने के कारण निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए आय 1,90,334 रु० कम निर्धारित की गई। इसके परिणामस्वरूप 1,09,917 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

(viii) निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए एक निर्धारिती कम्पनी के मामले में जनवरी 1978 में परिणोधन आदेश पारित करते समय 81,69,804 रु० की अनवशोषित मूल्यहास की सही राशि की बजाए 83,59,125 रु० की हानि को आधार माना गया। इसके परिणामस्वरूप परिणोधन आदेश में अग्नेनीत किए जाने वाला अनवशोषित मूल्यहास 80,69,804 रु० की सही राशि की बजाए 82,59,125 रु० निर्धारित किया गया। 1,89,321 रु० के अधिक अग्नेनीत मूल्यहास के कारण निर्धारण वर्ष 1975-76 में उसी सीमा तक आय का अव-निर्धारण हुआ जबकि कम्पनी की आय करयोग्य थी। परिणामतः 1,09,332 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है

(ix) एक निर्धारित कम्पनी के मामले में जिसे कारोबार और गृह सम्पत्ति दोनों से आय प्राप्त होती थी, वर्ष 1974-75 और 1975-76 के लिए निर्धारणों में क्रमशः 25,73,534 रु० और 16,42,254 रु० की हानि संगणित की गई। गृह सम्पत्ति से आय की संगणना करते समय प्रत्येक वर्ष में प्राप्त किराए की राशि में से नगरपालिका कर की 56,575 रु० की राशि घटा दी गई थी किन्तु संबद्ध वर्षों के लाभ और हानि लेखे में पहले से डेबिट की गई उपर्युक्त राशियां लाभ और हानि लेखे में दिखाई गई निवल हानि से पृथक रूप से विचार करने के लिए घटाई नहीं गई थी। नगरपालिका कर की दोबारा छूट दिए जाने के कारण दोनों निर्धारण वर्षों के लिए कुल 1,13,150 रु० के कारबार हानि की अधिक संगणना हुई और वह अधिक अग्रणीत की गई।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है कि विचाराधीन निर्धारण का संशोधन कर दिया गया है और हानि 1,13,150 रु० की सीमा तक कम कर दी गई है।

(X) निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए एक निर्धारित कम्पनी के मूल निर्धारण में जो कि मार्च 1976 में पूरा किया गया था, कुल आय 13,20,951 रु० की हानि के रूप में अवधारित की गई थी। बाद में दिसम्बर 1978 के अपीलिय आदेश के अनुपालन में जिसमें आय-कर अधिकारी को यह निदेश दिया गया था कि कारबार से हानि में 93,916 रु० की वृद्धि कर दी जाए, फरवरी 1979 में निर्धारण को संशोधित किया गया। तथापि संशोधित निर्धारण में कुल हानि 14,14,867 रु० की सही राशि के बजाए 15,14,867 रु० संगणित की गई। इस गलती के कारण 1,00,000 रु० की अधिक हानि की संगणना हुई।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रसंगाधीन राशि का संशोधन कर दिया गया है और 1,00,000 रु० की सीमा तक अग्रणीत अधिक हानि को कम कर दिया गया है।

2.06 वित्त अधिनियमों के उपबन्धों का अनुपालन न किया जाना

(i) निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए लागू होने वाले वित्त अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, किसी भी औद्योगिक कंपनी, जिसमें जनता

पर्याप्त रूप से हित-वृद्ध न हो की कुल आय में से 2 लाख रु० तक की आय पर 50 प्रतिशत की दर पर और उससे अधिक पर, यदि कोई हो, 60 प्रतिशत की दर पर आय-कर देना होगा। किन्तु 1969-70 से 1973-74 तक के पहले वर्षों के लिए लागू होने वाले वित्त अधिनियमों के तदनुसूची उपबन्धों में ऐसी कंपनी की 10 लाख रु० तक की कुल आय पर 55 प्रतिशत की दर निर्धारित की गई थी।

निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए एक ऐसी औद्योगिक कंपनी के मामले में, कुल आय 7,83,650 रु० अवधारित की गई थी जिस पर 4,83,200 रु० का कर (अधिभार सहित) प्रभाय था। तथापि, विभाग ने गलती से पिछले निर्धारण वर्षों के लिए लागू होने वाली दरें लगाई और 4,52,558 रु० का कर लगाया। इस गलती के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए 10,680 रु० के कम व्याज सहित 41,322 रु० का कम कर प्रभावित किया गया।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि उपरोक्त निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और मांगे गए अतिरिक्त कर की राशि 41,322 रु० है।

(ii) वित्त अधिनियम, 1975 के अंतर्गत किसी भी देशी कम्पनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितवृद्ध नहीं है और जो मुख्यतः औद्योगिक कार्य कर रही है, की कुल आय में से पहले 2 लाख रु० पर 55 प्रतिशत की दर पर और 2 लाख रु० से अधिक शेष आय पर 60 प्रतिशत की दर पर कर प्रभाय है।

निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए दो निजी कम्पनियों के निर्धारणों में कुल आय क्रमशः 9,74,930 रु० और 5,00,000 रु० संगणित की गई थी। प्रत्येक मामले में समस्त आय पर 55 प्रतिशत की समान दर पर आय कर प्रभावित किया गया था। किन्तु चूंकि निर्धारित औद्योगिक कम्पनियां थीं जिनमें जनता पर्याप्त रूप से हितवृद्ध नहीं थी अतः 2 लाख रु० से अधिक आय पर 60 प्रतिशत की स्लैब दर पर आय कर लगाया जाना चाहिए था, जैसीकि वित्त अधिनियम में व्यवस्था है। इन गलतियों के कारण कुल 66,513 रु० का कम कर लगाया गया,

जिसमें आय विवरणी देर से दाखिल करने और अनुमान लगाने पर अग्रिम कर की कम अदायगी करने के कारण शास्तिक व्याज शामिल है।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

2.07 निर्धारणों में गलत हैसियत का अपनाया जाना

आयकर अधिनियम, 1961 में यह व्यवस्था है कि किसी कम्पनी पर, जिसे ऐसी कम्पनी माना जाता है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, अन्य कम्पनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध नहीं है, की अपेक्षा कर की देयता कम होती है। ऐसा मानने के लिए कम्पनी अन्य बातों के साथ साथ ये शर्तें पूरा करेगी कि वह निजी कम्पनी नहीं है और उसके शेयर भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीगत हैं और उसके ऐसे शेयर जो उसकी कुल मतदान शक्ति के 50 प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति रखने वाले हों, सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय पांच या पांच से कम व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित या धारित नहीं थे। पूर्वोक्त संख्या की संगणना करते समय, वे सभी व्यक्ति जो एक दूसरे के नातेदार हों, एकल व्यक्ति माने जाते हैं।

(i) 1,974-75 से 1978-79 तक के निर्धारण वर्षों के लिए एक औद्योगिक कम्पनी के निर्धारणों में कम्पनी की हैसियत ऐसी कम्पनी के रूप में मानी गई थी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है और उस पर तदनुसार कर लगाया गया था। तथापि, लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि कम्पनी के शेयर भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीगत नहीं थे और कम्पनी की कुल मतदान शक्ति से 60 प्रतिशत से अधिक मतदान शक्ति वाले शेयर सुसंगत पूर्व वर्षों के दौरान हर समय पांच या कम व्यक्तियों द्वारा धारित अथवा नियंत्रित थे। इसलिए उस औद्योगिक कम्पनी को ऐसी कम्पनी माना जाना चाहिए था जिसमें कि जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध नहीं है। कम्पनी की हैसियत अवधारित करने में गलती के कारण 1974-75 से लेकर पांच निर्धारण वर्षों में कुल 1,07,072 रु० का कम कर प्रधारित किया गया।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए एक अन्य निर्धारिती कम्पनी के निर्धारण में विभाग द्वारा उस कम्पनी की हैसियत ऐसी कम्पनी के रूप में मान ली गई थी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध हो और उस पर तदनुसार कर लगाया गया था। उस वर्ष के लिए उस कम्पनी द्वारा दाखिल की गई विवरणी में निर्धारिती ने अपनी हैसियत ऐसी कम्पनी बताई थी जिसमें कि जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने उस निर्धारण वर्ष में अर्हक व्यय की रकम के 1½ गुना की दर पर निर्यात बाजार विकास मोक मांगा था जो कि उन कम्पनियों पर लागू होता है जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध न हो और वह अनुज्ञात कर दिया गया था। कम्पनी की गलत हैसियत अवधारित करने और कर की रियायती दर लगाने के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1976-77 में 93,272 रु० का कर कम लगाया गया।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि उपरोक्त निर्धारण को ठीक कर दिया गया है और 93,272 रु० की अधिक मांग कर दी गई है।

2.08 कारबार आय की गलत संगणना

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कारबार के प्रयोजनों से पूर्णतया या अनन्यतः अलग रखी गयी या व्यय की गई राशि कटौती के रूप में अनुज्ञेय है।

(i) कारबार से आय की संगणना करते समय, अप्रतिसंहरणीय न्यास के अधीन अपने कर्मचारियों के अनन्य फायदे के लिए अपने द्वारा सृजित किसी अनुमोदित उपदान निधि में अभिदाय के तौर पर नियोजक द्वारा संदेत कोई राशि कटौती के रूप में अनुज्ञेय है। सितम्बर, 1970 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अनुदेश जारी किए थे कि कर्मचारियों को संदेय अनुमानित सेवा उपदान के सम्बन्ध में अपने खातों में वैज्ञानिक आधार पर निर्धारिती द्वारा की गई व्यवस्था कटौती के रूप में अनुज्ञेय है, भले ही निर्धारिती ने किसी अप्रतिसंहरणीय न्यास का सृजन न किया हो और उसके लिए मान्यता प्राप्त न की हो। बोर्ड ने यह बताते हुए कि उपदान के लिए ऐसा कोई प्रावधान किसी बकाया या भावी निर्धारण में अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए, उपरोक्त अनुदेश सितम्बर 1974 में रद्द कर दिए थे।

ऐसे मामलों में जहां निर्धारितियों ने कानून के संबंध में अपने ज्ञान और बोर्ड द्वारा 1970 में दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर 1973-74 से 1975-76 तक के निर्धारण वर्षों के सुसंगत पूर्व वर्षों के अपने लेखाओं में व्यवस्था कर दी थी, कठिनाई को दूर करने और सभी प्रकार के संदेह का निराकरण करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 का 1975 में संशोधन किया गया जिसमें विशिष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई कि कारबार आय की संगणना करते समय अपने कर्मचारियों को उपदान अदायगी करने के लिए किसी निर्धारिती द्वारा की गई व्यवस्था पर कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी। तथापि, 1973-74 से 1975-76 तक के निर्धारण वर्षों के दौरान उपदान के लिए की गई व्यवस्था इस संशोधन के अन्तर्गत नहीं आती थी वशतें कि निर्धारिती ने ऐसी व्यवस्था अपने कर्मचारियों को उपदान की अदायगी के लिए अपनी देयताओं के वीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार की हो और उसने अनुमोदित उपदान निधि का सृजन करके-विहित रीति से उस प्रावधान की राशि 1 अप्रैल, 1977 से पहले उस निधि में अंतरित कर दी हो।

(क) निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए एक निर्धारिती कम्पनी के मामले में, वीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर कम्पनी के कर्मचारियों के बारे में अद्यतन प्रोद्भूत उपदान देयता के लिए विभाग द्वारा मार्च, 1977 में 7.86 लाख रु० की कटौती अनुज्ञात की गई थी। निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए अगस्त 1977 में पास किए गए निर्धारण आदेश में, सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती द्वारा और उपदान-देयता के लिए जो कि वीमांकिक द्वारा सत्यापित की गई थी, उपगत की गई राशि के लिए 6,264 रु० की कटौती अनुज्ञात की गई थी। तथापि उसी आदेश में, विभाग ने संचित उपदान देयता के लिए 10.80 लाख रु० की कटौती के लिए निर्धारिती का दावा अनुज्ञात कर दिया था। यह वैध नहीं था क्योंकि उपदान देयता के लिए समस्त अनुज्ञेय कटौती पहले ही अनुमत कर दी गई थी। गलत छूट के परिणामस्वरूप 7.60 लाख रु० का आयकर और अतिकर कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ख) निर्धारण वर्ष 1975-76 के सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए एक कम्पनी के लाभ-हानि लेखे में वीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उपदान

की व्यवस्था की बाबत 17,13,796 रु० की राशि डेबिट की गई थी। तथापि यह देखने में आया कि 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए पूर्व वर्ष के अन्त तक निर्धारिती के पास कोई भी अनुमोदित उपदान निधि नहीं थी। निर्धारिती ने अपने दिसम्बर, 1975 के आवेदन में पहली अप्रैल, 1975 से उपदान निधि के सृजन के लिए आयुक्त का अनुमोदन मांगा था। सुसंगत न्यास विलेख से भी यही पता चलता था कि प्रस्तावित उपदान निधि पहली अप्रैल, 1975 से सृजित हुई मानी जानी चाहिए। चूंकि 31 मार्च, 1975 को समाप्त हुए निर्धारण वर्ष 1975-76 के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान निर्धारिती के पास कोई अनुमोदित उपदान निधि नहीं थी, इसलिए 17,13,796 रु० की उपरोक्त व्यवस्था अनुज्ञेय कटौती नहीं थी और निर्धारण पूरा करते समय अस्वीकार कर दी जानी चाहिए थी। यह भी देखने में आया था कि निर्धारण वर्ष 1976-77 में 25,21,796 रु० के उपदान की व्यवस्था के लिए, जिसमें 17,13,796 रु० की उपरोक्त व्यवस्था शामिल थी, पूरी छूट दे दी गई थी। इस प्रकार निर्धारण वर्ष 1975-76 में कारबार आय 17,13,796 रु० कम निर्धारित की गई जिससे 9,89,716 रु० का कर कम प्रभारित किया गया।

यह पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को जुलाई 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

(ii) कारबार के प्रयोजन के लिए खर्च न की गई उधार राशि पर व्याज कारबार आय की संगणना में अनुमत नहीं होगा।

एक कम्पनी के मामले में यह देखा गया था कि उसके निदेशकों को व्याज मुक्त कर्जों की भारी राशियां प्रदान की गई थीं जबकि कारबार चलाने के लिए कम्पनी के पास उसका अपना पर्याप्त धन नहीं था और बैंकों से कर्जों की भारी राशियां लेनी पड़ती थीं और उन पर व्याज की पर्याप्त राशि देनी पड़ती थी जिसके लिए अलग-अलग निर्धारणों में कटौती योग्य कारबार व्यय के रूप में दावा किया गया था और अनुमत किया गया था। इस प्रकार निदेशकों के निजी उपयोग में लगाई गई कर्ज की राशि कारबार के प्रयोजन के लिए पूर्णतया उपयोग में लाई गई नहीं मानी जा सकती थी और कम्पनी की कारबार आय की संगणना करते समय बैंकों को देय आनुपातिक व्याज अस्वीकृत किया जाना चाहिए

था। इस प्रकार की चूक से 1971-72 से 1978-79 तक के निर्धारण वर्षों में 5,66,910 रु० की आय का अवनिर्धारण हुआ।

इसके अतिरिक्त, 3,92,951 रु० की राशि एक मृतक व्यक्ति की सम्पदा में व्याज मुक्त पेशगी के रूप में दी गई थी जिसका कम्पनी के निदेशकों में से एक निदेशक अवशिष्ट वसीयतदार था। तदनुसार, सम्पदा में लगाए गए धन के सम्बन्ध में बैंकों को देय आनुपातिक व्याज अस्वीकृत किया जाना था क्योंकि उसे कारबार के प्रयोजन के लिए उपयोग में नहीं लाया गया था। ऐसा न करने से 4,41,177 रु० की आय का और अवप्रभार हुआ।

इन दो गलतियों से निर्धारण वर्ष 1974-75 से 1978-79 में 6,35,244 रु० के कुल कर का अवप्रभार हुआ क्योंकि निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1973-74 में हानियां हुई थीं।

पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को जुलाई 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत, जैसा कि निर्धारण वर्ष 1977-78 को लागू है, एक विदेशी कम्पनी के मामले में, जो एक भारतीय संस्था से 1 अप्रैल 1976 से पहले किए गए करारों के अनुपालन में तकनीकी सेवाओं के लिए कोई रायल्टी या फीस प्राप्त करती है, विभिन्न कटौतियों की कुल राशि, जो रायल्टी या तकनीकी फीस के रूप में कारबार आय की संगणना करने में अनुमत्य है, ऐसी रायल्टी या फीस की सकल राशि से, जो विदेश में तकनीकी जानकारी के अन्तरण के लिए प्राप्त हुए प्रतिफल की एक मुश्त राशि द्वारा कम की गई हो, बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए एक विदेशी कम्पनी के निर्धारण में आय की संगणना करते समय 1-4-1976 से 30-11-1976 की बजाय 1-6-1976 से 30-11-1976 तक किए गए व्यय के सम्बन्ध में कटौतियों की पूर्वोक्त अधिकतम सीमा लागू की गई थी जबकि निर्धारण वर्ष 1977-78 का सुसंगत पूर्व वर्ष 1-4-1976 से आरम्भ होता था। 1-4-1976 से 31-5-1976 तक की अवधि के दौरान किए गए सम्पूर्ण

व्यय की गलत कटौती से निर्धारण वर्ष 1977-78 में 4,39,287 रु० की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप 2,30,626 रु० का कर कम लगा।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(iv) अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि कम्पनी द्वारा किया गया कोई भी व्यय, जिसका प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः परिणाम निदेशक के लिए या ऐसे व्यक्ति के लिए जो कम्पनी में पर्याप्त हित रखता है या ऐसे व्यक्ति के नातेदार के लिए किसी पारिश्रमिक, लाभ या सुख-सुविधा की व्यवस्था करना होता है, कारबार आय से कटौती के रूप में अनुमत नहीं होगा यदि ऐसा व्यय या भत्ता पूर्व वर्ष में समाविष्ट ग्यारह महीनों से अधिक समयावधि से सम्बन्धित है एवं 72,000 रु० से अधिक है या जहाँ ऐसा व्यय उस समयावधि से सम्बन्धित है, जो ग्यारह महीनों से अधिक नहीं है—राशि उस समयावधि में समाविष्ट प्रत्येक महीने या उसके भाग के लिए 6000 रु० की दर से परिकलित है।

दो निर्धारित कम्पनियों की कारबार आय की संगणना करने समय 1973-74, 1976-77 और 1977-78 के निर्धारण वर्षों के सुसंगत पूर्व वर्षों में क्रमशः 1,71,056 रु०, 1,15,628 रु० और 1,50,646 रु० की राशि का निदेशकों के लिए पारिश्रमिक, बोनस, कमीशन, वेतन और परिलब्धियों पर किया गया सम्पूर्ण व्यय तीनों निर्धारणों में से प्रत्येक में अधिकतम 72,000 रु० की बजाय पूर्णतः कटौती के रूप में अनुमत किया गया था। इससे 2,21,330 रु० की कटौती अधिक अनुमत की गई जिससे 1,40,656 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(v) आयकर नियमावली, 1962 के अन्तर्गत भारत में विक्रेता द्वारा उगाई गई और विनिर्मित चाय की विक्री से व्युत्पन्न आय की केवल 40 प्रतिशत राशि निर्धारित के विनिर्माण और विक्री परिचालनों से व्युत्पन्न आय के रूप में मानी जाती है और इसलिए उस पर आयकर देना होता है और शेष 60 प्रतिशत चाय की खेती से सम्बन्धित मानी जाती है जो कि कृषि की आय के रूप में होती है और इसलिए उस पर आयकर नहीं लगाया जाता।

(क) भारत में चाय उगाने और उसके विनिर्माण का कारबार कर रही एक कम्पनी ने फरवरी 1979 में पूरे किए गए निर्धारण वर्ष 1972-73 के निर्धारण में चाय के विनिर्माण और बिक्री के सम्बन्ध में संगणित 3,76,738 रु० की समग्र हानि गलती से अग्नेनीत की गई थी जबकि केवल 40 प्रतिशत की जानी थी जैसा कि नियमावली में विहित है। इसके अतिरिक्त पूर्वोक्त हानि की संगणना करते समय सुसंगत लाभ और हानि लेखे में क्रेडिट की गई 26,358 रु० की व्याज की आय का "अन्य स्रोतों" के शीर्ष के अन्तर्गत अलग से निर्धारण नहीं किया गया था। इन दो गलतियों से निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए 2,41,858 रु० की हानि अधिक अग्नेनीत हुई।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ख) दो अन्य चाय कम्पनियों के मामले में निर्धारण वर्ष 1975-76 और 1976-77 के सुसंगत वर्षों में बैंकों में मियादी जमाओं, कर्ज, और पेशगियों पर व्याज और आयकर विभाग से भारत में प्राप्त हुई आय अन्य स्रोतों से आय के रूप में निर्धार्य थी और आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत पूर्णतया कर योग्य थी। तथापि, विभाग ने कम्पनियों के चाय कारबार से संबंधित कर्ज पर देय व्याज की राशि को उपरोक्त सकल व्याज प्राप्तियों के प्रति समायोजित कर दिया और केवल निवल व्याज प्राप्तियों पर कर लगाया। इससे 1975-76 और 1976-77 के दो निर्धारण वर्षों के लिए 1,48,484 रु० के कुल कर का अवप्रभार हुआ।

यह पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को जुलाई 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

(vi) निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए एक निर्धारिती कम्पनी, जो थोक में लिकर/रेजिन की बिक्री का कारबार कर रही थी, ने कारबार आय की संगणना में, अपने द्वारा खरीदे गए एल्यूमिनियम ड्रमों की लागत की समग्र राशि का मूल्यह्रास के रूप में दावा किया और यह अनुमत किया गया था क्योंकि प्रत्येक ड्रम की वास्तविक लागत सात सौ पचास रुपये से अधिक नहीं थी, यद्यपि कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1976-77 के सुसंगत पूर्व वर्ष के अपने लाभ और हानि लेखे में ड्रमों की लागत बढ़े खाते नहीं डाली थी। कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1978-79 के सुसंगत

पूर्व वर्ष के अपने लेखाओं में ड्रमों का खाता मूल्य, जो कि 1,02,355 रु० था, अन्ततः बट्टे खाते डाला। निर्धारण वर्ष 1978-79 की कम्पनी की कारबार आय की संगणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने इस प्रकार बट्टे खाते डाली गई राशि अस्वीकृत करने में चूक कर दी जबकि वर्ष 1976-77 के निर्धारण में ड्रमों की मूल लागत पहले ही अनुमत की जा चुकी थी। इससे 1,02,355 रु० की आय का अवनिर्धारण और 69,857 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(vii) दो निर्धारित कम्पनियों के मामले में निर्धारण वर्ष 1975-76 से संबंधित 3,01,970 रु० और 2,34,704 रु० की राशियां "काम-गरों को विशेष लाभ" के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 1976-77 के सुसंगत पूर्व वर्ष के लाभ और हानि लेखाओं में डेबिट की गई थीं। यद्यपि, निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए आय के निर्धारण का आधार प्रत्येक मामले में खाता लाभ को अपनाया गया था, फिर भी आय की संगणना करते समय उसी के संबंध में 3,01,970 रु० और 2,34,704 रु० की और राशियों की कटौतियां अनुमत की गई थीं। इससे 3,01,970 रु० और 2,34,704 रु० की कटौतियों की दुगुनी छूट दी गई, जो वास्तव में निर्धारण वर्ष 1975-76 से संबंधित थी। मार्च 1978 में पूरे किए गए निर्धारणों को क्रमशः 3,01,970 रु० और 2,34,704 रु० की राशि निकालकर अगस्त 1978 में संशोधित किया गया और यह कहा गया था कि व्यय निर्धारण वर्ष 1975-76 से संबंधित था, जिसमें कटौतियां अनुमत की गई थीं। इस संशोधन के बावजूद निर्धारण वर्ष 1976-77 के लाभ और हानि लेखाओं में पहले ही डेबिट की गई 3,01,970 रु० और 2,34,704 रु० की राशियां निकाली जाने से रह गई। इससे निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए 5,36,674 रु० की कुल हानि की अधिक संगणना हुई थी।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(viii) अधिनियम में यह व्यवस्था है कि सट्टे के कारबार के संबंध में संगणित कोई भी हानि किसी अन्य सट्टे के कारबार के लाभों और अभिलाभों, यदि कोई हो, के प्रति ही मुजरा की जा सकती है। आयकर

अधिनियम, 1961 में सट्टेवाले संव्यवहार की परिभाषा वह है जिसमें किसी ऐसी वस्तु के ऋय या विक्रय की **संविदा**, कालिकत: या अन्तत: वस्तु या स्क्रिप के वास्तविक परिदान के द्वारा तय किए जाने से अन्यथा तय की जाती है किन्तु विनिर्माताओं और वाणिज्यिकों द्वारा **की गई ऐसी हेजिंग संविदाएं**, जो मूल्यों के भावी उतार चढ़ाव के माध्यम से हुई हानियों से बचाव के लिए की गई हैं, सट्टेवाले संव्यवहार के रूप में नहीं मानी जानी हैं। न्यायिक रूप से यह भी निर्णय किया गया है कि विक्री की संविदा के भंग किए जाने के लिए प्राप्त हुआ मुआवजा सट्टेवाले संव्यवहार से प्राप्ति नहीं है।

चावल की **भूसी** के तेल का विनिर्माण करने वाली एक कम्पनी को निर्धारण वर्ष 1975-76 के सुसंगत लेखा वर्ष के दौरान उन दो पार्टियों से 2,00,146 रु० का मुआवजा प्राप्त हुआ जिन्होंने उनको भेजे गए तेल का **परिदान** नहीं लिया। उसे उस पूर्तिकर्ता से 26,740 रु० तक के हर्जाने भी प्राप्त हुए जिसने संपूर्ण संविदागत मात्रा की आपूर्ति नहीं की थी। ये प्राप्तियां कारबार आय के स्वरूप की थीं और पहले के वर्षों की सट्टे वाली हानियां इस आय के प्रति समायोजित नहीं की जा सकती थीं। किन्तु 2,26,886 रु० की समग्र राशि निर्धारण वर्ष 1975-76 और पहले के वर्षों के सुसंगत पूर्व वर्ष की सट्टेवाली हानि के प्रति समायोजित की गई थी। सट्टेवाले लाभों के रूप में कारबार आय के गलत वर्गीकरण और इस आय के प्रति पिछले वर्षों की सट्टेवाली हानियों के गलत समायोजन से 1,42,976 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि उच्च न्यायालयों में ऐसा कोई मतैक्य नहीं है कि अधिनियम के सुसंगत उपबन्ध कहां तक लागू होंगे और आयकर **अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई** को एक उच्च न्यायालय की राय का समर्थन मिलेगा। उन्होंने यह सूचित नहीं किया है कि परिणामी मतभेद को दूर करने के लिये उनका क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है।

(ix) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत बनाई गई आयकर नियमावली, 1962 में व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे फीचर फिल्मों के वितरण के कारबार के लाभों और अभिलाभों की

संगणना में फीचर फिल्मों की अधिप्राप्ति की लागत के संबंध में कटौती उस नियमावली में विहित क्रियाविधि के अनुसार अनुमत्य है। तथापि ऐसी कटौती के प्रयोजन के लिए अधिप्राप्ति की लागत में फिल्म वितरक द्वारा किए गए व्यय की वह राशि शामिल नहीं है जो फिल्मों के पाजिटिव प्रिंटों को तैयार करने में लगी।

एक निर्धारती कम्पनी फिल्म वितरण का कारबार करती थी। निर्धारण वर्ष 1975-76 के उसके निर्धारण में विभाग ने कारबार आय की संगणना करते समय फीचर फिल्म के संक्रामण के कारण 3,91,251 रु० की राशि की कटौती अनुमत की जैसा कि निर्धारती द्वारा दावा किया गया था। तथापि, उपर्युक्त राशि में 1,25,000 रु० की राशि शामिल थी जो अतिरिक्त प्रिंटों की लागत थी। संक्रामण के कारण कटौती का परिकलन करने के लिए फीचर फिल्म की कुल लागत में अतिरिक्त प्रिंटों की लागत को गलत शामिल किए जाने से 1,25,000 रु० की कटौती की अधिक छूट दी गई जिससे अग्रिम कर की अधिक अदायगी पर ब्याज की गलत अदायगी सहित 72,459 रु० के कर का अब प्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय का अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

(X) कर अपवंचन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 1968 में लागू किए गए आयकर अधिनियम 1961 के उपबन्धों के अनुसार निर्धारती द्वारा माल की आपूर्ति, सेवाएं या सुविधाओं के लिए अपने निकट साथियों को की गई अदायगियां उसकी कारबार आय की संगणना में स्वीकार नहीं की जानी चाहिएं जहां तक कि ऐसी अदायगियां माल, सेवाओं, या सुविधाओं के उचित बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अधिक या अनुचित हैं। एक कम्पनी द्वारा एक अन्य कम्पनी को की गई अदायगियां जहां उनमें से एक दूसरी कम्पनी में पर्याप्त रूप से हितबद्ध हैं या किसी कम्पनी को की गई अदायगियां जिसके निदेशकों में से एक अदायगी करने वाली कम्पनी में पर्याप्त रूप से हितबद्ध हैं, इन उपबन्धों के अन्तर्गत आएंगी।

निर्धारण वर्ष 1973-74 के सुसंगत लेखा वर्ष के दौरान दो प्राइवेट औद्योगिक कम्पनियों ने एक अन्य प्राइवेट कम्पनी, जिसका उनके साथ

निकट संबंध था, को परामर्श फीस के रूप में 3.96 लाख रु० और 1.00 लाख रु० की अदायगियां की। निर्धारितियों ने अदायगियों के लिए सम्पूर्ण कटौतियों का इस आधार पर दावा किया कि आदाता कम्पनी ने कारबार चलाने, आयकर मामलों, कार्मिकों के प्रशिक्षण, श्रम संबंधों आदि के लिए निर्धारितियों को सेवाएं प्रदान की थीं। किन्तु प्रदत्त सेवाओं के सूक्ष्म स्वरूप और मात्रा का अभिलेखों से पता नहीं चलता था। वास्तव में निर्धारितियों ने विभाग को ऐसे दावा विल प्रस्तुत नहीं किए थे, जो आदाता कम्पनी द्वारा जारी किए गए हों और जिनमें उन कार्य-कलापों के व्यौरे दिए गए हों जिनके लिए निर्धारितियों द्वारा अदायगियां की गई थीं। तथापि, निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए दोनों कम्पनियों के निर्धारण विभाग द्वारा सम्पूर्ण दावों को स्वीकार करके हुए सितम्बर 1976 में पूरे किए गए थे। लेखापरीक्षा में यह बताया गया था (नवम्बर-दिसम्बर, 1977) कि निर्धारितियों और आदाता कम्पनी के बीच निकट संबंध के संदर्भ में विभाग को यह देखना चाहिए था, जैसा कि कानूनी रूप से अपेक्षित है, कि 3.96 लाख रु० और 1.00 लाख रु० की अदायगी परामर्श फीस के रूप में कहां तक उचित थीं और अदायगियों की जो राशि अधिक या अनुचित थी अस्वीकृत की जानी चाहिए थी। प्रारम्भ में विभाग ने दावा किया कि अभिलेख में ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे अदायगियां अधिक या अनुचित ठहराई जा सकें। किन्तु, बाद में (सितम्बर 1979) एक कम्पनी का निर्धारण 2.98 लाख रु० की राशि की अदायगी (3.96 लाख रु० की कुल अदायगी में से) अस्वीकृत करके संशोधित किया गया था और अस्वीकृति का एक आधार यह था कि कम्पनी कानून बोर्ड ने अदायगी अधिक बताई थी। 1,87,953 रु० की पारिणामिक अतिरिक्त मांग का भाग निर्धारितियों को देय वापसी का समायोजन करके संगृहीत कर ली गई है और 1,35,547 रु० के शेष के संग्रहण की रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

वित्त मन्त्रालय का अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है। (दिसम्बर 1980)।

2.09 मुख्य कार्यालय के व्यय की कटौती में अनियमिततायें

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय से भिन्न कोई व्यय और निर्धारितियों के व्यक्तिगत व्यय, जो कारबार के प्रयोजन के लिये पूर्णतः और अनन्यतः निकाल कर रखे गए या खर्च किये गए,

निर्धारिती की कारवार आय की संगणना में अनुमत्य कटौती है। भारत में कारवार चला रही विदेशी कंपनियों के मामले में उनके मुख्य कार्यालयों के प्रशासनिक व्यय का भाग अनुमत्य कटौती बन जाता है। मुख्य कार्यालय व्यय के लिए दावे अनुमत करते समय विभाग द्वारा की गई जांच 1975 तक अपर्याप्त थी। लोक लेखा समिति की 176 वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोक सभा) के पैराग्राफ 9.13 और 187 वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोक सभा) के पैराग्राफ 3.38 में की गई उनकी सिफारिशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जून 1975 में इस विषय पर विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए गए थे और आयकर अधिनियम 1961 में 1-6-1976 से एक नई धारा 44 ग सन्निविष्ट करके कानून में भी संशोधन किया गया था। इस नई धारा में मुख्य कार्यालय के व्यय के लिये कटौती की अधिकतम सीमा नियत की गई थी, जो निम्नलिखित तीन मर्दों में से सबसे कम हो :—

- (क) समायोजित कुल आय के पांच प्रतिशत के बराबर राशि, या
- (ख) मुख्य कार्यालय के तीन वर्षों के औसत व्यय के बराबर राशि, या
- (ग) मुख्य कार्यालय व्यय के रूप में किये गये व्यय की उस राशि के बराबर जो भारत में निर्धारिती के कारवार या वृत्ति के लिए किया गया माना जा सकता है।

निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए एक अनिवासी कम्पनी के निर्धारण में, जो सितम्बर 1978 में पूरा किया गया था, सितम्बर 1979 में लेखा-परीक्षा में यह देखा गया था कि मुख्य कार्यालय व्यय के संबंध में पूर्वोक्त अधिकतम सीमा लागू नहीं की गई थी, यद्यपि उससे संबंधित उपबन्ध निर्धारण वर्ष 1977-78 से प्रभावी थे। इससे 20,81,501 रु० की आय का अवनिर्धारण हुआ और उसके फलस्वरूप देय अग्रिम कर की पूर्ण अदायगी न करने के लिए 2,60,241 रु० के व्याज के कम उद्ग्रहण के अतिरिक्त 15,29,903 रु० का कर कम लगाया गया।

पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को जुलाई 1980 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

मूल्यहास और विकास रिबेट को अनुमत करने में अनियमिततायें

2.10 मूल्यहास

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत निर्धारिती के स्वामित्व वाले और उसके कारबार के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए गए भवनों, संयंत्र और मशीनरी पर कारबार से हुई आय की संगणना में मूल्य हास अनुज्ञेय है वशतें कि निर्धारिती ने ऐसे भवनों, संयंत्र और मशीनरी के संबंध में निर्धारित विवरण दिये हों। इस सम्बन्ध में विहित नियमों के अन्तर्गत संयंत्रों और मशीनरी की कतिपय मदों के लिए परिसम्पत्तियों की वास्तविक लागत या अवलेखित मूल्य पर जैसी भी स्थिति हो विशिष्ट दरों पर मूल्य हास एवं संयंत्र और मशीनरी की शेष मदों के लिए 10 प्रतिशत की सामान्य दर पर मूल्यहास अनुज्ञेय है।

(i) बढ़िया सामग्री के प्रधानतः प्रथम श्रेणी के भवनों के संबंध में मूल्यहास वस्तविक लागत की 2.5 प्रतिशत पर अनुज्ञेय है। एक होटल को चला रही एक निर्धारिती कम्पनी की निर्धारण वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए क्रमशः सितम्बर और अक्टूबर, 1978 के दौरान आय का निर्धारण करते समय होटल की इमारत की लागत पर 2.5 प्रतिशत की बजाय 5 प्रतिशत की दर से मूल्यहास अनुमत किया गया था यद्यपि यह बढ़िया सामग्री से निर्मित प्रथम श्रेणी की इमारत थी। मूल्यहास की गलत दर को लागू करने के परिणामस्वरूप 76,535 रु० के मूल्यहास की अधिक छूट दी गई थी। संबंधित वर्षों के दौरान कोई लाभ वाली आय नहीं हुई थी और अतः अग्नेनीत अधिक मूल्यहास की राशि 76,535 रु० थी।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) वायु परिवहन कारबार कर रही एक अनिवासी कम्पनी के मामले में निर्धारण वर्ष 1973-74 और 1974-75 में वायुयानों पर नियमों के अन्तर्गत अनुज्ञेय मूल्यहास 30 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत की दर से अनुमत किया गया था। इसके फलस्वरूप दो निर्धारणों में मूल्यहास की अधिक छूट दी गई और जिससे मूल्यहास की 6,23,402 रु० की अधिक संगणना की गई और हानि अग्नेनीत की गई।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार कर ली है।

(iii) किसी निर्धारिती के स्वामित्व वाले और उसके कारवार या व्यवसाय के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त जहाजों के संबंध में मूल्यहास की दर मछुआ जहाजों से इतर समुद्री जहाजों के लिए 5 प्रतिशत है और अन्तर्देशीय जल में सामान्यतः चलने वाली "तीव्र गति वाली नौकाओं", से इतर नौकाओं के लिए 10 प्रतिशत है ।

निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए एक जहाजरानी कम्पनी के सितम्बर, 1978 में पूरे किये मूल निर्धारण में "तीव्र" गति वाली नौकाओं" से इतर नौकाओं पर लागू की जाने वाली दर से दो बजरो पर 10 प्रतिशत का मूल्यहास अनुमत किया गया था । चूंकि बजरो को जलयान माना गया था न कि जहाज, अतः विभाग द्वारा निर्धारिती के विकास छूट के दावे को, जो कि केवल जहाजों के लिए स्वीकार्य था, अनुमत नहीं किया गया था । किन्तु अपील करने पर निर्धारिती के विकास छूट के दावे को अपील अधिकरण द्वारा बजरो को जहाज मानकर अनुमत कर दिया गया था (फरवरी 1979) । तथापि अपीलीय आदेशों को मार्च, 1979 में लागू करते समय बजरो को "नौकाएं" मानकर आरम्भ में अनुमत मूल्यहास की 10 प्रतिशत की अधिक दर को कम नहीं किया गया था और 'जहाजों' पर लागू की जाने वाली मूल्यहास की 5 प्रतिशत की सही दर लागू नहीं की गई थी । इसके परिणामस्वरूप 2,88,221 रु० का अधिक मूल्यहास अनुमत किया गया और 1,81,580 रु० का कर कम लगाया गया ।

पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को अगस्त 1980 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर , 1980) ।

(iv) यह न्यायिक निर्णय है कि कई व्यक्ति जिनके मूल्यहास योग्य परिसम्पत्ति में विशिष्ट आंशिक भाग हों, उसी मूल्यहास योग्य परिसम्पत्ति के संबंध में आनुपातिक आंशिक मूल्यहास का दावा नहीं कर सकते हैं । संबंधित उच्च न्यायालय के अनुसार परिसम्पत्ति में आंशिक भाग मूल्यहास छूट देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा ।

एक कम्पनी ने एक बहुमंजिल भवन का 24 अन्य कम्पनियों जिन्होंने भवन के निर्माण की लागत के प्रति अंशदान दिया था, के सहस्वामित्व के अन्तर्गत अपनी ही भूमि पर निर्माण किया जिसमें अनेक सुविधाएं अर्थात् वातानुकूलन संयंत्र, लिफ्ट और नलकूप आदि की सुविधाएं उपलब्ध थीं ।

उपर्युक्त कम्पनी ने भवन में कार्यालय फ्लैटों को 24 सहस्वामियों को निर्माण के प्रति अंशदान के उनके शेयर के अनुसार पट्टे पर दे दिया और कुछ भाग को स्वयं के लिए रख लिया । निष्पादित पट्टे की शर्तों के अनुसार सभी सहस्वामी अपने अपने कार्यालय फ्लैटों तथा उन स्वामित्व वाले कार्यालय फ्लैटों के अनुपात में विभिन्न सुविधाओं के भी मालिक बन गए । निर्धारण वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए उपर्युक्त कम्पनी के निर्धारण में सुविधा संबंधी परिसम्पत्तियों अर्थात् वातानुकूलन संयंत्र, लिफ्ट और नलकूपों के मूल्य में निर्धारिती के भाग पर परिकलित क्रमशः 89,368 रु० और 77,924 रु० के मूल्यह्रास के दावे किये गये और विभाग द्वारा अनुमत किये गये थे । क्योंकि निर्धारिती परिसम्पत्तियों का पूर्णरूपेण स्वामी नहीं था किन्तु वह उपर्युक्त परिसम्पत्ति में आंशिक भाग का ही केवल सहस्वामी था, अतः इस न्यायिक घोषणा की शर्तों के अनुसार कोई मूल्यह्रास छूट अनुज्ञेय नहीं थीं जिसमें यह निर्णय दिया गया था कि परिसम्पत्ति पर मूल्यह्रास छूट देने के लिये आंशिक भाग पर्याप्त नहीं होगा । गलत छूट के परिणामस्वरूप दो निर्धारण वर्षों के लिए कुल 96,611 रु० के कर का अवनिर्धारण हुआ ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि उस मामले में न्यायालय के समक्ष ठीक प्रकार से तर्क नहीं रखे गये थे और इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि इस निर्णय से कोई वाध्यकारी पूर्व दृष्टांत निर्धारित हुआ हो ।

(v) नियमों में बड़े निर्माण कार्यों जैसे बांध, सुरंग, नहर आदि में प्रयुक्त मिट्टी को हटाने वाली मशीनरी के लिये 30 प्रतिशत की मूल्यह्रास की दर निर्धारित है ।

निर्धारण वर्ष 1974-75 के सुसंगत 31 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान एक प्राइवेट कम्पनी ने बंगाल की खाड़ी में रेत की भित्तियों से गाद को निकालने और हटाने के अपने ठेके कार्य के लिये 20,86,664 रु० की लागत पर एक क्रेन खरीदी । निर्धारण वर्ष 1974-75 और 1975-76 के लिए निर्धारिती ने 30 प्रतिशत की विशेष दर पर क्रेन के संबंध में मूल्यह्रास का दावा किया जिसको विभाग द्वारा अनुमत कर दिया गया था । चूंकि क्रेन मिट्टी हटाने वाली मशीन नहीं थी, अतः इस पर मूल्यह्रास अधिक दर (30 प्रतिशत) पर अनुमत

नहीं किया जात्रा था। केवल 10 प्रतिशत की सामान्य दर अनुज्ञेय थी। दो निर्धारण वर्ष 1974-75 और 1975-76 के लिए विभाग द्वारा मूल्यह्रास की अधिक दर के दावे को अस्वीकार न करने के कारण 4,17,333 रु० और 2,50,401 रु० की आय का अवनिर्धारण हुआ जिससे 3,30,555 रु० और 2,16,044 रु० का आय कर-कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय का अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

(vi) निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए एक निर्धारिती कम्पनी की आय का निर्धारण करते समय अनुज्ञेय कुल मूल्यह्रास की राशि 14,56,100 रु० बनी जिसमें 3,83,235 रु० का प्रारंभिक मूल्यह्रास और 10,72,865 रु० का अन्य मूल्यह्रास शामिल था। मूल्यह्रास की यह राशि 59,856 रु० की आय के प्रति समायोजित कर दी गई थी और बाद के वर्षों के दौरान समंजन करने के लिए अग्रणीत किये जाने वाले असमायोजित मूल्यह्रास की राशि सही रूप से 13,96,244 रु० बनती थी। किन्तु निर्धारण अधिकारी ने 3,83,235 रु० के प्रारंभिक मूल्यह्रास के अतिरिक्त अग्रणीत किये जाने वाले असमायोजित मूल्यह्रास की राशि 13,96,244 रु० निर्धारित की। चूंकि 13,96,244 रु० की पूर्ववर्ती राशि में प्रारंभिक मूल्यह्रास की राशि पहले से ही शामिल थी, अतः इसके परिणामस्वरूप 3,83,235 रु० का असमायोजित मूल्यह्रास अधिक अग्रणीत किया गया।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है।

2.11 विकास रिबेट

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत यदि कोई मशीनरी या संयंत्र या जहाज जिस पर किसी पहले निर्धारण में विकास रिबेट अनुमत किया गया था, उस पूर्व वर्ष जिसमें वह प्रतिष्ठापित या अधिगृहीत किया गया हो, के अन्त से आठ वर्षों के समाप्त होने से पहले बेच दिया जाता है तो इस प्रकार अनुमत विकास रिबेट गलत अनुमत किया गया समझा जाना चाहिए और प्रारंभ में अनुमत किये गए विकास रिबेट को वापस करके कुल आय की दुबारा संगणना की जानी चाहिए।

(i) निर्धारण वर्ष 1974-75 के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान एक जहाजरानी कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1967-68 के सुसंगत पूर्व वर्ष में अधिगृहीत जहाज को बेच दिया। चूंकि जहाज आठ वर्षों की निषिद्ध अवधि के भीतर बेच दिया गया था, अतः निर्धारण वर्ष 1967-68 से संबंधित विकास रिबेट की 85,342 रु० की राशि जो निर्धारण वर्ष 1972-73 में अनुमत की गई थी क्योंकि उस वर्ष इस रिबेट को अनुमत करने के लिये कम्पनी के पास पर्याप्त लाभ थे, को वापस ले लिया जाना चाहिए था। चूंकि निर्धारण वर्ष 1967-68 में अनुमत रिबेट वापस नहीं किया गया था, अतः 85,342 रु० की आय का अव-निर्धारण हुआ और 56,859 रु० का कर कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए एक अन्य मामले में एक निर्धारित कम्पनी ने कतिपय मशीनरी बेच दी जिस पर निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए निर्धारण में 87,697 रु० का विकास रिबेट पहले ही अनुमत किया जा चुका था। चूंकि मशीनरी आठ वर्षों की निषिद्ध अवधि के भीतर बेची गई थी, अतः निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए आय की पूर्व अनुमत विकास रिबेट को वापस करके पुनः संगणना की जानी चाहिए थी। ऐसा न करने के कारण 87,697 रु० की कारबार आय का अव-निर्धारण हुआ जिससे निर्धारण वर्ष 1974-75 में 65,330 रु० के कर का अव-प्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(iii) अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि अतिथि गृह के रूप में किसी स्थान सहित किसी कार्यालय परिसर या किसी आवासीय स्थान में 31 मार्च, 1965 के बाद प्रतिष्ठापित किसी मशीनरी या संयंत्र के संबंध में विकास रिबेट के रूप में कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं है।

दो विद्युत प्रदाय कंपनियों के मामले में उनके ग्राहकों के कार्यालय परिसरों और आवासीय स्थानों में प्रतिष्ठापित मीटरों और सूचकों पर विकास रिबेट निर्धारण वर्ष 1966-67 से 1969-70 के लिए अनुमत किया गया था। इसके फलस्वरूप निर्धारण वर्ष 1966-67 से 1969-70

में 2,48,49३ रु० का गलत विकास रिबेट दिया गया और 1,26,289 रु० के कर का अव-प्रभार हुआ ।

पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को अगस्त 1980 में भेजा गया था ; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980) ।

दो गई अनियमित छूटें और अधिक राहत

2.12 सकल कुल आय से अधिक कटौती का गलत अनुज्ञात किया जाना

आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय VI क में कुल आय की संगणना करते समय कतिपय कटौतियों की व्यवस्था है । उस अध्याय के उपबन्धों के अन्तर्गत की जाने वाली कटौतियों की कुल राशि किसी भी हालत में सकल कुल आय से नहीं बढ़नी चाहिये । 'सकल कुल आय' का अर्थ अध्याय VI क के अन्तर्गत कटौतियां करने से पहले अधिनियम के अन्तर्गत संगणित कुल आय से है ।

तीन निर्धारित कम्पनियों के मामले में निर्धारण वर्ष 1969-70 और 1976-77 के लिए अधिनियम के अन्तर्गत उपर्युक्त कटौतियों के किये जाने से पहले उनकी आय 4,45,910, रु० 2,00,564 रु० और 79,619 रु० की हानि पर निर्धारित की गई थी । तदनुसार, अध्याय VI क के अन्तर्गत कोई कटौती अनुज्ञेय नहीं थी क्योंकि कोई वास्तविक आय नहीं हुई । किन्तु विभाग ने एक मामले में कतिपय विदेशी उद्यमों से प्राप्त रायल्टियों और अन्य दो मामलों में देशी कम्पनियों से प्राप्त लाभांश के संबंध में 1,57,793 रु० 1,02,710, रु० और 59,850 रु० की कटौती अनुमत कर दी । इसके परिणामस्वरूप तीनों मामलों में क्रमशः 1,57,593 रु० 1,02,710 रु० और 59,850 रु० की हानि की अधिक संगणना हुई और इसको अधिक अग्रणीत किया गया ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है ।

2.13 नवस्थापित उपक्रमों के संबंध में गलत राहत अनुज्ञात किया जाना

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन, जहां किसी निर्धारित की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ और अभिलाभ सम्मिलित हो जो किसी नवस्थापित औद्योगिक उपक्रम से व्युत्पन्न हुए हों, वहां

निर्धारिती ऐसे लाभों और अभिलाभों के संबंध में कर राहत पाने का अधिकारी हो जाता है जो ऐसे निर्धारण वर्ष में औद्योगिक उपक्रम में लगाई गई पूंजी पर छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर तक होगी और उस निर्धारण वर्ष में अनुज्ञेय होगी, जिसमें उपक्रम वस्तुओं का विनिर्माण या उत्पादन प्रारंभ करता है और यह राहत प्रारंभिक निर्धारण वर्ष के बाद के ठीक चार वर्षों में से हर एक की वावत भी अनुज्ञात की जायेगी। अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों में व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति द्वारा कारखाना चलाने के लिये देय उधार ली गई राशि और ऋण को उस प्रयोजन के लिए पूंजी की संगणना करते समय परिसम्पत्तियों के मूल्य से घटा दिया जायेगा।

(i) निर्धारण वर्ष 1975-76 के सुसंगत पूर्व वर्ष में एक नया औद्योगिक यूनिट आरंभ करने वाली एक निर्धारिती कम्पनी के मामले में विभाग ने पूंजी की संगणना करते समय परिसम्पत्तियों के मूल्य से कम्पनी द्वारा लिये गये कुल ऋणों में से यूनिट से संबंधित अन्य ऋणों की आनुपातिक राशि को नहीं घटाया। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1975-76 में 71,81,884 रु० की पूंजी की अधिक संगणना की गई और जिससे 4,30,913 रु० की अधिक राहत दी गई। नए औद्योगिक उपक्रम में लाभ न होने के कारण, 4,30,913 रु० की अधिक राहत को अग्रणीत करने की अनुमति दे दी गई थी।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) एक निर्धारिती कम्पनी के एक नए औद्योगिक उपक्रम को, जो निर्धारण वर्ष 1970-71 के सुसंगत पूर्व वर्ष में राहत का हकदार था, इस वर्ष के लाभ और खाने के अनुसार 2,98,511 रु० की हानि हुई थी और इसलिए इस राहत का अधिकारी नहीं था। तथापि राहत का दावा करते हुए निर्धारिती ने अपने विवरण में हानि की रकम को लाभ के रूप में दिखा दिया और इस विवरण के आधार पर विभाग ने 2,98,511 रु० की गलत राहत अनुमत कर दी जिससे 1,64,181 रु० का कर अवप्रभारित हुआ और उसी सीमा तक कर का अधिक प्रतिदाय हो गया।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

2.14 अनियमित छूट का दिया जाना

आयकर अधिनियम, 1961 में यह व्यवस्था है कि भारत में औद्योगिक या कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त की व्यवस्था करने में लगे हुए वित्तीय निगम अधिनियम के अध्याय IV क के अन्तर्गत कोई कटौती देने से पूर्व संगणित उनकी कुल आय की विनिर्दिष्ट प्रतिशतता तक उनके द्वारा कराधेय लाभों में से एक विशेष आरक्षित लेखे को अन्त-रित की गई राशि के लिए ऐसे लाभों की संगणना में कटौती के अधिकारी हैं। बोर्ड ने नवम्बर 1969 में इस आशय के अनुदेश जारी किए कि यह कटौती, कटौती देने के पश्चात् निकली कुल आय पर विनिर्दिष्ट प्रतिशतता लागू करके परिकलित की जानी है। तत्पश्चात् बोर्ड ने नवम्बर 1973 में बैंकिंग विभाग को इस आशय का स्पष्टीकरण जारी किया कि वह प्रतिशतता पूर्वोक्त कटौती देने से पूर्व संगणित कुल आय पर लागू की जानी चाहिए। यह स्पष्टीकरण कानून के विपरीत होने के कारण लेखापरीक्षा में स्वीकार नहीं किया गया और इस मामले पर दिसम्बर 1975 में बोर्ड के साथ पत्र व्यवहार आरम्भ किया गया। जनवरी 1977 में बोर्ड ने बताया कि लेखापरीक्षा का दृष्टिकोण उनको स्वीकार्य था। तथापि इस विषय में आवश्यक अनुदेश अगस्त 1979 में ही जारी किए गए। इस बीच निर्धारण अधिकारी बोर्ड के नवम्बर, 1973 के स्पष्टीकरण पर अमल करते रहे। इसके कारण अनेक मंहगी भूले हुई।

ऐसी अनियमितताओं का उल्लेख लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1975-76 के पैरा 25 (iii) और लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1978-79 के पैरा 29 (i) में किया जा चुका है। लेखापरीक्षा में देखी गई ऐसी और भूलें नीचे दी गई हैं :—

6 आयुक्तों के प्रभार में आठ निगमों के मामले में यह पाया गया कि 1971-72 से 1978-79 तक के निर्धारण वर्षों के दौरान यह कटौती इस मोक को घटाने से पूर्व की निगम की आय की विहित प्रतिशतता पर निकाली गई थी। इसके परिणामस्वरूप 62,35,816 रु० की आय अवनिर्धारित हुई जिससे 36,57,826 रु० का कर अव-श्रभारित हुआ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि यह तथ्य कि बोर्ड को इस विषय पर तीन बार अनुदेश जारी करने पड़े, ही दर्शाता है कि यह मामला इतना

प्रकट या स्पष्ट नहीं था। तथापि विभाग द्वारा ये निर्धारण कुछ वर्षों के लिए संशोधित कर दिए गए हैं और अन्य वर्षों में कार्यवाही की जानी है।

2.15 पूंजी अभिलाभ की अनियमित संगणना

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत किसी पूंजीगत परिसम्पत्ति के अन्तरण से उद्भूत लाभ या अभिलाभ आय के रूप में कर के लिए प्रभाय है। पूंजी अभिलाभ अन्तरण पर प्राप्त या प्रोद्भूत प्रतिफल के मूल्य में से परिसम्पत्ति के अर्जन की लागत और उसमें किसी सुधार की लागत को कम करके अवधारित किया जाता है। जहां पूंजीगत परिसम्पत्ति निर्धारिती की या पहले वाले स्वामी की सम्पत्ति 1 जनवरी 1954 से पहले हो गई हो, वहां पूंजी अभिलाभ की राशि अवधारित करने के लिए निर्धारिती के विकल्प पर उस तारीख को परिसम्पत्ति के अर्जन की वास्तविक लागत की जगह उसका उचित बाजार मूल्य प्रतिस्थापित किया जाना अनुमत है। ऐसी परिसम्पत्ति के मामले में जिस पर आय की संगणना में मूल्यह्रास अनुमत किया जा चुका है, परिसम्पत्ति के अर्जन की लागत इस प्रकार समायोजित अवलेखित मूल्य होगा। न्यायिक रूप से यह निर्णीत हो चुका है कि मूल्यह्रास योग्य परिसम्पत्तियों के मामले में, 1 जनवरी 1954 के उचित बाजार मूल्य को प्रतिस्थापित किए जाने की रियायत केवल तभी उपलब्ध है यदि परिसम्पत्ति निर्धारिती की सम्पत्ति दान या वसीयतनामे द्वारा या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के संविभाजन पर परिसम्पत्तियों के वितरण पर या फर्म के विघटन या अन्य विनिर्दिष्ट रीति द्वारा बनी हो। परन्तु यदि ऐसी परिसम्पत्तियां निर्धारिती द्वारा खरीद कर अर्जित की गई हो, तो यह रियायत नहीं मिलेगी।

(i) एक कम्पनी के मामले में निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए, जो अगस्त 1977 में पूरा किया गया था, एक फैक्टरी भवन के बारे में जिसे 15,61,644 रु० में बेचा गया था, 2,09,316 रु० का पूंजी अभिलाभ अवधारित किया गया। पूंजी अभिलाभ भवन के 1 जनवरी 1954 के 13,52,328 रु० के उचित बाजार मूल्य को लेकर निकाला गया था। चूंकि निर्धारिती ने भवन क्रय करके अर्जित किया था और उस पर मूल्यह्रास वर्षानुवर्ष अनुमत किया गया था, इसलिए निर्धारिती अर्जन की लागत के रूप में 1 जनवरी 1954 के उचित बाजार मूल्य को प्रति-

स्थापित करने का अधिकारी नहीं था। जैसी कि कानून में व्यवस्था है, इस मामले में अर्जन की लागत, बिक्री के समय हुए 41,936 रु० के आवधिक लाभ द्वारा समायोजित किए जाने पर 17,114 रु० के अवलेखित मूल्य को हिसाब में लेते हुए 59,050 रु० निकलेगी। चूंकि फैक्टरी भवन 15,61,644 रु० में बेचा गया था, इस पर विभाग द्वारा निर्धारित 2,09,316 रु० का पूंजी अभिलाभ न होकर 15,02,594 रु० निकलेगा। उचित बाजार मूल्य के गलत प्रतिस्थापन के फलस्वरूप 5,81,975 रु० का कर कम लगा। इसके अतिरिक्त परिसम्पत्ति की लागत और उसके अवलेखित मूल्य के अन्तर के रूप में आवधिक लाभ भी निर्धारित की कारवार की आय के रूप में निर्धार्य था। ऐसा न किए जाने से कारवार की 41,936 रु० की आय अवनिर्धारित हुई और 24,218 रु० का कर कम लगा। कुल मिलाकर 6,06,193 रु० का कर कम लगाया गया।

पैरा वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1980)।

(ii) एक निर्धारित कम्पनी पर निर्धारण वर्ष 1976-77 में एक विदेशी कम्पनी के शेयर बेचने में हुए 20,55,067 रु० के पूंजी अभिलाभ पर निर्धारण किया गया। पूंजी अभिलाभ की संगणना करते समय कम्पनी को संबंध शेयरों का 1 जनवरी 1954 से उचित बाजार मूल्य प्रतिस्थापित करने की अनुमति दे दी गई परन्तु शेयरों का मूल्य जो पौंड स्टर्लिंग में दिया हुआ था, 18 रु० प्रति पौंड स्टर्लिंग की दर से परिवर्तित किया गया यद्यपि 1 अप्रैल, 1954 को लागू सही दर 13.33 रु० प्रति पौंड स्टर्लिंग थी। गलत दर लागू किए जाने से निर्धारण वर्ष 1976-77 में शेयरों के अर्जन की लागत की संगणना 3,93,641 रु० अधिक हो गई और 2,27,327 रु० का कर अवप्रभारित हुआ।

पैरा वित्त मंत्रालय को अगस्त 1980 में भेजा गया था, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1980)।

2.16 निर्धारण से छूट गई आय

(i) जून 1966 में भारतीय मुद्रा के अवमूल्यांकन के फलस्वरूप एक निर्धारित कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1967-68 के सुसंगत पूर्व वर्ष

के अपने लेखाओं में भारत के बाहर से खरीदी गई वस्तुओं की कीमत अदा करने की देयता में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए 19,48,067 रु० का प्रावधान किया। यह प्रावधान जो प्रारम्भ में विभाग द्वारा अनुमत नहीं किया गया था, बाद में अपीलिय प्राधिकारियों के आदेशों पर अगस्त 1972 में किए गए संशोधित निर्धारण में अनुमत कर दिया गया।

नवम्बर 1967 में पौंड स्टर्लिंग के अवमूल्यन के फलस्वरूप वस्तुओं की उपरोक्त लागत की अदायगी के लिए कम्पनी की रूपयों की देयता 8,08,341 रु० कम हो गई और कम्पनी द्वारा यह रकम निर्धारण वर्ष 1969-70 के सुसंगत पूर्व वर्ष के लेखाओं में क्रेडिट कर दी गई। कम्पनी की निर्धारण वर्ष 1969-70 की कारवार से हुई आय की मार्च 1971 में संगणना करते समय विभाग ने 8,08,341 रु० की राशि इस आधार पर शामिल नहीं की कि 19,48,067 रु० की अतिरिक्त देयता निर्धारण वर्ष 1967-68 में अनुमत नहीं की गई थी। 19,48,067 रु० की देयता अनुमत करने के लिए अगस्त 1972 में 1967-68 का निर्धारण संशोधित करने पर 1969-70 का निर्धारण भी सुसंगत पूर्व वर्ष के लेखाओं में क्रेडिट की गई 8,08,341 रु० की देयता की कमी पर कर लगाने के लिए संशोधित किया जाना अपेक्षित था। ऐसा करने में चूक हो जाने से निर्धारण वर्ष 1969-70 में आयकर, अतिकर और व्याज के रूप में कुल मिलाकर 4,87,687 रु० अवप्रभारित हुए।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 में निर्धारिती द्वारा किए जाने वाले कारवार के प्रयोजन के लिए किए गए व्यय अथवा व्यापारिक देयता के बारे में निर्धारिती की आय में से मोक या कटौती दिए जाने की व्यवस्था है। परन्तु यदि बाद की किसी तारीख को निर्धारिती ने ऐसे व्यय अथवा व्यापारिक देयता के बारे में जो पहले अनुमत कर दी गई थी, कोई फायदा उसके परिहार अथवा समाप्ति के तौर पर अधिप्राप्त किया है, तो उससे प्रोद्भूत फायदा कारवार या वृत्ति का लाभ या अभिलाभ समझा जाएगा और उस पर उस पूर्व वर्ष की आय के रूप में जिसमें ऐसा परिहार या समाप्ति हुई है, आयकर प्रभारित किया जाना चाहिए।

निर्धारण वर्ष 1976-77 के सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए एक निर्धारित कम्पनी के लेखाओं में पहले के वर्षों में किए गए उपदान प्रावधान के कारण 14,43,562 रु० की रकम प्रतिलेखित की गई। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारण वर्ष 1971-72 और 1972-73 के निर्धारणों में 1,04,642 रु० तक की उपदान देयता पहले अनुमत की जा चुकी थी। तदनुसार 1,04,642 रु० की राशि को निर्धारण वर्ष 1976-77 में कर के लिए प्रभार्य आय के रूप में लिया जाना चाहिए था। ऐसा न किए जाने से निर्धारण वर्ष 1976-77 में 1,04,642 रु० की आय कर लगाने से छूट गई जिसके फलस्वरूप अनुमान पर अग्रिम कर की कम अदायगी के लिए 21,755 रु० के शास्तिक ब्याज सहित 65,924 रु० का कर अवप्रभारित हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(iii) अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि यदि निर्धारित की ऐसे किसी व्यय का प्रतिदाय मिलता है जिसकी कटौती किसी वर्ष के निर्धारण में पहले दी जा चुकी है, तो इस प्रतिदाय पर आयकर उस वर्ष की आय मान कर लगाया जाएगा जिसमें यह प्राप्त हुआ है। लोक लेखा समिति ने पहले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रतिदायों के प्रकट न किए जाने के एक मामले की जांच की थी और उनकी सिफारिशों उनकी 51वीं रिपोर्ट (छठी लोक सभा) के पैरा 1.44 में दी गई है।

निर्धारण वर्ष 1977-78 के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान एक निर्धारित कम्पनी को 1,09,037 रु० के विक्री कर का प्रतिदाय तथा 36,188 रु० की एक और रकम उत्पाद शुल्क के प्रतिदाय के रूप में मिली। चूंकि विक्री कर और उत्पाद शुल्क की अदायगी को संबद्ध पूर्व वर्षों के निर्धारणों में अनुज्ञेय व्यय के रूप में अनुमत किया जा चुका था। प्रतिदायों की राशि को प्रतिदाय के वर्ष में आय के रूप में लिया जाना चाहिए था और उस पर कर लगाया जाना चाहिए था। ऐसा न करने से 83,864 रु० का कर अवप्रभारित हुआ।

पैरा वित्त मंत्रालय को जुलाई 1980 में भेजा गया था; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1980)।

(iv) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत शीर्ष "कारवार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" के अन्तर्गत आय निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अपनाई गई लेखा पद्धति के अनुसार संगणित की जाती है। यदि निर्धारिती द्वारा लेखाकरण की वाणिज्यिक प्रणाली अपनाई जाती है तो सभी आय प्रोद्भूत आधार पर लेखाबद्ध की जानी और कर के लिए निर्धारित की जानी अपेक्षित है।

लेखाकरण की वाणिज्यिक प्रणाली अपनाने वाली दो निर्धारिती कम्पनियों के मामले में एक सहयोगी समुत्थान को दिए गए कर्जे पर प्राप्य व्याज की एक मात्र मद के बारे में 1973-74 से 1975-76 तक के निर्धारण वर्षों के सुसंगत पूर्व वर्षों के दौरान लेखाकरण की प्रणाली को प्रोद्भूत से बदल कर नकद आधार पर कर दिया गया। निर्धारिती द्वारा लेखाकरण की प्रणाली में किए गए इस अनियमित परिवर्तन के फलस्वरूप 1973-74 से 1975-76 तक के तीन निर्धारण वर्षों में कुल मिलाकर 7,91,790 रु० की व्याज की आय निर्धारण से छूट गई जिससे 4,56,958 रु० का कर अवप्रभारित हुआ।

पैरा वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1980)।

(v) आय कर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी व्यक्ति की कुल आय में ऐसी सभी आय शामिल करनी चाहिए जो उसे उस वर्ष के दौरान प्रोद्भूत होती है अथवा प्राप्त होती है। जहां कोई निर्धारिती अपने लेखे वाणिज्यिक प्रणाली पर रखता है, तो निर्धारण के लिए संगणित आय में वास्तव में उपार्जित आय लेनी चाहिए चाहे वह प्राप्त न हुई हो। ऐसा किसी राशि के कानूनी रूप से प्राप्त होने पर तुरन्त क्रेडिट करके किया जाना चाहिए यद्यपि वह उस वर्ष में वास्तव में प्राप्त न हुई हो।

एक निर्धारिती कम्पनी के मामले में उसके लाइसेंस की अवधि समाप्त होने पर इसका विद्युत शक्ति के उत्पादन और दो नगरों को बिजली की आपूर्ति का कारवार राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ले लिया गया। सितम्बर 1969 और जुलाई 1972 के न्यायालय के आदेशों के फलस्वरूप निर्धारिती कम्पनी क्षतिपूर्ति की अदा न की गई राशि पर व्याज के हकदार

हो गई। यद्यपि कम्पनी अपने लेखा वाणिज्यिक प्रणाली पर रखती थी, कम्पनी ने प्राद्वृत व्याज की कुछ राशि निर्धारण वर्ष 1973-74 में दिखाने के अतिरिक्त 1970-71 से 1977-78 तक के निर्धारण वर्षों में इसे नहीं दिखाया और न ही निर्धारण अधिकारी ने इस पर कर निर्धारण किया। परिणामस्वरूप 6,00,390 रु० की कुल राशि निर्धारण से छूट गई जिससे 3,51,590 रु० का कर कम लगाया गया।

पैरा वित्त मंत्रालय को अगस्त 1980 में भेजा गया था; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1980)।

2.17 हानियों का अनियमित मुजरा किया जाना

(i) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन जहां पूंजी अभिलाभ से भिन्न आय के किसी शीर्ष के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए की गई संगणना का अन्तिम परिणाम हानि होती है और निर्धारित की पूंजी अभिलाभ के अधीन आय है, वहां ऐसी हानि का मुजरा उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण योग्य पूंजी अभिलाभ सहित किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय के प्रति किया जाएगा। जहां निर्धारित कोई विकल्प देता है वहां ऐसी हानि का मुजरा अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों की आय से या अन्य किसी शीर्ष के अधीन आय के प्रति ही किया जा सकेगा।

एक कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1973-74 के सुसंगत पूर्व वर्ष में राज्य सरकार और एक नगर सुधार न्यास द्वारा अधिगृहीत 1,16,590 रु० की लागत के भूखण्डों के बारे में 6,90,743 रु० की क्षतिपूर्ति प्राप्त की। कम्पनी ने पंचाट के विरुद्ध न्यायालय में निर्देश आवेदन दिया और निर्णय होने तक पंचाट से प्राप्त क्षतिपूर्ति की राशि को अन्य देयताओं के अधीन रखा। पंचाट से प्राप्त क्षतिपूर्ति से उद्भूत होने वाले 5,74,153 रु० के पूंजी अभिलाभ को कम्पनी द्वारा विवरणी में नहीं दिखाया गया और विभाग ने भी इसका निर्धारण नहीं किया।

कम्पनी द्वारा कोई विकल्प न दिए जाने की स्थिति में निर्धारण वर्ष 1973-74 के सुसंगत पूर्व वर्ष में निर्धारणीय 5,74,153 रु० के पूंजी अभिलाभ का वर्ष के कारवार से होने वाली हानि के प्रति मुजरा किया जाना अपेक्षित था। ऐसा न किए जाने के परिणामस्वरूप कारवार

से होने वाली हानि की 5,74,153 रु० की अधिक संगणना हुई और उतनी ही अधिक हानि अप्रैनीत की गई।

पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को जुलाई 1980 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

(ii) अधिनियम में इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी है कि एक कम्पनी जिसका मुख्य कारबार शेयरों का व्यापार करना है, एक व्यापारिक कम्पनी है और अन्य कम्पनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री में उसको हुई हानि सट्टे के कारबार में हुई हानि है और ऐसी हानि का मुजरा किसी अन्य सट्टे के कारबार के लाभों के प्रति, यदि कोई हो, किए जाने के सिवाए किसी अन्य कारबार के प्रति नहीं किया जाएगा। तथापि, एक ऐसी निवेश कम्पनी या एक ऐसी कम्पनी जिसका मुख्य कारबार बैंककारी कारबार है या जो कर्जे और पेशगियां देती हैं, के मामले में अन्य कम्पनियों के शेयरों की खरीद और बिक्री का कारबार सट्टे का कारबार नहीं है।

निर्धारण वर्ष 1978-79 के सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए एक कम्पनी के निर्धारण में कुल हानि की संगणना 2,17,989 रु० पर की गई जिसमें सट्टे के कारबार के कारण 2,00,400 रु० की हानि शामिल थी। निर्धारिती कम्पनी द्वारा भेजे गए ब्यारे से यह देखने में आया कि इसे शेयरों की खरीद व बिक्री के कारण 1,93,266 रु० की और हानि हुई थी। यह कम्पनी एक व्यापारिक कम्पनी थी जिसका कारबार मुख्यतया शेयरों का व्यापार करना था इसलिए 1,93,266 रु० की हानि सट्टे के कारबार की हानि थी और कम्पनी की कारबार आय के प्रति समायोजनीय नहीं थी। चूकि विभाग ने 1,93,266 रु० की हानि को सट्टे के कारबार से हानि के रूप में संगणित नहीं किया था इसलिए निर्धारण वर्ष 1978-79 में 1,60,154 रु० की कुल आय का अवनिर्धारण हुआ जिसके कारण 92,489 रु० का कर अवप्रभारित हुआ।

एक अन्य मामले में एक निर्धारिती कम्पनी चाय का उत्पादन और विनिर्माण करने वाली कम्पनी थी। फरवरी 1976 में कम्पनी ने 2,85,000 रु० की लागत पर एक अन्य कम्पनी से शेयर खरीदे। मार्च

1976 में कम्पनी ने शेयर 2,15,175 रु० पर बेच दिए जिससे 69,825 रु० की हानि हुई। चूंकि निर्धारिती एक निवेश कम्पनी नहीं थी इसलिए 69,825 रु० की राशि की हानि सट्टे के कारवार की हानि थी और इसका मुजरा, किसी अन्य सट्टे के कारवार के लाभों और अभिलाभों के प्रति, यदि कोई हो, किए जाने के सिवाए नहीं किया जा सकता था। तथापि विभाग ने हानि को अल्पकालिक पूंजी हानि के रूप में निर्धारित किया और इसे निर्धारिती की कारवार आय के प्रति मुजरा किया जाना अनुज्ञात किया। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1977-78 में 69,825 रु० की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप आय की विवरणी दाखिल करने में विलम्ब और अग्रिम कर की अदायगी न करने के कारण 2,823 रु० के कम प्रभारित व्याज सहित 40,327 रु० का कर अवप्रभारित हुआ।

पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

(iii) आयकर अधिनियम, 1961 जैसा कि यह 1 अप्रैल, 1978 से पूर्व लागू था, के उपबन्धों के अधीन किसी ऐसी कम्पनी जिसका विलयन समामेलन की किसी योजना के अधीन किसी अन्य कम्पनी के साथ होता है, तो उसकी संचित कारवार हानि और उसके अनवशोपित मूल्यहास को अन्य कम्पनी द्वारा अपने लाभों के प्रति अग्नेीत या मुजरा नहीं किया जा सकता।

निर्धारण वर्ष 1977-78 के दौरान एक कम्पनी का विलयन समामेलन की किसी योजना के अधीन एक अन्य कम्पनी के साथ हुआ। इस निर्धारण वर्ष के लिए (समामेलित) कम्पनी की कुल आय की संगणना करते समय विभाग ने उसके लाभ के प्रति दोनों कम्पनियों के पूर्ववर्ती वर्षों की अनवशोपित कारवार हानि और मूल्य हास मोक को मुजरा कर दिया जिसकी राशि 1,89,950 रु० थी। इसमें से 1,15,126 रु० की राशि समामेलित होने वाली कम्पनी से संबंधित थी। 1,15,126 रु० की उपरोक्त हानि का मुजरा किया जाना सही नहीं था और इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1977-78 में उतनी ही राशि का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप 72,272 रु० का कर अवप्रभारित हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया है।

2.18 अपीलीय आदेशों को लागू करते समय निर्धारण में गलती

(i) निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए एक निर्धारिती कम्पनी के मामले में आयकर अपीलीय अधिकरण द्वारा इस मत की परिष्पुष्टि कर दी गई थी कि कपास के अन्तिम स्टाक का मूल्य 13,15,249 रु० के खाता मूल्य पर लेने के बजाए 11,30,123 रु० के बाजार मूल्य पर लिया जाना चाहिए। अधिकरण के आदेशों को 20 सितम्बर, 1978 से लागू किया गया था जिससे 1,85,126 रु० की आय कम हो गई। तथापि, आगामी निर्धारण वर्ष अर्थात् 1973-74 का निर्धारण जिसे कपास के 13,15,249 रु० मूल्य के आरम्भिक स्टाक के आधार पर पहले से ही अन्तिम रूप दिया जा चुका है, कपास के आरम्भिक स्टाक के मूल्य को ध्यान में रखते हुए संशोधित नहीं किया गया हालांकि 28 सितम्बर, 1978 को कुछ अन्य कारणों से निर्धारण को संशोधित किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए 1,85,126 रु० की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप 1,06,910 रु० का कर अवप्रभारित हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया है कि विचाराधीन निर्धारण 1,06,910 रु० की अतिरिक्त मांग भेजते हुए, संशोधित किया जा चुका है।

(ii) एक निर्धारिती कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1969-70 और 1970-71 के सुसंगत पूर्व वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास पर क्रमशः 2,05,066 रु० और 49,108 रु० का व्यय किया। दोनों ही निर्धारण वर्षों के आयकर निर्धारणों में आयकर अधिकारी ने उपरोक्त व्यय को पूंजीगत व्यय माना और उसे अनुज्ञात नहीं किया। निर्धारण वर्ष 1969-70 से 1975-76 के आयकर निर्धारणों में पूंजीगत व्यय पर अलग से मूल्यह्रास अनुज्ञात किया गया और अनुज्ञात किए गए मूल्यह्रास की कुल राशि 1,75,333 रु० थी। इसके बाद, निर्धारण वर्ष 1969-70 और 1970-71 के निर्धारणों को अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेशों को लागू करने के लिए नवम्बर 1978 के दौरान संशोधित किया गया था। अपीलीय सहायक आयुक्त का यह मत था कि 2,05,066 रु० और 49,108 रु० के व्यय की राशियों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाना चाहिए था और निर्धारिती की आय की संगणना में कटौतियों के

रूप में अनुज्ञात किया जाना चाहिए था। परिणामस्वरूप 1969-70 से 1975-76 के निर्धारण वर्षों के लिए उन पर अनुज्ञात किए गए मूल्यहास को वापस ले लिया जाना चाहिए था। तथापि केवल निर्धारण वर्ष 1969-70 और 1970-71 के लिए अनुज्ञात मूल्यहास को ही वापस लिया गया। इस प्रकार, निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1975-76 के लिए 1,39,393 रु० का मूल्यहास अधिक अनुज्ञात किया गया। इसके परिणामस्वरूप 80,501 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया है। विचाराधीन निर्धारण को संशोधित किया जा चुका है और 80,501 रु० के अतिरिक्त कर की मांग की गई है।

(iii) निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए एक निर्धारिती कम्पनी की आय का निर्धारण करते समय आयकर अधिकारी ने 2,08,610 रु० की राशि को, संयंत्र और मशीनरी पर किया गया पूंजीगत व्यय मानकर इसे लाभ और हानि लेखे को डेबिट कर दिया और 52,157 रु० की कटौती विकास रिबेट के लिए और 41,722 रु० की कटौती मूल्यहास के लिए अनुज्ञात की। निर्धारिती द्वारा अपील किए जाने पर अपोलीय सहायक आयुक्त ने निर्धारिती की इस दलील की परिपुष्टि कर दी कि व्यय राजस्व प्रकार का था और इसलिए यह आय की संगणना में कटौतीयोग्य था। 27 मार्च, 1978 को अपीलीय आदेशों को लागू करते समय मूल्यहास और विकास रिबेट के लिए मूलतः अनुज्ञात कटौतियों को वापस नहीं लिया गया। इसके परिणामस्वरूप 93,879 रु० की आय का अवनिर्धारण हुआ और फलस्वरूप 54,216 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया है कि विचाराधीन निर्धारण को परिशोधित कर दिया गया है और मांगी गई और संगृहीत की गई अतिरिक्त कर की राशि 54,216 रु० है।

(iv) निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए एक निर्धारिती कम्पनी की आय की संगणना करते समय कम्पनी द्वारा देय अनुसंधान अंशदान तथा उस पर देय 1,28,593 रु० के आयकर, जो निर्धारिती कम्पनी द्वारा अदा कर दिया गया था, के बारे में कटौती अनुज्ञात की गई थी।

उसके बाद, आयकर अपीलिय अधिकरण के आदेशों के आधार पर, जिसका यह निर्णय था कि अनुसंधान अंशदान पर कोई कर देय नहीं था, निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 1975-76 के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान 1,28,593 रु० के कर का प्रतिदाय प्राप्त किया। इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने निर्धारण वर्ष 1971-72 के लिए निर्धारण को जुलाई 1977 में पुनः खोला और निर्धारिती को अनुज्ञात 1,28,593 रु० की कटौती वापस ले ली गई। तथापि, अपीलिय सहायक आयुक्त द्वारा फरवरी, 1978 में इसे रद्द कर दिया गया जिसने यह निर्णय दिया कि प्रतिदाय पर इसकी प्राप्ति के वर्ष में अर्थात् निर्धारण वर्ष 1975-76 में कर लगना था। किन्तु निर्धारण वर्ष 1975-76 के निर्धारण को मार्च 1978 में अन्तिम रूप देते समय सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त हुए 1,28,593 रु० के प्रतिदाय को कुल आय में शामिल नहीं किया गया था। इसके परिणाम-स्वरूप 1,28,593 रु० की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप उची सीमा तक हानि की अधिक संगणना हुई।

पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

2.19 अधिक या अनियमित प्रतिदाय

आयकर अधिनियम, 1961 में यह निर्धारित है कि प्रतिदाय के लिए अन्तिम निर्धारण करते समय विवरणी में घोषित की गई आय या हानि का समायोजन आयकर अधिकारी द्वारा अधिनियम में निर्धारित सीमा तक किया जा सकेगा। यद्यपि अधिनियम में अग्नेीत असमायोजित हानि के समायोजन की व्यवस्था है तथापि उन पूर्ववर्ती पूर्व वर्षों से सम्बन्धित हानियों, जिनके बारे में निर्धारण अभी अनिर्णीत हो, को अनुज्ञात करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अधिनियम में ऐसी मदों को अनुज्ञात न करने की व्यवस्था है जो प्रत्यक्षतः मना करने योग्य हैं।

निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए एक निर्धारिती कम्पनी के अन्तिम निर्धारण में जिसे जनवरी 1978 में पूरा किया गया था, निर्धारण वर्ष 1976-77 की विवरणी में दाखिल की गई 9,22,835 रु० की हानि को मुजरा किया जाने के लिए निर्धारिती का दावा अनुज्ञात किया गया और 2,87,420 रु० का प्रतिदाय निर्धारिती को किया गया। निर्धारण वर्ष

1976-77 से सम्बन्धित हानि का समायोजन नियमानुसार नहीं था जबकि उस वर्ष के लिए नियमित निर्धारण अभी होना था। इसके अतिरिक्त मशीनरी की लागत पर निर्धारिती द्वारा दावा किए गए 1,38,135 रु० के मूल्यह्रास की राशि जो पूर्ववर्ती वर्षों में वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पर पूंजीगत व्यय के रूप में कटौती के रूप में अनुज्ञात की गई थी, उसे मना नहीं किया गया यद्यपि वह प्रत्यक्षतः मना करने योग्य थी। इसके अतिरिक्त 1,54,640 रु० की राशि, जो उपदान के लिए प्रावधान के रूप में दिखाई गई थी, इस बात के बावजूद अनुज्ञात नहीं की गई थी कि उपदान के लिए प्रावधान पूर्ववर्ती वर्षों में निर्धारिती को नियमित रूप से अनुज्ञात किया जा रहा था। यदि अनन्तिम निर्धारण कानून के अनुसार किया गया होता तो निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए निर्धारिती को किया गया 2,87,420 रु० का प्रतिदाय उद्भूत ही न होता।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया है कि विचाराधीन निर्धारण परिशोधित किया जा चुका है और मांग की गई और संगृहीत की गई अतिरिक्त कर की राशि 2,87,420 रु० है।

2.20 व्याज/शास्ति का न लगाया जाना

(i) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन यदि कोई व्यक्ति, जो किसी ठेकेदार और कम्पनी के बीच संविदा के अनुसरण में श्रमिकों की आपूर्ति सहित किसी काम करने के लिए किसी निवासी ठेकेदार को कोई राशि देने का उत्तरदायी हो जो पांच हजार रुपए से अधिक हो तो ऐसी राशि को ठेकेदार के खाते में जमा करने के समय या उसकी अदायगी करने के समय, इनमें से जो भी पहले है, ऐसी राशि के दो प्रतिशत के बराबर रकम आयकर के रूप में काटेगा। कर की कटौती करने में असफल रहने के कारण कम्पनी उस तारीख से, जिसको ऐसे कर की कटौती की जानी थी उस तारीख तक जिसमें ऐसा कर वास्तव में अदा किया गया था, ऐसे कर की रकम पर बारह प्रतिशत व्याज देने के दायित्वाधीन होगी। इस मामले में कम्पनी इस बात के भी दायित्वाधीन है कि शास्ति की वह राशि अदा करे जिसके लिए आयकर अधिकारी निदेश दें परन्तु वह राशि बकाया कर की राशि से अधिक नहीं होगी।

एक कम्पनी ने जिसने निर्धारण वर्ष 1973-74 से 1975-76 के सुसंगत पूर्व वर्षों के दौरान अपने निवासी ठेकेदारों को 2,15,95,733 रु० की कुल अदायगियां कीं, ऐसी अदायगियों से 4,31,915 रु० का कर नहीं काटा। ऐसा करने में असफल रहने के कारण कम्पनी शास्तिक व्याज और व्याज के लिए कुल 3,02,009 रु० अदा करने के दायित्वाधीन हो गई। लेखापरीक्षा द्वारा अप्रैल 1978 में गलती की ओर ध्यान दिलाया गया और उपचारी कार्यवाही मई 1979 में की गई।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया है कि 2,58,819 रु० का व्याज लगाया गया है और 43,190 रु० की शास्ति लगाई गई है।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन जहां मांग नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि नोटिस के तामील कराए जाने के पैंतीस दिनों के भीतर अदा नहीं की जाती है वहां निर्धारित उपरोक्त पैंतीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद आरम्भ होने वाले दिन से कर की अदायगी की तारीख तक व्याज की अदायगी करने के दायित्वाधीन हो जाता है। इसके अतिरिक्त, यदि कर की राशि या अन्य कोई राशि, जिसके सम्बन्ध में ऐसा व्याज देय है, किसी ऐसे वित्तीय वर्ष के अन्त से पहले अदा नहीं की गई हो तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में उपरोक्त व्याज को परिकलित किया जाना अपेक्षित है।

एक निर्धारित कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए उससे मांग किए गए कर की अदायगी पैंतीस दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नहीं की। चूंकि निर्धारित ने चूक की थी, इसलिए 31-12-1979 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए कर की विलम्बित अदायगी/न अदायगी करने के लिए 5,92,660 रु० की सीमा तक व्याज प्रभार्य था, जो विभाग ने नहीं लगाया। लेखापरीक्षा द्वारा गलती की ओर जनवरी 1980 में ध्यान दिलाया गया।

पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

अन्य ध्यान देने योग्य बातें

2.21 पुनः खोल गए या रद्द किए गए निर्धारणों को पूरा न किया जाना

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए और उस तक अधिनियम की धारा 146 के अधीन अपील या पुनरीक्षण में निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने के आदेशों के अनुसरण में नए निर्धारण करने के लिए कोई अवधि सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

निर्धारण वर्ष 1963-64, 1964-65, 1966-67 और 1969-70 के लिए एक कम्पनी की 13,21,016 रु०, 50,000 रु०, 18,52,338 रु० और 3,49,415 रु० की कुल आय पर सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार निर्धारण 6-3-1968, 26-3-1969, 10-3-1971 और 6-3-1972 को पूरे किए गए जिसमें क्रमशः 7,67,758 रु०, 25,300 रु०, 15,23,997 रु० और 2,70,660 रु० की मांगें उठाई गईं। निर्धारण वर्ष 1965-66, 1967-68, 1968-69 और 1970-71 के लिए नियमित निर्धारणों के रूप में 23,10,840 रु०, 16,02,252 रु०, 11,36,478 रु० और 84,970 रु० की कुल आय पर निर्धारण 12-3-1970, 24-2-1972 और 19-9-1973 को पूरे किए गए जिसमें क्रमशः 17,21,000 रु०, 10,41,460 रु०, 7,38,712 रु० और 71,863 रु० की मांगें उठाई गईं। इन सभी के लिए निर्धारण जनवरी 1969 से मार्च 1975 की अवधि के दौरान या तो पुनः आरम्भ किए गए या अपास्त कर दिए गए। जनवरी 1980 में लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि इनमें से किसी भी मामले में नए निर्धारण नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1963-64 से 1970-71 के लिए निर्धारिती की आय बिना निर्धारण के पड़ी रही और मूल निर्धारणों की तिथियों के संदर्भ में विभिन्न वर्षों के लिए निर्धारिती को भेजी गई लगभग 61.61 लाख रु० की कुल मांग 5 से 11 वर्षों के बीच की अवधियों के लिए बिना वसूली पड़ी थी। निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 1963-64 के सुसंगत 31-5-1962 को समाप्त होने वाले इसके लेखाओं के पहले वर्ष से लेकर ही नियमित निर्धारणों के रूप में कोई कर अदा नहीं किया गया था।

पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (सितम्बर 1980)।

2.22 घुड़दौड़ हानियों का मुजरा किया जाना

आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जैसा कि वह निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए विद्यमान था, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन निर्धारणीय घुड़दौड़ों सहित दौड़ों से उद्भूत होने वाली किसी हानि का मुजरा उसी स्रोत से आय, यदि कोई हो, के प्रति किया जा सकता था किन्तु अन्य किसी स्रोत से आय या किसी अन्य शीर्ष के अधीन आय के प्रति नहीं किया जा सकता था।

एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के मामले में, निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए मूल निर्धारण जनवरी 1975 में पूरा किया गया था जिसमें घुड़ दौड़ से हुई 17,126 रु० की हानि को कारबार की आय के प्रति मुजरा करने की अनुमति नहीं दी गई थी। बाद में अपीलीय सहायक आयुक्त के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए जून 1976 में निर्धारण में सुधार किया गया जिसने घुड़ दौड़ से हुई न केवल निर्धारण वर्ष 1974-75 के सुसंगत पूर्व वर्ष की हानि को वरन् पिछले वर्षों की हानियों को जिनकी कुल राशि 77,521 रु० बनती थी, भी निर्धारिती की कारबार की 77,521 रु० की आय के प्रति पूर्ण रूप से मुजरा किए जाने की अनुमति दी जिससे उसकी कुल आय घट कर शून्य हो गई। विभाग द्वारा आगे अपील किए जाने पर जनवरी 1978 के अपने आदेश में अपीलीय अधिकरण ने अपीलीय सहायक आयुक्त के निर्णय को रद्द कर दिया और आयकर अधिकारी के आदेश को फिर से बहाल कर दिया जिसमें घुड़दौड़ से हुई हानियों को कारबार की आय के प्रति मुजरा किए जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। तथापि, अधिकरण के आदेश को लागू करने के लिए विभाग द्वारा 1½ वर्ष से अधिक समय तक कोई कार्यवाही नहीं की गई जब तक कि अक्टूबर 1979 में लेखापरीक्षा द्वारा इसकी ओर ध्यान नहीं दिलाया गया था। अधिकरण के आदेश के फलस्वरूप वसूली योग्य 52,908 रु० की रकम का संग्रहण करने में विलम्ब हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

2.23 जांच के लिए राजस्व लेखापरीक्षा को अभिलेखों का न प्रस्तुत किया जाना।

आयकर कार्यालयों की स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम काफी पहले और कम से कम स्थानीय लेखापरीक्षा प्रारम्भ करने से एक मास पूर्व

तैयार कर लिया जाता है। विभाग को सूचना दे दी जाती है ताकि वे लेखापरीक्षा संवीक्षा के लिए सम्बद्ध अभिलेखों को तैयार रखे। अक्टूबर 1968 के बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार जिन पर अप्रैल 1970 में जोर दिया गया था, स्थानीय लेखापरीक्षा के लिए मांगे गए अभिलेखों को आयकर कार्यालयों द्वारा लेखापरीक्षा आरम्भ करने के दिन उपलब्ध कराया जाना चाहिए और यदि कोई विशेष अभिलेख उपलब्ध न हो तो एक टिप्पणी में उसके कारणों को विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए और थोड़े कारणों से आयकर अधिकारियों द्वारा अभिलेखों को कदापि नहीं रोका जाना चाहिए। 1973-74 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा जांच के लिए अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने के बारे में लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1973-74 के पैराग्राफ 46 में टिप्पणी की गई थी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा मई 1975, जून 1977 और मार्च 1979 में इस विषय में और अनुदेश जारी किए गए थे।

तथापि, तमिलनाडु में सात आयुक्तों के प्रभार में 1979-80 में लेखापरीक्षा को दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के संबंध में स्थिति की समीक्षा से पता चला था कि स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। ऐसे मामलों को जिनमें अपीलीय प्राधिकारियों के पास अभिलेखों के रुके रहने अथवा क्षेत्राधिकार में परिवर्तन के फलस्वरूप अन्य निर्धारण अधिकारियों को उनके अंतरित कर दिए जाने के कारण लेखापरीक्षा को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जा सके, छोड़ दिए जाने के बाद भी 1979-80 में 146 आयकर वार्डों में प्रस्तुत न किए गए निर्धारण मामलों की संख्या 2064 थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:—

1979-80 में चालू लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या	1,128
1978-79 में पिछली लेखापरीक्षा और 1979-80 में चालू लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या	870
पिछली दो लेखापरीक्षाओं अथवा उससे पहली लेखापरीक्षा के दौरान और 1979-80 में चालू लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत न किए गए मामलों की संख्या	66

जोड़

2,064

सामान्यतः अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने के ये कारण बताए गए थे : (i) आयकर वार्डों में अभिलेखों को तुरन्त नहीं खोजा जा सका था (ii) विभागीय आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा अभिलेखों की जांच की जा रही थी। चूंकि लेखापरीक्षा कार्यक्रम की सूचना काफी पहले दे दी गई थी इसलिए विभाग लेखापरीक्षा द्वारा जांच के लिए सभी फाइलों को तैयार रख सकता था। लेखापरीक्षा के लिए अभिलेखों के प्रस्तुत करने में ऐसे विलम्ब से लेखापरीक्षा संवीक्षा निष्फल हो जाती है क्योंकि ऐसी कार्यवाही के लिए निहित अवधि सीमा के व्यतीत हो जाने से कोई संभावित परिशोधन/संशोधन नहीं होगा।

संबंधित वार्डों की स्थानीय लेखापरीक्षा के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में फाइलों के प्रस्तुत न किए जाने के बारे में विभाग का ध्यान दिलाया जा चुका है।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि विभिन्न कारणों से अभिलेख नहीं दिए जा सकें और आयकर आयुक्तों ने विश्वास दिलाया था कि लेखापरीक्षा को अभिलेख प्रस्तुत न करने का कोई इरादा नहीं था।

अतिकर

2.24 अतिकर

'अत्यधिक मुनाफाखोरी' को निरुत्साहित करने और 'मूल्यों को नीचा रखने के लिए' अत्यधिक लाभ कमाने वाली कम्पनियों पर अधिलाभ कर अधिनियम, 1963 के अधीन, निर्धारण वर्ष 1963-64 के दौरान अधिलाभ कर नामक एक विशेष कर लगाया गया। निर्धारण वर्ष 1964-65 से इस कर के स्थान पर कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 के अधीन अतिकर लगाया गया। यदि कम्पनी के प्रभार्य लाभ सांविधिक कटौती, जो कम्पनी की पूंजी के 10 प्रतिशत (1 अप्रैल 1977 से 15 प्रतिशत) के बराबर की राशि अथवा 2 लाख रु०, जो भी अधिक हो, से अधिक हो तो उन पर अतिकर लगाया जाता है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान 132 मामलों में 46.72 लाख रु० के अधिलाभ कर/अतिकर का अवनिर्धारण हुआ। निम्नलिखित पैराग्राफों में कुछ मामले उदाहरणस्वरूप दिए जाते हैं।

2.25 प्रभार्य लाभ की गलत संगणना

कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 के उपबन्धों के अन्तर्गत; अतिकर उस राशि पर लगाया जाता है जिससे कम्पनी के प्रभार्य लाभ कम्पनी की पूंजी के 10 प्रतिशत (1 अप्रैल 1977 से 15 प्रतिशत) के बराबर की राशि अथवा 2 लाख रु० की राशि, जो भी अधिक हो, की सांविधिक कटौती से अधिक हो। इस उद्देश्य से किसी वर्ष के प्रभार्य लाभ कतिपय निर्धारित समायोजन करने के बाद उस वर्ष के लिए आयकर लगाने के लिए निर्धारित कुल आय के संदर्भ में संगणित किए जाते हैं। ऐसा एक समायोजन यह है कि कतिपय अधिसूचित वित्तीय संस्थाओं से दीर्घकालिक आधार पर उधार ली गई राशियां, यदि कोई हो, के संबंध में कम्पनी द्वारा देय किसी ब्याज को कुल आय में वापस जोड़ना होता है।

(i) निर्धारण वर्ष 1975-76 के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान एक निर्धारित कम्पनी ने दो अधिसूचित वित्तीय संस्थानों से दीर्घकालिक आधार पर उधार लिया और उस पर ब्याज के रूप में 1,78,168 रु० व्यय किया। आयकर प्रभारित करने के लिए उस वर्ष कम्पनी की कुल आय की संगणना करते समय ब्याज अदायगी को कटौती के रूप में विधिवत अनुज्ञात किया गया। इसके अतिरिक्त अतिकर लगाने के लिए उस वर्ष के पूंजी आधार की संगणना में विभाग ने सही रूप से पूर्वोक्त दीर्घकालिक ऋण को शामिल कर लिया था और उस आधार पर कानूनी कटौती अनुमत की थी किन्तु प्रभार्य लाभ 1,63,820 रु० निर्धारित करते समय (सितम्बर 1978) विभाग ने कानून के अनुसार आयकर के प्रयोजन के लिए निर्धारित कुल आय में 1,78,168 रु० के ब्याज की अदायगी को वापस जोड़ कर समायोजित नहीं की। इस चूक के कारण उतनी ही राशि के बराबर प्रभार्य लाभ का अवनिर्धारण हुआ और 57,740 रु० का अतिकर कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) एक अन्य कम्पनी के मामले में, निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए अतिकर लगाने हेतु उसके प्रभार्य लाभ की संगणना करते समय देय आयकर की राशि 91,97,480 रु० ली गई थी और कटौती के रूप में अनुज्ञात की गई थी जबकि उस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारित की वापस अदा की गई 3,64,030 रु० की राशि को ध्यान में नहीं रखा

गया। इस प्रकार देय आयकर की राशि केवल 88,33,450 रु० थी। निर्धारिती द्वारा देय कर की सही राशि न अपनाए जाने के कारण 3,64,030 रु० तक प्रभार्य लाभ का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप 1,45,612 रु० का अतिकर कम लगा।

आपत्ति स्वीकार करते समय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि विचाराधीन निर्धारण में संशोधन करके 1,45,612 रु० के अतिरिक्त कर की मांग करके संग्रहण कर लिया गया है।

(iii) एक अन्य निर्धारिती कम्पनी के मामले में निर्धारण वर्ष -1973-74 के लिए अतिकर लगाने हेतु इसके प्रभार्य लाभ की संगणना करते समय प्रबंध प्रतिकर के लिए 4,77,721 रु० की कटौती अनुज्ञात की गई। तथापि देय आयकर के लिए कटौती अनुज्ञात करते समय प्रबंध प्रतिकर की 4,77,721 रु० की राशि जिसे आय में शामिल नहीं किया गया था पर देय 2,75,886 रु० का आयकर अनुज्ञात किए बिना कुल आय पर देय 31,03,318 रु० के समस्त आय कर को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया गया। इसके परिणामस्वरूप 2,75,886 रु० तक के प्रभार्य लाभ का अवनिर्धारण हुआ जिससे 82,765 रु० का अतिकर कम लगा।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

2.26 पूंजी की गलत संगणना

कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 के उपबंधों के अधीन किसी कम्पनी के खातों में किसी लेखे के क्रेडिट में दिखाई गई कोई भी राशि जो देयता या प्रावधान के स्वरूप की हो, पूंजी की संगणना के प्रयोजन के लिए आरक्षित निधि नहीं समझी जाएगी। जहां लाभांशों की अदायगी के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान न किया गया हो और प्रस्तावित लाभांश की अदायगी सामान्य आरक्षित निधि से की जानी हो, वहां सामान्य आरक्षित निधि में से ऐसे प्रस्तावित लाभांश को कम कर दिया जाएगा क्योंकि उस सीमा तक यह एक मुक्त आरक्षित निधि नहीं होती। इसके अतिरिक्त नवम्बर 1974 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 'डिबेंचर शोधन निधि' या 'डिबेंचर प्रतिदान निधि' केवल प्रावधान है और 'आरक्षित निधि' नहीं और इसलिए पूंजी की संगणना करते समय इसे शामिल नहीं किया जाना है।

(i) यह देखने में आया कि निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए अतिकर लगाने के उद्देश्य से एक निर्धारित कम्पनी की पूंजी की संगणना में सामान्य आरक्षित निधि में से दी जाने वाली डिबेंचर स्टाक प्रतिदान आरक्षित निधि और प्रस्तावित लाभांशों की 48,32,250 रु० की राशि को गलती से हिसाब में ले लिया गया था। इसके कारण पूंजी और सांविधिक कटौती की अधिक संगणना हुई जिसके फलस्वरूप निर्धारण वर्ष 1975-76 में 2,29,532 रु० के अतिकर का अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) एक अनिवासी चाय कम्पनी के मामले में, निर्धारण वर्ष 1975-76 के सुसंगत पूर्व वर्ष के पहले दिन राजस्व आरक्षित निधि प्रतिधारित लाभ की द्योतक 4,22,311 पाँड की एक राशि विभाग द्वारा कम्पनी की पूंजी में शामिल कर दी गई थी। यह राशि लाभ और हानि लेखे की अधिगण मात्र थी और इसलिए इसे पूंजी की संगणना में शामिल करना अपेक्षित नहीं था। उक्त राशि के शामिल करने से पूंजी और सांविधिक कटौती की अधिक संगणना हुई जिसके फलस्वरूप निर्धारण वर्ष 1975-76 में 1,40,826 रु० के अतिकर का अवप्रभार हुआ।

एक अन्य अनिवासी चाय कम्पनी के मामले में 9,05,192 पाँड की आरक्षित निधि पूंजी में शामिल की गई थी यद्यपि निर्धारण वर्ष 1975-76 के सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए कम्पनी के लेखाओं में 5,82,370 पाँड की राशि दर्शाई गई थी। कम्पनी द्वारा दिए गए व्यौरों से यह देखने में आया कि विभाग द्वारा ली गई आरक्षित निधि और लेखाओं में दर्शाई गई आरक्षित निधि के बीच के अन्तर को दर्शाने वाली 3,22,822 पाँड की राशि 9,05,192 पाँड की आरक्षित निधि के प्रति समायोजित हानियों का निवल परिणाम थी। पूंजी में 5,82,370 पाँड की समायोजित निवल आरक्षित निधि की बजाय 9,05,192 पाँड शामिल करने के कारण पूंजी और सांविधिक कटौती की अधिक संगणना हुई जिसके फलस्वरूप निर्धारण वर्ष 1975-76 में 1,15,149 रु० के अतिकर का अवप्रभार हुआ।

यह पैराग्राफ सितम्बर 1980 में वित्त मंत्रालय को भेजा गया था; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1980)।

(iii) एक और अन्य कम्पनी के मामले में पूंजी की संगणना करते समय विभाग ने 1975-76 से 1978-79 तक के निर्धारण वर्षों में लाभ और हानि लेखाओं के अधिशेष को गलती से शामिल कर दिया। इसके कारण चार निर्धारण वर्षों में 61,43,754 रु० की पूंजी अधिक संगणित की गई जिसके फलस्वरूप में 1,08,248 रु० के अतिकर का अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

2.27 अनन्तिम अतिकर निर्धारण करने में चूक

कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 में यह व्यवस्था है कि नियमित निर्धारण किए जाने तक विभाग संक्षिप्त रूप से कम्पनी के प्रभार्य लाभ का अनन्तिम निर्धारण करके अतिकर की मांग कर सकता है। यह व्यवस्था सरकारी राजस्व को यथाशीघ्र वसूल करने के लिए की गई है।

निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए एक कम्पनी जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध थी, ने सितम्बर 1976 में अतिकर की विवरणी दाखिल की जिसमें 7,14,302 रु० के प्रभार्य लाभ और 1,78,625 रु० के अतिकर की देयता स्वीकार की गई थी। विवरणी के आधार पर विभाग द्वारा अतिकर की अनन्तिम मांग की जा सकती थी किन्तु उसने ऐसा नहीं किया। फलस्वरूप, निर्धारिती से निश्चित रूप से प्राप्य अतिकर की राशि तीन वर्षों से अधिक समय तक वसूल नहीं की गई जिसकी अदायगी न करने के कारण निर्धारिती ब्याज अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। इस तथ्य की ओर दिसम्बर 1979 में लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाया गया था।

आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है कि उपरोक्त अतिकर निर्धारण 9-1-1980 को पूरा कर लिया गया है और की गई/अपील में संशोधित की गई अतिरिक्त मांग की 1,60,051 रु० की राशि संगृहीत कर ली गई है।

2.28 अतिकर निर्धारणों को संशोधित करने में चूक/देरी

लोक लेखा समिति की 128वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोकसभा) के पैरा 6.7 में की गई सिफारिशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अक्टूबर 1974 में ये अनुदेश जारी किये कि अतिकर निर्धारण के लिये कार्यवाही आयकर निर्धारण की कार्यवाही के साथ शुरू की जानी चाहिए और संबंधित आयकर निर्धारण पूरा होने के एक महीने के भीतर पूरी कर दी जानी चाहिए। बोर्ड ने आगे यह भी निर्धारित किया कि अतिकर निर्धारणों को इसलिए बकाया नहीं रखा जाना चाहिए कि आयकर निर्धारणों में किये गये परिवर्धनों पर अपील द्वारा प्रतिवाद किया गया था।

(i) निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए एक निर्धारिती कम्पनी की कर योग्य आय जून 1978 में 35,42,351 रु० अवधारित की गई थी। चूंकि 12,62,660 रु० के प्रभार्य लाभ 2 लाख रु० की सांविधिक कटौती से अधिक थे इसलिये कम्पनी पर 8,33,016 रु० के निवल प्रभार्य लाभों पर अतिकर निर्धारणीय था। किन्तु न तो निर्धारिती ने प्रभार्य लाभों की कोई विवरणी प्रस्तुत की और न ही निर्धारण अधिकारी ने अतिकर लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की। निर्धारण अधिकारी द्वारा रखे गये बकाया कार्यवाहियों के रजिस्टर में भी इसे बकाया नहीं दिखाया गया था। इसलिये कम्पनी के प्रभार्य लाभ अतिकर निर्धारण से बच गये जो 2,39,000 रु० बनते थे।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

(ii) एक अन्य मामले में, निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिये एक निर्धारिती कम्पनी की कर योग्य आय 22 जनवरी, 1979 को पूरे किये गये संशोधित निर्धारण में 35,43,460 रु० अवधारित की गई थी। चूंकि 18,21,672 रु० का प्रभार्य लाभ पूंजी की 10 प्रतिशत राशि की सांविधिक कटौती से अधिक था, इसलिए कम्पनी पर 4,67,800 रु० के निवल प्रभार्य लाभ पर अतिकर निर्धारणीय था। किन्तु न तो निर्धारिती ने प्रभार्य लाभों की विवरणी प्रस्तुत की और न ही निर्धारण अधिकारी ने अतिकर लगाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की। इसलिए 4,67,800

₹० का प्रभार्य लाभ कर लगने से बच गया जिसके फलस्वरूप 1,19,170 ₹० का अतिकर नहीं लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार करते हुए बताया है कि प्रसंगाधीन निर्धारण पूरा कर लिया गया है और 1,19,170 ₹० का अतिरिक्त कर लगाया और वसूल किया जा चुका है।

(iii) एक तीसरे मामले में, दिसम्बर 1979 में लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि यद्यपि एक निर्धारिती कम्पनी के निर्धारण वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 के लिये आयकर निर्धारण क्रमशः 7-6-1977, 26-4-1978 और 23-9-1978 को पूरे कर लिये गये थे लेकिन सभी तीन वर्षों के लिये 3-10-1978 को शुरू किये गये अतिकर निर्धारण पूरे नहीं किये गये थे (लेखापरीक्षा होने तक) जिसके परिणामस्वरूप 82,600 ₹०, 1,62,400 ₹० और 4,43,000 ₹० की मांग क्रमशः 11, 5 और 15 महीने तक जारी नहीं की गई।

आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सभी तीन वर्षों के लिए अतिकर निर्धारण सितम्बर 1980 में पूरे कर लिये गये हैं और 4,14,858 ₹० की मांग जारी कर दी गई है।

(iv) निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये एक कम्पनी का अतिकर के लिये अनन्तिम निर्धारण फरवरी 1976 में किया गया था और 6,35,863 ₹० का कर लगाया गया था। इस वर्ष का आयकर निर्धारण सितम्बर 1978 में पूरा किया गया जिसमें कर योग्य आय 1,34,39,660 ₹० अवधारित की गई थी और उस पर 77,60,578 ₹० का कर देय था। चूँकि पूंजी का दस प्रतिशत 27,25,846 ₹० बनता था, इसलिये 29,41,801 ₹० के प्रभार्य लाभों पर 9,72,282 ₹० का अतिकर लगाया जाना था। लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया कि आयकर निर्धारण के आधार पर अतिकर निर्धारण को संशोधित नहीं किया गया था। अतिकर निर्धारण को संशोधित न करने के कारण 3,36,419 ₹० का कम अतिकर लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

(v) एक निर्धारिती-कम्पनी के एक अन्य मामले में निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1974-75 तक के आयकर निर्धारण 1978 में पूरे कर लिये गये थे जिनके आधार पर इन चार वर्षों में कम्पनी के प्रभार्य लाभ सांविधिक कटौती की कुल 5,99,170 रु० की राशि से अधिक थे। किन्तु न तो निर्धारिती ने प्रभार्य लाभों की विवरणी प्रस्तुत की और न ही निर्धारण अधिकारी ने अतिकर लगाने के लिये आवश्यक कार्यवाही की। इसलिये कम्पनी के प्रभार्य लाभ निर्धारण से बच गये जिससे इन चार वर्षों में 1,72,077 रु० का कम अतिकर लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है।

(vi) एक निर्धारिती-कम्पनी के मामले में निर्धारण वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिये अनन्तिम अतिकर निर्धारण विभाग द्वारा अक्टूबर 1976 और दिसम्बर 1976 में किये गये थे जिनमें क्रमशः 3,33,425 रु० और 6,85,927 रु० के अतिकर की मांगें जारी की गई थीं। उक्त निर्धारण वर्षों के लिये नियमित आयकर निर्धारण क्रमशः मार्च 1978 और जनवरी 1979 में पूरे किये गये थे जिनके आधार पर क्रमशः 4,51,990 रु० और 7,40,485 रु० का अतिकर लगाया जाना चाहिए था। किन्तु विभाग ने बोर्ड के अनुदेशों की अपेक्षाओं के अनुसार अनन्तिम अतिकर निर्धारणों को संशोधित करने अथवा नियमित अतिकर निर्धारण के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। इस चूक के कारण निर्धारण वर्ष 1975-76 और 1976-77 में 1,73,123 रु० का कम अतिकर लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है।

(vii) निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये एक कम्पनी का अनन्तिम अतिकर निर्धारण फरवरी 1976 में पूरा किया गया था और 4,91,321 रु० का अतिकर लगाया गया था। इस वर्ष के लिये आयकर निर्धारण सितम्बर 1978 में पूरा किया गया था जिसमें कुल आय 2,79,26,820 रु० अवधारित की गई थी और उस पर लगाया गया कर 1,61,27,739 रु० था। अतिकर के अनन्तिम निर्धारण में पूंजी की संगणना करते समय सामान्य आरक्षित निधि से भुगतान किये गये लाभांशों का समायोजन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त आयकर निर्धारण में कुछ समायोजनों के परिणामस्वरूप वर्ष के प्रभार्य लाभों में वृद्धि हो गई थी। चूकि उस

वर्ष का अतिकर निर्धारण आयकर निर्धारण के पूरे हो जाने पर पूरा नहीं किया गया था इसलिये 1,17,327 रु० का कम अतिकर लगाया गया और अन्तिम निर्धारण में 6,08,648 रु० का अतिकर लगाया जाना चाहिए था ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है ।

(viii) निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये एक निर्धारिती कम्पनी का आयकर निर्धारण सितम्बर 1978 में पूरा किया गया और आय 29,62,800 रु० निर्धारित की गई थी । लेकिन अतिकर निर्धारण की कार्यवाही साथ साथ नहीं की गई थी हालांकि अतिकर विवरणी 3 जुलाई 1975 को दाखिल कर दी गई थी । निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई विवरणी के आधार पर जनवरी 1979 में केवल अनन्तिम अतिकर निर्धारण किया गया था किन्तु पहले से ही निर्धारित आय को हिसाब में नहीं लिया गया था । अनन्तिम निर्धारण में कर की गणना में गलती थी जिसके परिणामस्वरूप 58,530 रु० का कम अतिकर लगाया गया । इसके अतिरिक्त, चूंकि निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई विवरणी के आधार पर जनवरी 1979 में केवल अनन्तिम निर्धारण किया गया था किन्तु उसमें आयकर निर्धारण कार्यवाहियों में निर्धारित आय की अधिक राशि को ध्यान में नहीं रखा गया था, इसलिये 94,272 रु० के अतिरिक्त अतिकर की मांग जारी करने और उसके संग्रहण में तब तक देरी होगी जब तक कि नियमित निर्धारण पूरा नहीं किया जाता है ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है; मांगे गए अतिरिक्त कर की राशि 58,530 रु० है ।

(ix) निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिये एक कम्पनी का नियमित निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत अगस्त 1974 में किया गया था जिसमें कुल आय 1,51,42,738 रु० निर्धारित की गई थी । दिसम्बर 1974 में आयकर निर्धारण संशोधित कर दिया था तथा आय घटाकर 1,51,28,243 रु० कर दी गई थी । निर्धारण दोबारा मार्च 1976 में संशोधित किया गया था और आय पुनः घटाकर 1,49,41,037 रु० कर दी गई थी । जुलाई 1976 में आयकर निर्धारण तीसरी बार

संशोधित किया गया था तथा तकनीकी सेवाओं से प्राप्त कुछ आय जो पिछले निर्धारणों में गलती से कर मुक्त मान ली गई थी, को कर के अन्तर्गत लाने के कारण निर्धारित आय बढ़ाकर 1,56,51,810 रु० कर दी गई थी। चार आयकर निर्धारणों की तुलना में अगस्त 1974 में निर्धारित कुल 1,51,42,738 रु० तथा दिसम्बर 1974 में निर्धारित 1,51,28,243 रु० की आय के आधार पर तदनुसूची अवधियों में केवल दो अतिकर निर्धारण नवम्बर 1974 और जून 1975 में किये गये थे। जून 1975 में किये गये पिछले अतिकर निर्धारण के अनुसार 7,63,252 रु० की मांग जारी की गई थी। लेकिन उसके बाद निर्धारण संशोधित नहीं किया गया था विशेषतया तब जबकि आयकर निर्धारण में जुलाई 1976 में तीसरा संशोधन किया गया था और आय बढ़ाकर 1,56,51,810 रु० कर दी गई थी। यदि अतिकर निर्धारण उस आधार पर किया गया होता तो देय अतिकर 8,29,616 रु० अवधारित किया जाता। अतिकर निर्धारण को संशोधित न किए जाने के कारण निर्धारण वर्ष 1973-74 में 66,064 रु० के अतिकर का कम निर्धारण हुआ।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए, वित्त मंत्रालय ने बताया है कि प्रसंगाधीन निर्धारण संशोधित कर दिया गया है और जारी की गई और संगृहीत की गई अतिरिक्त मांग की राशि 66,064 रु० है।

2. 29 गलत दरें लगाये जाने के कारण अतिकर का कम लगाया जाना

1-4-1975 से यथा संशोधित कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 के उपबन्धों के अनुसार सांविधिक कटौती से अधिक प्रभाय लाभों के उस भाग पर 25 प्रतिशत अतिकर प्रभाय है जो कि पूंजी के 5 प्रतिशत तथा शेष राशि, यदि कोई हो, के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

विभाग ने एक निर्धारित कम्पनी के निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिये प्रभाय लाभ की राशि जनवरी 1979 में 11,27,435 रु० अवधारित की जिस पर 2,91,333 रु० अतिकर लगाया गया था। लेखा-परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभाग ने पूंजी के 5 प्रतिशत से अधिक प्रभाय लाभों पर 40 प्रतिशत की सही दर की बजाए गलती से 30 प्रतिशत की दर लगायी थी।

जब 84,185 रु० कम अतिकर लगाने की गलती लेखापरीक्षा द्वारा जुलाई 1979 में ध्यान में लाई गई तो विभाग ने इसका प्रतिवाद नहीं किया बल्कि यह दावा किया कि उन्हें इस गलती का पता था, क्योंकि निर्धारित स्वयं ही फरवरी 1979 में यह गलती उनके ध्यान में लाया था। यह तर्क दिया गया था कि परिशोधनात्मक कार्यवाही इसलिये नहीं की गई थी क्योंकि संबंधित आयकर आदेश के संबंध में प्रतीक्षित अपीलीय निर्णय के परिणामस्वरूप अतिकर निर्धारण के पुनः संशोधित किए जाने की संभावना थी। विभाग का तर्क वैध नहीं था। सितम्बर 1968 में जारी किये गये कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार, पूरे किए गये निर्धारणों में विभाग के ध्यान में आई स्पष्ट गलतियां 3 महीने के भीतर सुधार दी जानी चाहिए। वर्तमान मामले में, इन अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया गया था। अपीलीय आदेश के परिणामस्वरूप बाद में आयकर निर्धारण के संशोधित किए जाने की संभावना निर्धारितों द्वारा स्वयं बताई गई अतिकर निर्धारण की गलती को सुधारने में बाधा नहीं बननी चाहिए। विभाग का दूसरा तर्क यह था कि संबंधित फाइलें अन्य प्राधिकारियों के पास थी इसलिये लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने से पहले गलती को ठीक नहीं किया जा सका। यह तर्क भी ठीक नहीं पाया गया क्योंकि वास्तव में अपीलीय निर्णय को लागू करने के लिये आयकर निर्धारण को संशोधित करने का आदेश जून 1979 में दिया गया था।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

अध्याय 3

आय कर

3.01 कम्पनियों से भिन्न अन्य व्यक्तियों से संगृहीत किया गया आयकर मुख्य शीर्ष "021—निगम कर से भिन्न आय पर कर" के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 270 के अन्तर्गत इस कर की निवल प्राप्तियों सिवाय उनके जो संघीय उपलब्धियों, संघ राज्य क्षेत्रों के और संघीय अधिभारों के कारण प्राप्त होती है, का 85 प्रतिशत सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को समनुदेशित किया जाता है।

3.02 कम्पनियों से इतर व्यक्तियों के निर्धारण में देखी गई कुछ गलतियों के उदाहरण आगे के पैराग्राफों में दिए गए हैं :

3.03 कर की संगणना में परिहार्य गलतियां

(i) निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए एक निर्धारित फर्म की कुल आय निर्धारण वर्ष 1970-71 के 6,97,219 रु० अनवशोषित मूल्य-ह्रास जो मार्च 1977 में निर्धारित किया गया, सहित पिछले वर्षों के अनवशोषित मूल्यह्रास और विकास रिबेट का मुजरा करके अगस्त 1978 में 5,65,853 रु० संगणित की गई थी। तथापि यह देखा गया कि निर्धारण वर्ष 1970-71 का निर्धारण जुलाई, 1978 में संशोधित किया गया था जिसमें अनवशोषित मूल्यह्रास कम करके 3,72,911 रु० कर दिया गया। चूंकि निर्धारण वर्ष 1973-74 के निर्धारण में जो अगस्त 1978 में पूरा किया गया था, विभाग ने 3,72,911 रु० की सही राशि की बजाय 6,97,219 रु० की राशि का मुजरा दिया गया था इसलिए निर्धारण वर्ष 1973-74 में 3,24,308 रु० के अनवशोषित मूल्यह्रास का अधिक मुजरा दिया गया जिसके परिणामस्वरूप समान राशि की आय अवनिर्धारित हुई जिसके फलस्वरूप विवरणी देर से प्रस्तुत करने और अनुमान के आधार पर अग्रिम कर की अदायगी के लिए शास्ति ब्याज सहित 1,22,353 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने सिद्धांत रूप में आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) एक निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 1975-76 से संबंधित स्वतः निर्धारण कर की 65,186 रु० की राशि 28-2-1977 को जमा की जिसके लिए उस वर्ष का क्रेडिट सही रूप से दिया गया था। किन्तु निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए निवल मांग की संगणना करते समय समान राशि का क्रेडिट दुबारा दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप उसी क्रेडिट का दुगुना समायोजन हुआ। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए व्याज सहित 78,226 रु० की कम मांग हुई।

आपत्ति स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है कि इस निर्धारण का संशोधन हो चुका है और 78,226 रु० की अतिरिक्त मांग की गई है।

(iii) 1973-74 से 1975-76 के निर्धारण वर्षों के लिए एक निर्धारिती फर्म की आय का निर्धारण करते समय आयकर अधिकारी ने निर्णय दिया कि फर्म की समग्र आय एक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की आय मानी जानी थी जो कि फर्म का एक भागीदार था जिसका 40 प्रतिशत हिस्सा था। तदनुसार समग्र आय हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के संबंधित वर्षों के आयकर निर्धारणों में सम्मिलित की गई थी। तथापि निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए निर्धारित आय के संबंध में कुटुम्ब द्वारा देय कर की संगणना करते समय निर्धारिती की आय में सम्मिलित फर्म की आय कर की दर निर्धारित करने के लिए तो शामिल कर ली गई किन्तु उस आय पर कोई कर नहीं लगाया गया। इससे 90,742 रु० के व्याज प्रभारों के अलावा 1,45,713 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने सिद्धान्त रूप में आपत्ति स्वीकार कर ली है।

3.04 पूर्त न्यासों के निर्धारण में गलतियाँ :

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत सम्पूर्णतः पूर्त प्रयोजनार्थ न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से आय की उतनी ही राशि कर मुक्त है जितनी उन प्रयोजनों पर भारत में प्रयुक्त की जाती है। तथापि अधिनियम न्यासों को भविष्य में प्रयोग के लिए आय संचित करने या अलग रखने की अनुमति देता है, बशर्ते कि न्यास आयकर अधिकारी को दी गई लिखित सूचना द्वारा वही प्रयोजन, जिसके लिए आय संचित

की जा रही है या अलग रखी जा रही है, और वह कालावधि जिसके लिए आय संचित की जानी है या अलग रखी जानी है, जो दस वर्षों से अधिक नहीं होगी, विनिर्दिष्ट कर दे और इस प्रकार संचित किया गया या अलग रखा गया धन विहित समयावधि में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेशित कर दिया जाय। अधिनियम में आगे यह व्यवस्था है कि यदि संचित आय उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित समयावधि में, जो दस वर्ष से अधिक नहीं है, प्रयुक्त नहीं की जाती है तो सम्पूर्ण संचित आय अधिसूचित समयावधि के अवसान के तुरन्त पश्चात् के पूर्व वर्ष की न्यास की आय मानी जानी चाहिए। ये उपबन्ध पूर्ण प्रयोजनों के लिए बिना लाभ के उद्देश्य से बनाई गई संस्थाओं और कम्पनियों को भी लागू होते हैं।

(i) एक निर्धारित कम्पनी ने जो पूर्ण संस्था होने का दावा करती थी, निर्धारण वर्ष 1966-67 के सुसंगत पूर्व वर्ष से दस वर्षों की अवधि के लिए भवन निर्माण और अन्य कल्याणकारी कार्यों के प्रयोजन के लिए न्यास के अधीन धारित सम्पत्ति से आय संचित करने की अपनी इच्छा की सूचना 30-3-1966 को दी। दस वर्षों की अवधि की परि-सीमा 31-3-1975 को समाप्त हुई। यह देखा गया कि 2,56,894 रु० की संचित आय भवन निर्माण के विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए उस तारीख से पहले खर्च नहीं की गई थी। इसलिए 2,56,894 रु० की सम्पूर्ण संचित आय पर निर्धारण वर्ष 1976-77 में कर लगाया जाना चाहिए था। इसके बजाय विभाग ने निर्धारण वर्ष 1976-77 में पहले वर्ष अर्थात् निर्धारण वर्ष 1966-67 से संबंधित 23,000 रु० की आय पर ही कर लगाया। इसके परिणामस्वरूप 2,33,894 रु० की आय का अवनिर्धारण हुआ और 1,35,070 रु० का कर कम लगा।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि पूर्ण प्रयोजनों के लिए पूर्णतः सृजित न्यास द्वारा प्राप्त स्वैच्छिक अभिदाय आय मानी जानी चाहिए सिवाय इसके जहां ऐसे अभिदाय इस विनिर्दिष्ट निवेश के साथ किए गए हों कि वे न्यास या संस्था की विषयवस्तु (कोरपस) के भाग रूप होंगे।

एक पूर्ण संस्था को 1,33,447 रु० की राशि स्वैच्छिक अभिदाय के रूप में इस निदेश से प्राप्त हुई कि इसका व्यय कन्या छात्रावास, सभा

भवन, पुस्तकालय आदि के निर्माण के लिए किया जाय। दाताओं से कोई विनिर्दिष्ट निदेश नहीं था कि उक्त राशि संस्था की विषयवस्तु का भाग होगी। चूंकि आय पूर्ण प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भी नहीं की गई थी बल्कि संचित की गई थी, इसलिए विधि के अन्तर्गत कर-योग्य थी। तथापि विभाग ने आय को विषयवस्तु का भाग रूप मानकर कर मुक्त रखा। गलत छूट के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए 1,33,447 रु० की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 79,313 रु० का कर कम लगा।

वित्त मंत्रालय का अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

3.05 निर्धारणों में अपनाई गई गलत हैसियत

आयकर अधिनियम, 1961 में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक व्यक्ति की पूर्व वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर प्रभाय है। इस प्रयोजन के लिए "व्यक्ति" शब्द में "व्यक्तियों का संगम" शामिल है। इसलिए व्यक्तियों के संगम द्वारा अर्जित कोई भी आय उसी रूप में निर्धार्य है और उसके सदस्यों की आय के निर्धारण के लिए उसका आबंटन नहीं करना होता जब तक अधिनियम में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।

(i) एक निर्धारिती का निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए आयकर के प्रयोजन के लिए व्यक्तियों के संगम की हैसियत से निर्धारण किया गया था। व्यक्तियों के संगम की आय में कुछ अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त हुए पूंजी अभिलाभ की 21,14,920 रु० की राशि शामिल थी। इस राशि पर निर्धारिती की आय में कर नहीं लगाया गया था बल्कि इसे निर्धारण के लिए सह स्वामियों की आय में आबंटित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए व्यक्तियों के संगम की आय में 13,71,450 रु० तक के पूंजी अभिलाभ (सांविधिक कटौतियां अनुमत करने के बाद) का अवनिर्धारण हुआ जिससे 12,96,890 रु० का कर कम लगा।

पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को अगस्त 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

(ii) एक निर्धारिती ने, जिसकी अलग व्यक्तिगत आय थी, व्यक्तिगत हैसियत से प्राप्त किए गये दान की राशि एक फर्म में निवेशित की और उससे प्राप्त 82,870 रु० की आय एक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की हैसियत से, जिसका वह सदस्य था, निर्धारण वर्ष 1974-75 की विवरणी में दिखाई। विभाग ने उस आय के लिए अलग हैसियत स्वीकृत की और तदनुसार आय का निर्धारण किया।

तथापि, आय के लिए अलग हैसियत का किया गया और स्वीकृत दावा सही नहीं था क्योंकि दान एक व्यष्टि को था और उससे उद्भूत आय हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की आय नहीं मानी जा सकती इसलिए वह कर के प्रयोजन के लिए निर्धारिती की अन्य व्यक्तिगत आय में शामिल करने योग्य थी। दान के निवेश से उद्भूत आय के लिए गलत हैसियत को अपनाए जाने से 50,569 रु० का कर और व्याज कम लगा।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

3.06 वेतन आय की गलत संगणना

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अनुसार पूर्व वर्ष में संदत्त या देय या अनुज्ञात किसी भी वेतन पर उस पूर्व वर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है जिसमें नियोजक द्वारा वह वेतन संदत्त किया गया या देय था या अनुज्ञात किया गया था। इस प्रयोजन के लिए "वेतन" शीर्ष में कमीशन भी शामिल है।

एक कम्पनी ने दो निर्धारण वर्षों 1974-75 और 1975-76 में से प्रत्येक में अपने एक कर्मचारी को कमीशन के रूप में 45,000 रु० की राशि नकद अदा करने की बजाय निर्धारिती कर्मचारी के जीवन के लिए समान राशियों के लिए दो आस्थगित वार्षिकी पालिसियां लीं। आस्थगित वार्षिकियों की खरीद के लिए नियोजित कुल 90,000 रु० की राशि वेतन से आय नहीं मानी गई थी और निर्धारण वर्षों 1974-75 और 1975-76 में कर प्रभारित नहीं किया गया था जिसके परिणाम-स्वरूप 90,000 रु० के वेतन का कुल अवनिर्धारण हुआ और 76,050 रु० का कर कम लगा।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि मामले में विवादास्पद कानूनी मुद्दा अन्तर्ग्रस्त है जिस पर उच्चतम न्यायालय पर अभी निर्णय नहीं दिया गया है।

3.07 कारबार आय की गलत संगणना

(i) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत कोई भी व्यय जो पूंजीगत व्यय या निर्धारिती के व्यक्तिगत व्यय के रूप में नहीं है, जो कारबार या वृत्ति के प्रयोजन के लिए पूर्णतः और अनन्यतः रखा गया या व्यय किया गया हो, कारबार या वृत्ति से निर्धारिती की आय की संगणना करते समय कटौती रूप में अनुज्ञेय है। न्यायिक रूप से यह निर्णय दिया गया है कि यदि एक निर्धारिती कई अलग-अलग कारबार करता है तो प्रत्येक कारबार के लाभ अलग-अलग संगणित किए जाने चाहिए और कटौतियां उचित कारबार के लिए ही दी जानी चाहिए।

एक अन्य निर्धारिती के मामले में, जिसकी आय के दो स्रोत थे अर्थात् (i) बीमा कमीशन की आय और (ii) चिट फंड कारबार से आय/हानि, विवरणी में दिखाई गई 1,25,529 रु० की राशि की हानि बीमा कमीशन से हुई आय के प्रति मुजरा करके अनुमत की गई थी। तथापि, चिट फंड कारबार से संबंधित लाभ तथा हानि लेखे से यह प्रकट हुआ कि व्यय से आय 1,25,529 रु० अधिक थी। इस आय को हानि की बजाय लाभ न मानने से निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 139 (8) और 217 (1) के अन्तर्गत व्याज को शामिल करके 1,41,688 रु० के कर का अवनिर्धारण हुआ।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि सही स्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयकर अधिकारी द्वारा लेखाओं की सम्पूर्ण जांच आवश्यक है और लेखाओं की उचित जांच के पश्चात् फिर से निर्धारण करने के लिए निर्धारण रद्द कर दिया है।

(ii) अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत प्रभावे आय निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अपनाई गई लेखाकरण विधि के अनुसार संगणित की जानी चाहिए।

उके के कार्यों में लगी एक निर्धारिती फर्म वाणिज्य आधार पर लेखे रखती थी। निर्धारण वर्ष 1977-78 के सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान फर्म

को जमानत जमा के लिए बिलों में से 2,16,791 रु० की कटौती के बाद निर्माण-कार्यों के निष्पादन के लिए 17,29,392 रु० की राशि प्राप्त हुई थी। निर्धारित द्वारा अपनाई गई लेखाकरण विधि के अनुसार 19,46,183 रु० की सकल आय के बजाय 17,29,392 रु० की यह निवल राशि व्यापार और लाभ तथा हानि लेखे में प्राप्त रूप में लेखाबद्ध की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 2,16,791 रु० की प्राप्ति हिसाब में कम ली गई। इसी प्रकार निर्धारण वर्ष 1978-79 के सुसंगत पूर्व वर्ष में बिलों से रोक़ी गई जमानत जमा की 1,19,018 रु० की राशि लाभ और हानि खाते में नहीं ली गई थी।

जमानत जमा के रूप में रोक़ी गई इन राशियों को कुल आय में शामिल करने में चूक हो जाने के परिणामस्वरूप 1977-78 और 1978-79 के दो निर्धारण वर्षों में केवल फर्म के मामले में 3,35,809 रु० की आय अवनिर्धारित हुई और 90,174 रु० का कर कम लगा।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि निर्धारण रद्द कर दिया गया है और आयकर अधिकारी से मामले की जांच करने के लिये कहा गया है।

(iii) आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत किसी फर्म की "कारवार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत फर्म की आय की संगणना में फर्म द्वारा फर्म के किसी भागीदार को दिए गए व्याज, वेतन, बोनस, कमीशन या पारिश्रमिक की अदायगी की कटौती अनुज्ञेय नहीं है। न्यायिक रूप से यह निर्णीत है कि अभिव्यक्ति "कमीशन" का कोई तकनीकी अर्थ नहीं है परन्तु यह अभिव्यक्ति कानून और वाणिज्य दोनों में एक विशिष्ट अर्थ में स्वीकार की गई है और एक एजेंट, घटक, दलाल या कोई अन्य व्यक्ति जो कार्य-कलाप का प्रबंध करता है या कोई कार्य करने की जिम्मेदारी लेता है या किसी को कोई सेवा प्रदान करता है, ऐसे विशेष कार्य करने में की गई सेवा या श्रम के लिए दिया गया "कमीशन" भत्ता समझा जाता है। अधिकांशतः यह किसी लेन-देन में अन्तर्ग्रस्त कीमत या मूल्य या कार्य की मात्रा का प्रतिशत होता है। यह विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए हो सकता है और ऐसी सेवाओं के लिए पारिश्रमिक या इनाम के रूप में हो सकता है।

एक कारबारी समुत्थान के एक मात्र स्वामी के रूप में एक व्यष्टि ने एक रजिस्ट्रीकृत फर्म के जिसमें वह भागीदार था, एक मात्र बिक्री एजेंट के रूप में कमीशन पर कार्य करने के लिए मई 1969 में एक करार किया। बाद में फरवरी 1972 में फर्म के साथ नया करार होने पर भागीदार फर्म के एक उत्पाद पर बिक्री की मात्रा के आधार पर विभिन्न खण्डों पर सेवा प्रभार और तीन अन्य उत्पादों की बिक्री पर कमीशन प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। चूंकि फर्म द्वारा भागीदार को प्रदत्त सेवा प्रभार कमीशन के स्वरूप के थे, उन्हें फर्म की कारबार से हुई आय की संगणना करने में अनुमत नहीं करना चाहिए था। निर्धारण वर्ष 1976-77 से 1978-79 में फर्म की कारबार से हुई आय की संगणना करने में कमीशन और सेवा प्रभारों की 4,68,212 रु० की राशि अनुमत करने से 1,25,677 रु० का कर कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(iv) अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि ऋण की कोई राशि जो पूर्व वर्ष में अशोध्य ऋण सिद्ध हो जाती है, कारबार से हुई आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुमत की जा सकती है।

यह देखने में आया कि निर्धारण वर्ष 1975-76 के सुसंगत पूर्व वर्ष के लिए एक निर्धारित फर्म के लेखाओं में अशोध्य ऋणों के कारण 2,86,549 रु० की रकम बट्टे खाते डाली दिखाई गई थी। 12-9-1978 को पूरे किए गए निर्धारण में निर्धारण अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि 2,86,549 रु० की कटौती का दावा अनुज्ञेय नहीं था। परन्तु वास्तविक संगणना में कटौती को अनुमत कर दिया गया और उसे कुल आय में जोड़ा नहीं गया। ऐसा करने में चूक हो जाने के कारण 2,86,549 रु० की आय का अवनिर्धारण हुआ जिस से 1,25,583 रु० का कर अवप्रभारित हुआ और आय की विवरणी विलम्ब से दाखिल करने और अपने अनुमान पर अग्रिम कर की कम अदायगी के लिये व्याज कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने 2,86,549 रु० की आय अवनिर्धारित होने के विषय में आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(v) केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा दिसम्बर, 1974 में जारी किए गए अनुदेशों के अन्तर्गत किसी फिल्म के वितरण अधिकार को प्राप्त करने की लागत फिल्म के उपयोग की अवधि के दौरान संग्रहीत राशि के आधार पर परिशोधन अनुमत किया जा सकता है। चूंकि उपयोग की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की संभावना होती है, इसलिए पहले वर्ष का निर्धारण विचाराधीन वर्ष में वास्तविक प्राप्तियों की जगह अनुमानित आधार पर वितरण अधिकारों की लागत के एक अंश को अनुमत करके अन्तिम रूप से किया जा सकता है। अन्तिम समायोजन उपयोग अवधि समाप्त होने के बाद किया जाता है।

फिल्मों के वितरण में लगी हुई एक निर्धारिती-फर्म ने निर्धारण वर्ष 1976-77 के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान किसी एक फिल्म का वितरण अधिकार 4,28,549 रु० में खरीदा। निर्धारण वर्ष 1976-77 में 2,52,512 रु० की राशि का परिशोधन अनुमत कर दिया गया। 1,77,047 रु० की शेष राशि के प्रति 2,77,047 रु० की राशि का परिशोधन निर्धारण वर्ष 1977-78 में अनुमत किया गया। इसके परिणाम-स्वरूप निर्धारण वर्ष 1977-78 में एक लाख रु० की अधिक छूट दी गई और उस सीमा तक अधिक हानि संगणित की गई।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

3.08 मूल्यहास अनुमत करने में अनियमितताएं

आय-कर अधिनियम, 1961 में कारबार से हुई आय की संगणना में कारबार के प्रयोजन के लिए काम में लाए गए और निर्धारिती के स्वामित्व वाले भवनों, संयंत्रों और मशीनों पर मूल्यहास देने की व्यवस्था है। इस विषय में निर्धारित नियमों में परिसंपत्तियों की वास्तविक लागत पर या अवलेखित मूल्य पर जैसा भी मामला हो, संयंत्र और मशीनों की कुछ मदों पर त्रिनिदिष्ट दरों से तथा संयंत्र और मशीनों की शेष मदों पर 10 प्रतिशत की सामान्य दर से मूल्यहास की व्यवस्था है।

निर्धारण वर्ष 1973-74 के दौरान परिवहन के कारबार में लगी हुई क निर्धारिती-फर्म ने 13,85,860 रु० की लागत से 20 नए ट्रक खरीदे। निर्धारण पूरा करते समय विभाग ने 30 प्रतिशत की अनुज्ञेय

दर की जगह लागत को 15 प्रतिशत की दर से परिकलित करके 2,07,880 रु० का मूल्यह्रास अनुमत किया। बाद में इस निर्धारण को मई 1976 में संशोधित कर दिया गया और 2,07,880 रु० का और अनुज्ञेय मूल्यह्रास अनुमत कर दिया। इस प्रकार निर्धारण वर्ष 1973-74 में ट्रकों पर कुल 4,15,760 रु० का मूल्यह्रास अनुमत कर दिए जाने पर, अगले निर्धारण वर्ष में अग्रणी करने के लिए सही अवलेखित मूल्य 9,70,100 रु० निकलता था। परन्तु विभाग ने बाद में निर्धारण वर्षों का निर्धारण पूरा करते समय 2,07,880 रु० का मूल्यह्रास, जो प्रारंभ में अनुमत किया गया था, अनुमत किए जाने के बाद 11,77,980 रु० के अवलेखित मूल्य के आधार पर मूल्यह्रास अनुमत किया। गलत अवलेखित मूल्य अपनाए जाने के फलस्वरूप 1974-75 से 1976-77 तक के निर्धारण वर्षों में 81,946 रु० का अधिक मूल्यह्रास दिया गया जिससे 68,858 रु० का कर कम लगाया गया जिसमें विवरणी देर से दाखिल करने और अनुमान पर अग्रिम कर की कम अदायगी के कारण लगने वाला शास्तिक ब्याज शामिल था।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

3.09 अनियमित छूटें

(i) आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत 12 वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा बचत पत्रों पर ब्याज उस सीमा तक कुल आय की संगणना में शामिल नहीं करना होता है जिस सीमा तक ऐसे बचत पत्रों की राशि उस अधिकतम सीमा से अर्थात् 50,000 रु० से अधिक नहीं बढ़ जाती जिस तक उसमें जमा करने की अनुमति है।

“व्यक्तियों के संगम” की हैसियत में निर्धारित एक अमान्य “पेंशन और अनुदान निधि” के मामले में लेखापरीक्षा में देखा गया कि 39 लाख रु० के अंकित मूल्य के 12 वर्षीय राष्ट्रीय रक्षा बचत पत्रों पर ब्याज को 1971-72, 1972-73 और 1973-74 के निर्धारण वर्षों में कर से मुक्त कर दिया गया था। लेखापरीक्षा द्वारा जून 1975 में बताया गया कि 38.5 लाख रु० के निवेश के, जो कर-मुक्त नहीं था, ब्याज पर कर न लगाने से तीन वर्षों में 6,90,000 रु० का कर अव-निर्धारित हुआ।

आपत्ति, स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है कि निर्धारण वर्ष 1973-74 का निर्धारण संशोधित करके 2,32,643 रु० की अतिरिक्त मांग कर दी गई है। निर्धारण वर्ष 1971-72 और 1972-73 के लिए उपचारात्मक उपाय लेखा-परीक्षा आपत्ति प्राप्त होने के बाद परिसीमित समय द्वारा बाधित हो चुके थे।

(ii) आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत नियोजक द्वारा कर्मचारी की आय-कर देयताओं की अदायगी किए जाने पर, ऐसी आय-कर देयता एक परिलब्धि है जिसे वेतन के रूप में माना जाता है तथा इसे प्राप्त करने वाले के मामले में "कर के ऊपर कर" के आधार पर कर लगाना होता है। परन्तु ऐसे तकनीशियनों के मामलों में, जो अधिनियम में दी गई कुछ शर्तों को पूरा करते हैं और जिनकी सेवाओं के अनुबंध केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित होते हैं, 4,000 रु० प्रति मास की सीमा तक मिला वेतन तथा नियोक्ता द्वारा उठाया गया कर-भार कर से मुक्त हैं।

निर्धारण वर्ष 1977-78 और 1978-79 में दो विदेशी तकनीशियनों के मामले में यह देखने में यह आया कि यद्यपि उनकी सेवाओं के सविदा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए थे और उन्हें मिले वेतन पर कर-मुक्त होने का दावा नहीं किया गया था, परन्तु नियोक्ता द्वारा प्रदत्त कर पर उसे परिलब्धि के रूप में मानकर कर नहीं लगाया गया। इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त दो वर्षों में 1,14,762 रु० का कर कम मांगा गया।

वित्त मंत्रालय के अन्तिम उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर, 1980)।

3.10 पूंजी अभिलाभ की अनियमित संगणना

किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के अन्तरण से उद्भूत हुआ कोई लाभ या अभिलाभ आय-कर के लिए "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अन्तर्गत प्रभाष्य है।

(i) मद "पूंजीगत परिसंपत्ति" में गहनों सहित आभूषण, चांदी, वर्तन आदि शामिल हैं।

एक निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 1975-76 के सुसंगत पूर्व वर्ष में 3,18,601 रु० की लागत की चांदी की वस्तुएं 6,89,827 रु० में बेच दीं। विधि में दी गई कटौतियां अनुमत करने के पश्चात् इस विक्री के परिणाम-स्वरूप 2,19,736 रु० का कर-योग्य पूंजी अभिलाभ हुआ। पूंजी अभिलाभ की राशि न तो निर्धारिती ने विवरणी में दिखाई और न ही इस पर विभाग द्वारा कर लगाया गया। ऐसा करने में चूक हो जाने से 1.64 लाख रु० का पूंजी अभिलाभ कर नहीं लगाया गया।

पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को सितम्बर, 1980 में भेजा गया था; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर, 1980)।

(ii) आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत जहां पूंजी अभिलाभ ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति के अन्तरण से उद्भूत होता है जो ऐसी भूमि है जो उस तारीख से, जिसको अन्तरण हुआ, तुरन्त पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान निर्धारिती द्वारा या उसके माता या पिता द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाती रही हो और निर्धारिती ने उस तारीख के पश्चात् दो वर्ष की कालावधि के भीतर कोई अन्य भूमि कृषिक प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त करने के लिए क्रय कर ली हो, वहां नई कृषि भूमि की लागत से अधिक हुआ निवल पूंजी अभिलाभ उस पूर्व वर्ष की "आय" के रूप में कर के लिए प्रभाय है जिसमें अन्तरण हुआ था। गृह सम्पत्ति की विक्री पर पूंजी अभिलाभ की छूट के विषय में इसी प्रकार के उपबंध की व्याप्ति को समझाते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि यह रियायत केवल व्यष्टियों के लिए लागू है, न कि हिंदू अविभक्त कुटुम्बों के लिए।

दो हिंदू अविभक्त कुटुम्बों के मामले में निर्धारण वर्ष 1974-75 में कृषि भूमि की विक्री से उद्भूत हुए पूंजी अभिलाभ का एक अंश जो प्रत्येक के मामले में 66,041 रु० था, इस आधार पर कर-मुक्त कर दिया गया कि उन्होंने निर्धारित अवधि में तीन अन्य हिंदू अविभक्त कुटुम्बों के साथ संयुक्त रूप से कृषि भूमि खरीद ली थी। चूंकि यह रियायत हिंदू अविभक्त कुटुम्बों को अनुज्ञेय नहीं थी, इसलिए दोनों मामलों में प्रत्येक की 66,041 रु० की आय अवनिर्धारित हुई और निर्धारण वर्ष 1974-75 में कुल मिलाकर 1,29,108 रु० का कर कम लगा।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि बोर्ड को व्याख्यात्मक अनुदेश जारी करने पड़े; यह तथ्य यही सूचित करता है कि मामला संदेह से परे नहीं था। तथापि यह तथ्य रह जाता है कि बोर्ड के अनुदेशों के जारी किये जाने के 1½ वर्षों से अधिक समय के पश्चात्, जब निर्धारण परिसीमन द्वारा कालातीत हो गया, विभाग द्वारा निर्धारण संशोधित नहीं किया गया और परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

3.11 फर्मों और भागीदारों के निर्धारण में भूलें

आय-कर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत फर्मों को रजिस्ट्रीकृत फर्मों और अरजिस्ट्रीकृत फर्मों में वर्गीकृत किया जाता है। एक रजिस्ट्रीकृत फर्म अपनी आय पर केवल थोड़ा सा कर देती है; इसकी शेष आय भागीदारों के बीच संविभाजित कर दी जाती है और उनके व्यक्तिगत निर्धारणों में शामिल की जाती है। एक अरजिस्ट्रीकृत फर्म अपनी कुल आय पर पूरा कर देती है। जहां भागीदारी के निर्धारणों को पूरा करने के समय फर्म का निर्धारण पूरा न किया गया हो, वहां भागीदारों के निर्धारणों में फर्म से उनके भाग में आई आय को अनन्तिम आधार पर शामिल कर लिया जाता है और बाद में फर्म का निर्धारण पूरा होने पर उनके भाग में आई अन्तिम आय को शामिल करने के लिए संशोधित कर दिया जाता है। इस प्रयोजन के लिए आय-कर अधिकारियों को "अनन्तिम भागीदारी की आय के मामलों का रजिस्टर" रखना होता है जिससे इन मामलों के समाशोधन में चूक न हो जाए। ऐसे मामलों में भागीदारों के निर्धारणों के संशोधित न किए जाने के उदाहरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1975-76 के पैराग्राफ 61(i), लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1976-77 के पैराग्राफ 59, लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1977-78 के पैराग्राफ 53(ख) (ii) और लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1978-79 के पैराग्राफ 54 में टिप्पणी की गई है।

पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में दिए गए पैराग्राफों के अनुसरण में लोक लेखा समिति ने समय-समय पर फर्मों के निर्धारण पूरा हो जाने के बाद भागीदारों के भाग की आय के अनन्तिम निर्धारणों के संशोधन में हुए विलम्ब पर चिंता व्यक्त की है और ऐसे मामलों पर निगाह रखने में हुई असफलता को गंभीरता से लिया है। इस बारे में उनके सुझाव टिप्पणियां उनकी 21वीं रिपोर्ट (तीसरी लोक सभा) के पैराग्राफ 65,

उनकी 28वीं रिपोर्ट (तीसरी लोक सभा) के पैराग्राफ 45, उनकी 51वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोक सभा) के पैराग्राफ 2.224 और उनकी 186वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोक सभा) के अध्याय VIII में दी गई हैं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भी इस मामले में मार्च 1973 में अनुदेश जारी किए थे।

(i) वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए एक रजिस्ट्रीकृत फर्म के निर्धारणों को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 147 के अधीन फिर से आरम्भ किया गया और पुर्ननिर्धारणों को 18-11-1977 को अंतिम रूप दिया गया। तथापि, उसी आयकर अधिकारी द्वारा निर्धारित फर्म के 3 भागीदारों के निर्धारणों को, उनमें फर्म से हुई आय के संशोधित भाग को शामिल किए जाने के लिए, अक्टूबर 1979 तक समाशोधित नहीं किया गया था। मामलों के लंबित होने के बारे में न तो भागीदारों के निर्धारण अभिलेखों में और न ही इस प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा 1973 में निर्धारित रजिस्टर में कोई टिप्पणी दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए इन तीन भागीदारों पर 40,256 रु० तक का कर क. लगा।

(ii) एक और मामले में एक व्यक्ति के निर्धारण वर्ष 1968-69 के निर्धारण को, जिसका मूलतः निर्धारण मार्च 1972 में 1,22,460 रु० पर किया गया था, अपील में अपास्त कर दिया गया था। नया निर्धारण मार्च 1976 में किया गया और अगस्त 1978 में अपीलीय आदेशों को लागू करने के लिए अंतिम रूप से संशोधित किया गया। अगस्त 1978 में अंतिम रूप से संगणित कुल आय की राशि 85,000 रु० बनती थी जिसमें एक फर्म से 16,705 रु० की उसके भाग की अनन्तिम आय शामिल थी।

तथापि, अगस्त 1978 में उसके निर्धारण को अंतिम रूप देते समय फर्म के निर्धारण मामले को ध्यान में नहीं रखा गया था और न ही फर्म के पूरे किए गए निर्धारण को ध्यान में रखने के पश्चात् बाद के संशोधन पर निगरानी रखने के लिए निर्धारित रजिस्टर में इस तथ्य का कोई अभिलेख रखा गया था कि फर्म के भाग की आय को अनन्तिम आधार पर अपनाया गया है।

मार्च 1972 में पूरा किया गया 1968-69 के लिए फर्म का मूल निर्धारण मार्च 1975 में अपील में अपास्त कर दिया गया था और नये निर्धारण को मार्च 1978 में अंतिम रूप दिया गया जिसके अनुसार निर्धारिती के भाग की आय 93,694 रु० बनती थी।

निर्धारिती के निर्धारणों में फर्म से आय के अंतिम भाग के शामिल किए जाने में चूक के परिणामस्वरूप 61,661 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

(iii) एक अन्य रजिस्ट्रीकृत फर्म के मामले में निर्धारण वर्ष 1972-73 और 1973-74 के लिए उसके चार भागीदारों के भाग की आय का निर्धारण अनन्तिम आधार पर इस शर्त के अध्वधीन किया गया था कि फर्म के निर्धारण के पूरा होने पर इन्हें संशोधित किया जाएगा। निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए फर्म का निर्धारण मार्च 1975/जनवरी 1976 में पूरा किया गया था/समाशोधित किया गया था जबकि वर्ष 1973-74 का निर्धारण मार्च 1976 में पूरा किया गया था किंतु अंतिम भाग की आय के आधार पर भागीदारों के निर्धारण फर्म के संशोधित निर्धारणों के पूरा हो जाने से 13 से 25 महीनों की अवधि के पश्चात् भी संशोधित नहीं किए गए थे। यह भी देखने में आया कि आयकर अधिकारी द्वारा ऐसे संशोधन के लिए कोई टिप्पणी नहीं रखी गई थी। इसके परिणामस्वरूप 86,823 रु० के कर की कम मांग की गई।

(iv) निर्धारण वर्ष 1970-71 से 1974-75 तक के दौरान के अन्य 40 मामलों में फर्मों से हुई अनन्तिम भाग/आय को लेकर निर्धारण इस शर्त के अध्वधीन पूरे किए गए थे कि उनका समाशोधन किया जाएगा। यद्यपि बाद में फर्मों के निर्धारण पूरे किए जा चुके थे तथापि फर्मों के निर्धारण के पूरा किए जाने के 13 से 48 महीनों की अवधि के बीत जाने के बाद भी भागीदारों के निर्धारणों को उनके अवधारित भागों (शेयरों) को अपनाकर, समाशोधित करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 1,59,619 रु० के कर का अव-निर्धारण हुआ।

3,48,359 रु० के कर का कुल अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने 9 मामलों में आपत्ति को स्वीकार कर लिया है; शेष 39 मामलों में उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1980)।

3.12 पति-पत्नी/अवयस्क संतान की आय को शामिल करने में चूक

(i) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यष्टि की कुल आय की संगणना करने में ऐसी सभी आय सम्मिलित की जाएगी जो कोई कारबार चलाने वाली ऐसी फर्म में जिसमें ऐसा व्यष्टि भागीदार है, उस व्यष्टि के पति-पत्नी को/अवयस्क संतान को पति-पत्नी/अवयस्क संतान की सदस्यता से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उद्भूत होती हो। इसके अतिरिक्त न्यायिक मत यह दिया गया है कि जहां कोई व्यष्टि किसी संयुक्त कुटुम्ब का प्रतिनिधित्व भी करता हो तो वहां भागीदारी कुटुम्ब और अन्य भागीदारों के बीच नहीं होती अपितु व्यक्तिगत रूप से व्यष्टि और अन्य भागीदारों के बीच होती है। इन मामलों में प्राप्त आय के लिए कर्ता कुटुम्ब के प्रति उत्तरदायी हो सकता है किंतु भागीदारी एक ऐसी बात है जो अनन्यतः संविदा करने वाले सदस्यों के बीच होती है। इसका निष्कर्ष यह निकलता है कि ऐसे मामलों में भी अधिनियम में उल्लिखित आय सम्मिलित करने के उपबन्ध लागू होंगे।

निर्धारण वर्ष 1975-76 से 1978-79 तक के दौरान 2 आयुक्तों के प्रभारों में 4 मामलों में पति-पत्नी/अवयस्क संतान की ऐसी आय सम्बद्ध निर्धारितियों की कुल आय में शामिल नहीं की गई थी जिसके परिणाम-स्वरूप 1,06,829 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

(ii) अधिनियम में इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था है कि यदि पति और पत्नी दोनों ही एक फर्म के भागीदार हों तो पति-पत्नी और उनकी अवयस्क संतान की फर्म से हुई भाग की आय पति-पत्नी में से उस एक की आय में शामिल की जानी चाहिए जिसकी कुल आय, जिसमें से ऐसी शेयर आय निकाल दी गई हो, बड़ी हो।

4 आयुक्तों के प्रभारों में निर्धारण वर्ष 1973-74 से 1978-79 के दौरान 8 मामलों में पति-पत्नी/अवयस्कों की ऐसी आय ऐसे अन्य पति-पत्नी की आय में शामिल नहीं की गई थी जिसकी कुल आय, ऐसी शेयर आय को निकालकर, अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप 1,26,251 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

(iii) 1 अप्रैल, 1976 से यथासंशोधित अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि किसी व्यष्टि की अवयस्क संतान को, उद्भूत होने वाली आय, जो अवयस्क को भागीदारी के लाभ में सम्मिलित करने से हुई हो, उस व्यष्टि की आय की संगणना में शामिल की जाएगी चाहे ऐसा व्यष्टि फर्म में भागीदार न भी हो।

निर्धारण वर्ष 1973-74 से 1978-79 तक के दौरान 10 आयुक्तों के प्रभारों में 22 मामलों में अवयस्क संतान की ऐसी आय सम्बद्ध निर्धारितियों की आय में शामिल नहीं की गई थी। ऐसे करने में चूक के परिणामस्वरूप 5,20,140 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

(iv) इसके अतिरिक्त, 1 अप्रैल, 1976 से किए गए संशोधन के अनुसार किसी व्यष्टि की कुल आय की संगणना में, ऐसे व्यष्टि के पति-पत्नी को किसी प्रतिष्ठान से, जिसमें व्यष्टि का पर्याप्त हित हो, वेतन, कमीशन फीस या अन्य प्रकार के पारिश्रमिक के रूप में चाहे नकद या माल के रूप में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उद्भूत हुई आय उसकी कुल आय में शामिल की जाएगी।

एक आयुक्त के प्रभार में एक मामले में निर्धारण वर्ष 1976-77 से 1978-79 के लिए ऐसी आय सम्बद्ध निर्धारितियों की कुल आय में इस प्रकार से सम्मिलित नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप 29,280 रु० का अवप्रभार हुआ।

पैराग्राफ सितम्बर 1980 में वित्त मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

3.13 अन्य प्रत्यक्ष करों के अभिलेखों के साथ सहसंबंध स्थापित न करने के कारण निर्धारण से छूटी आय

प्रत्यक्ष करों के प्रशासन में समग्र सुधार को सुनिश्चित करने के लिए इन करों से सम्बद्ध निर्धारण अभिलेखों के बीच उचित सह-संबंध स्थापित करने की आवश्यकता पर लोक लेखा समिति द्वारा बार-बार बल दिया जाता रहा है। इस संबंध में लोक लेखा समिति की 186वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोक सभा) के पैराग्राफ 4.12 और 4.13 और 61वीं रिपोर्ट

(छठी लोकसभा) के पैराग्राफ 1.19 का उल्लेख किया जा सकता है। यद्यपि सहसंबंध स्थापित न किए जाने वाले ऐसे मामलों के संबंध में पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में लगातार ध्यान दिलाया जाता रहा है और ऐसे सह-संबंध को स्थापित करने के बारे में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भी दिनांक 15-5-1970, 10-1-1973, 8-5-1973, 24-8-1973, 15-11-1973 और 11-4-1979 को अनुदेश जारी किए हैं तथापि अन्य प्रत्यक्ष करों के निर्धारण अभिलेखों में पहले से ही उपलब्ध सूचना को उपयोग में न लाने के परिणामस्वरूप हुए कर के अवप्रभार देखने में आते रहे हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं:—

(i) एक नगर में खाली भूखण्डों के दस क्षेत्रों में दो भाइयों के, जो अपने अपने हिंदू अविभक्त कुटुम्बों के प्रतिनिधि थे, एक समान अधिकार थे। यह बात निर्धारण वर्ष 1972-73 तक और उसके समेत के उनके धन-कर निर्धारणों में उनके द्वारा स्वीकार की गई थी। किंतु निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए उन्होंने धन-कर के कराधान हेतु परिसंपत्तियों को नहीं दिखाया और न ही उसके लिए उन्होंने कोई कारण सूचित किया। इस वर्ष के धन-कर निर्धारण को अंतिम रूप देते समय (मार्च 1979) विभाग ने विवरणियों का पूर्ववर्ती वर्ष की विवरणियों के साथ सह-संबंध स्थापित नहीं किया और परिणामस्वरूप चूक की ओर ध्यान नहीं दे पाया। लेखापरीक्षा में जब इस ओर ध्यान दिलाया गया (जून 1979), तो विभाग ने बताया कि उनमें से एक निर्धारित के अनुसार खाली भूखण्ड फरवरी 1970 में ही बेच दिए गए थे और यदि भूखण्ड गैर-कृषि के पाए गए तो लेन-देन पर पूंजी अभिलाभ-कर लगाने के संबंध में विचार किया जाएगा। तथापि, जांच करने पर यह पाया गया कि निर्धारितियों ने विक्रय विलेख को रजिस्ट्रीकृत कराने पूर्व विभाग से आवश्यक सांविधिक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया था और इस प्रकार निर्धारण वर्ष 1971-72 के आय-कर निर्धारण अभिलेखों में विवादग्रस्त भूखण्डों की बिक्री के बारे में सूचना दी गई थी। इसके अतिरिक्त यह देखने में आया कि निर्धारितियों और उनके एक और भाई (समान अधिकारों वाले) ने भूखण्ड फरवरी 1970 में 3.75 लाख रु० के कुल प्रतिफल पर बेचे थे। चूंकि भूखण्ड गैर-कृषि (भवनों के लिए भूखण्ड) थे इसलिए निर्धारण वर्ष 1971-72 में सभी तीन भाइयों की आय पर विभाग को पूंजी अभिलाभ कर लगाना चाहिए था। दो भाइयों के मामले में ऐसा करने में चूक (यह सूचना कि इस

लेन-देन पर तीसरे भाई का पूंजी अभिलाभ कर निर्धारण हुआ है कि नहीं सहज ही मुलभ नहीं थी) के परिणामस्वरूप 70,246 रु० के कर का अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को स्वीकार कर लिया है।

(ii) एक हिंदू अविभक्त कुटुम्ब ने निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए आयकर विवरणी दाखिल की जिसमें 9,085 रु० की आय दिखाई गई थी और उसी राशि पर उसका निर्धारण किया गया था। तथापि, धन-कर अभिलेखों से मामले का सह-संबंध स्थापित करने पर यह देखने में आया कि 61,000 रु० से बेचे गए एक मकान के संबंध में पूंजी अभिलाभ निर्धारित करने से छूट गया। अनुमोदित मूल्यांकक की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें 31-3-1969 को मकान के मूल्य का अनुमान 21,000 रु० लगाया गया था और यह बताते हुए कि लगभग 60 वर्ष पूर्व इसका निर्माण किया गया था, पूंजी अभिलाभ निकालने के लिए 1-1-1954 को मकान का मूल्य 10,000 रु० लिया जा सकता था। उस आधार पर 34,500 रु० की राशि पूंजी अभिलाभ निर्धारण से छूट गई जिसके परिणामस्वरूप 16,815 रु० का कर कम लगाया गया और 5,669 रु० का ब्याज (विवरणी देरी से दाखिल करने के लिए) नहीं लगाया गया। इसके अतिरिक्त, विवरणी को देरी से दाखिल करने के लिए और आय के ब्याज छिपाने के लिए लगाए जाने योग्य अर्थदंडों की राशि क्रमशः 8,656 रु० और 16,815 रु० थी। लगाए जाने वाले कर, ब्याज और अर्थदंडों के कुल अवप्रभार की राशि 47,954 रु० बनती थी।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है कि विवादग्रस्त निर्धारण को पुनः खोल दिया गया है।

(iii) एक निर्धारिती की धन-कर विवरणियों से यह देखने में आया कि सुसंगत वर्षों के दौरान आय के आधार पर उत्तरोत्तर वर्षों में धन में वृद्धि दिखाई गई थी। जबकि आयकर प्रयोजनों के लिए वर्ष 1974-75 के लिए निर्धारित आय उस आय के आंकड़ों से मेल खाती थी जो धन-कर विवरणी में दिखाए गए थे, बाद के दो वर्षों (1975-76 और 1976-77) में इस प्रकार से निर्धारित की गई आय तदनुसारी अवधियों की धन-कर विवरणियों में दिखाई गई आय के आधार पर बड़े हुए धन

से बहुत कम थी। प्रत्यक्ष करों के निर्धारण अभिलेखों में सह-संबंध स्थापित न किए जाने के परिणामस्वरूप दो वर्षों में 95,850 रु० की आय का अवनिर्धारण हुआ। परिणामस्वरूप कम कर लगाए जाने की राशि 50,722 रु० बनती थी और आय के गलत व्यौरे दिखाए जाने के लिए लगाये जाने योग्य अर्थ-दण्ड की राशि 66,170 रु० बनती थी।

आपत्ति को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्रालय ने बताया है कि विचाराधीन निर्धारण संशोधित कर दिए गए हैं और घरेलू खर्चों के लिए आय कर अधिकारी द्वारा की गई अभिवृद्धियों को ध्यान में रखने के पश्चात् मांग किए गए अतिरिक्त कर की राशि 1,08,861 रु० बनती है।

3.14 व्याज का न लगाया जाना/गलत लगाया जाना

(i) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन जहां किसी निर्धारण वर्ष की विवरणी विनिर्दिष्ट तिथि के पश्चात् भेजी जाती है तो निर्धारिती को विनिर्दिष्ट तिथि के तुरन्त बाद के दिन से लेकर विवरणी भेजे जाने के दिन तक निर्धारित दरों पर व्याज देना होगा जो नियमित निर्धारण पर अवधारित कुल आय पर देय कर की राशि, जिसमें से अग्रिम कर, यदि कोई हो, और स्रोत पर काटा गया कोई कर घटा दिया गया हो, पर लगाया जाएगा। अधिनियम में इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था है कि जहां भूल सुधार किए जाने के परिणामस्वरूप कर की वह राशि जिस पर व्याज देय था, कम की गई हो तो वहां व्याज भी तदनुसार घटा दिया जाएगा।

(क) एक रजिस्ट्रीकृत फर्म ने निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए अपनी आय-विवरणी नवम्बर, 1975 में अर्थात् अधिनियम के अन्तर्गत आय विवरणी दाखिल करने की अनुज्ञेय तारीख अगस्त 1973 से 27 महीने बाद दाखिल की। जनवरी, 1978 में दिए गए संशोधित निर्धारण आदेश के अनुसार (मूल निर्धारण जनवरी 1977 में किया गया था) निर्धारिती द्वारा देय व्याज की राशि की संगणना करते समय विभाग ने विलम्ब की अवधि 27 महीनों की बजाए 19 महीने लगाई जिसके फलस्वरूप 21,355 रु० का व्याज कम लगाया गया।

(ख) इसी प्रकार निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए निर्धारिती द्वारा आय विवरणी मई 1977 में अर्थात् आय विवरणी दाखिल करने के

लिए निर्धारित तारीख अर्थात्, अगस्त, 1975 से 20 महीने बाद दाखिल की गई थी। यद्यपि विलम्ब से विवरणी दाखिल करने के लिए शास्तिक ब्याज जुलाई, 1978 में पूरे किए गए मूल निर्धारण में प्रभावित किया गया था तथापि विभाग ने दिसम्बर, 1978 में निर्धारण संशोधित करते समय 40,580 रु० का शास्तिक ब्याज नहीं लगाया।

उपरोक्त गलतियों के परिणामस्वरूप इन दो निर्धारण वर्षों में कुल 61,935 रु० ब्याज नहीं/कम लगाया गया।

अपत्ति को स्वीकार करते समय वित्त मंत्रालय ने बताया है कि उपरोक्त निर्धारण संशोधित कर दिए गए हैं और मांगे गए और वसूल किए गए कर की राशि 61,935 रु० है।

(ii) अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि यदि वर्तमान आय पर देय कर के मांगे गए अग्रिम कर की रकम से 33½ प्रतिशत से अधिक बढ़ जाने की संभावना हो, वहां निर्धारिती को अपनी आय का अनुमान दाखिल करना होता है और अग्रिम कर की किस्तों की अदायगी के लिए निर्धारित तारीखों को या उनसे पहले उस अनुमान के अनुसार अग्रिम कर की रकम अदा करनी होती है। जहां नियमित निर्धारण करते समय, आयकर अधिकारी को पता लगे कि ऐसे निर्धारिती ने अपनी वर्तमान आय का अनुमान नहीं भेजा है; वहां उस वित्तीय वर्ष जिसमें अग्रिम कर संदेय था, के बाद आगामी अप्रैल के प्रथम दिन से नियमित निर्धारण की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज उतनी रकम पर संदेय होगा—जितने से कि संदत्त अग्रिम कर निर्धारित कर से कम पड़ता है।

निर्धारण वर्ष 1976-77 के लिए दो व्यष्टि निर्धारितियों को क्रमशः 26,240 रु० और 63,000 रु० का अग्रिम कर अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किए गए थे। दोनों मामलों में उनके द्वारा विवरणी में दिखाई गई आय पर संदेय ब्याज 1,56,882 रु० बनता था। चूंकि अतिरिक्त कर देयता मांगे गए अग्रिम कर से 33½ प्रतिशत से अधिक थी, इसलिए कानून के अन्तर्गत निर्धारितियों से यह अपेक्षित था कि वे अधिक कर के लिए अनुमान प्रस्तुत करते और तदनुसार अग्रिम कर अदा करते। ऐसा न करने

के कारण निर्धारित 1,09,362 रु० के ब्याज प्रभार के लिए देनदार बन गए जो कि विभाग द्वारा नहीं लगाया गया था।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(iii) जहां कोई निर्धारित अग्रिम कर को छोड़कर मांग नोटिस में निर्दिष्ट किसी अन्य रकम के नोटिस की तामिल से पैंतीस दिन के भीतर रकम अदा नहीं करता तो उसे पैंतीस दिन की अवधि के समाप्त होने की तारीख से अदायगी करने की तारीख तक निर्धारित दर पर ब्याज अदा करना होगा। इसके अतिरिक्त, आयकर नियमावली, 1962 के अन्तर्गत प्रभार्य ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में संगणित किया जाना चाहिए और नए सिरे से मांग भेजी जानी चाहिए।

दो व्यष्टि निर्धारितियों को निर्धारण वर्ष 1960-61 की बाबत क्रमशः 6,53,296 रु० और 6,26,145 रु० का कर अदा करने के लिए 3 अगस्त, 1966 को मांग नोटिस तामिल किए गए थे। अंततः मांगे गए कर की राशि घटा कर क्रमशः 304,126 रु० और 3,08,042 रु० कर दी गई थी और मार्च 1972 और मार्च 1973 के बीच कई किश्तों में उसकी अदायगी की गई। चूंकि निर्धारितियों ने निर्धारित समय के भीतर मांग की अदायगी नहीं की थी, इसलिए उनके द्वारा सितम्बर, 1966 से मार्च, 1973 तक की व्यतिक्रम अवधि के लिए निर्धारित दरों पर ब्याज के रूप में कुल 2,94,086 रु० की राशि संदेय थी। तथापि, उसको वसूल करने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

3.15 सरकार द्वारा ब्याज की परिहार्य या गलत अदायगी

(i) आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, जहां किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी निर्धारित द्वारा अदा किया गया अग्रिम कर नियमित निर्धारण पर अवधारित किए गए कर की रकम से बढ़ जाता है तो सरकार अधिक अदा की गई अग्रिम कर की रकम पर उस वित्तीय वर्ष के बाद आगामी अप्रैल के पहले दिन से नियमित निर्धारण की तारीख तक की अवधि के लिए निर्धारित दर पर ब्याज अदा करेगी बशर्ते कि अग्रिम कर विभाग द्वारा जारी किए गए नोटिस के अनुसार

या निर्धारिती द्वारा दाखिल किए गए अनुमान के अनुसार, जैसी भी स्थिति हो, अदा किया गया हो। इसके अतिरिक्त, अग्रिम कर की अदायगी की आखिरी तारीख के बाद किसी निर्धारिती द्वारा अदा किए गए अग्रिम कर पर ब्याज अदा नहीं किया जाएगा, जैसाकि अक्टूबर, 1975 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी किए गए अपने अनुदेशों में इसकी पुष्टि की गई थी।

निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए एक पूर्ण न्यास के निर्धारण में, कुल आय अंततः शुद्ध अवधारित की गई थी और निर्धारिती द्वारा मार्च, 1974 में पहले अदा की गई 1,00,574 रु० की समस्त राशि वापस कर दी गई थी। 1,00,574 रु० की उपरोक्त राशि को अग्रिम कर की अदायगी मानकर उस पर 56,280 रु० का ब्याज भी अदा किया गया था। किंतु चूंकि वर्तमान मामले में 1,00,574 रु० की उपरोक्त राशि निर्धारिती द्वारा 29 मार्च, 1974 को जो कि इस मामले में अग्रिम कर की अदायगी के लिए अंतिम तारीख, अर्थात् 15 दिसम्बर, 1973 के बाद पड़ती थी, जमा की गई थी, इसलिए ब्याज अनुज्ञात करने के लिए उसे अग्रिम कर की अदायगी नहीं माना जा सकता। यह भी देखने में आया था कि निर्धारिती द्वारा अदा की गई उपरोक्त राशि के मामले में न तो विभाग द्वारा निर्धारिती को कोई सांग नोटिस तामील किया गया था और न ही उसके द्वारा संदेय अग्रिम कर का कोई अनुमान दाखिल किया गया था। इसलिए विभाग द्वारा 56,280 रु० का ब्याज अदा किया जाना अनियमित था।

वित्त मंत्रालय ने एक न्यायिक निर्णय के आधार पर निर्धारण अधिकारी की कार्यवाही का समर्थन किया है यद्यपि यह निर्णय बोर्ड के वर्तमान अनुदेशों और एक अन्य न्यायिक निर्णय के विपरीत है।

(ii) आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत, जहां अपील में दिए गए किसी निर्णय या अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्रवाई के अन्तर्गत कोई राशि निर्धारिती को प्रतिदेय हो जाती है और आयकर अधिकारी उस महीने के अन्त से जिसमें कि ऐसा आदेश दिया गया हो, 3 महीने की अवधि के अन्दर प्रतिदाय अनुदत्त नहीं करता तो केन्द्रीय सरकार निर्धारिती को 3 महीने की उपरोक्त अवधि के तुरन्त बाद की तारीख

से उस तारीख तक जिसको कि प्रतिदाय अनुदत्त जारी किया गया है, देय प्रतिदाय की राशि पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर साधारण व्याज अदा करेगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड द्वारा भी जुलाई, 1962 में इस आशय के अनुदेश जारी किये गए थे कि आयकर अधिकारी अपीलीय आदेशों की प्राप्ति से एक पखवाड़े के अंदर प्रतिदाय मामलों का निपटान कर देगा।

एक व्यष्टि निर्धारिती ने 1959-60, और 1961-62 से 1970-71 तक के ग्यारह निर्धारण वर्षों के लिए आयकर अधिकारी द्वारा पूरे किए गए निर्धारणों के विरुद्ध अपील की। अपीलीय अधिकारी ने उनके बारे में जनवरी 1974 और फरवरी, 1975 में आदेश पारित किए। उन आदेशों के आधार पर निर्धारिती को 1,48,670 रु० का प्रतिदाय देय हो गया। विभाग द्वारा केवल सितम्बर, 1978 में प्रतिदाय अनुमत किया गया। पूर्वोक्त अपीलीय आदेशों को लागू करने में लगभग चार वर्ष के विलम्ब के परिणामस्वरूप निर्धारिती को 81,758 रु० का व्याज भी अदा करना पड़ा।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

3.16 अर्थ-दण्ड का न लगाया जाना

(i) अनिवार्य जमा योजना (आयकर-दाता), 1974।

अनिवार्य जमा योजना (आयकर-दाता) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत जहां किसी व्यष्टि या अविभक्त हिंदू कुटुम्ब की वर्तमान आय निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए पंद्रह हजार रुपये से बढ़ जाती है, वहां निर्धारिती को विनिर्दिष्ट दरों पर और विनिर्दिष्ट तारीखों तक अनिवार्य जमा राशि देनी होती है। यदि निर्धारिती राशि जमा नहीं कराता अथवा जमा की गई राशि अपेक्षित रकम से कम हो तो उसे न अदा की गई या कम अदा की गई अनिवार्य जमा की राशि पर 25 प्रतिशत की दर से शास्ति अदा करनी होगी।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1976-77 के पैराग्राफ 64 में इस संबंध में चूक के मामलों में अर्थदंड न लगाने के बारे में उल्लेख किया गया था। लेखापरीक्षा आपत्तियों के फलस्वरूप, निरीक्षण निदेशालय (आयकर)

ने भी डी०आई० (आई०टी०) परिपत्र संख्या -78 दिनांक 22 मार्च, 1979 में आवश्यक अनुदेश जारी किए थे। तथापि, इस संबंध में अनियमित-ताएं जारी हैं।

एक आयुक्त के प्रभार में आयकर वाडों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया था कि 1976-77 से 1978-79 तक के निर्धारण वर्षों के दौरान 230 निर्धारितियों ने 3,75,683 रु० की अनिवार्य जमा राशि अदा नहीं की थी। योजना के उपरोक्त उपबंधों के अन्तर्गत उद्ग्राह्य अर्थ दण्ड की रकम 93,911 रु० बनती है। इन मामलों में न अदा की गई अनिवार्य जमा राशि को प्राप्त करने और अर्थ दण्ड लगाने के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

यह पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को जुलाई, 1980 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 1980)।

(ii) व्याज की विवरणियों का प्रस्तुत न किया जाना

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर किसी प्रकार का अन्य व्याज जिसकी राशि 1000 रुपये से अधिक हो, अदा करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वह निर्धारण वर्ष के जून महीने की 15 तारीख को या उससे पूर्व आयकर अधिकारी को विहित फार्म में विवरणी प्रस्तुत करें जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम और पते दिए गए हों जिनको ब्याज अदा किया गया है। विवरणी प्रस्तुत न करने पर चूक की अवधि के लिए 10 रु० प्रतिदिन तक का अर्थ दण्ड उद्ग्राह्य है।

एक आयुक्त के प्रभार में आयकर वाडों की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखने में आया था कि 1975-76 से 1978-79 तक के निर्धारण वर्षों में 77 निर्धारितियों से संबंधित 100 मामलों में इस उपबन्ध का अनुपालन नहीं किया गया था किंतु चूक करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। कानून के अन्तर्गत लगाए जाने वाले अर्थ दण्ड की अधिकतम रकम 4,19,160 रु० बनती है।

यह पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को जुलाई, 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 1980)।

ध्यान देने योग्य अन्य बातें

3.17 एक निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई विवरणी के गुम हो जाने के कारण राजस्व की हानि

निर्धारण वर्ष 1967-68 तक लागू होने वाले आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अन्तर्गत सभी निर्धारण उस निर्धारण वर्ष, जिसमें कि आय पहले निर्धारणीय हुई थी, के अन्त से चार वर्ष की समय सीमा के अन्दर पूरे किए जाने चाहिए।

एक व्यष्टि निर्धारिती के मामले में निर्धारण अधिकारी ने यह पाने पर कि निर्धारण वर्ष 1967-68 के लिए कोई विवरणी दाखिल नहीं की गई थी, उसे (उस महिला को) विवरणी प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया। उत्तर में निर्धारिती ने जून, 1976 में विवरणी दाखिल की जिसमें 2,47,970 रु० की आय दिखाई गई थी किंतु उस निर्धारिती ने दावा किया कि उसने पहले ही जनवरी, 1968 में विवरणी दाखिल कर दी थी और विभाग द्वारा चार वर्ष की विहित समय सीमा के अन्दर इस निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण पूरा न किए जाने से मामला पहले ही कालातीत हो गया था। निर्धारण अधिकारी ने इन तथ्यों की जांच किए बिना जनवरी, 1977 में 280,860 रु० की कुल आय पर निर्धारण कर दिया और 1,92,108 रु० के कर की मांग की। निर्धारिती ने इस निर्धारण के विरुद्ध अपील दायर की। अपील की कार्रवाई के दौरान उसने विवरणी की पावती के फलस्वरूप विभाग द्वारा जनवरी, 1968 में दी गई रसीद दिखाई और विवरणी में दिखाई गई आय के आधार पर फरवरी, 1968 में किए गए स्वनिर्धारण पर कर की अदायगी के समर्थन में 1,33,157 रु० के चालान की एक प्रति भी पेश की। सहायक अपीलीय आयुक्त ने नवम्बर, 1977 में निर्धारण रद्द कर दिया और निदेश दिया कि अपीलकर्ता के बयान की सच्चाई की जांच की जाए। अंततः निर्धारण कार्रवाई कानून में अमान्य होने के कारण आयुक्त के परामर्श से फरवरी, 1978 में समाप्त कर दी गई और निर्धारिती से की गई 1,92,108 रु० के कर की मांग रद्द कर दी गई। निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई विवरणी के गुम हो जाने और अधिनियम के अंतर्गत विहित समय सीमा के अन्दर विभाग द्वारा निर्धारण पूरा न किए जाने के कारण 58,951 रु०

की निवल राजस्व हानि हुई जो कि स्वनिर्धारण पर कर की अदायगी के प्रति निर्धारिती द्वारा जमा की गई 1,33,157 रु० की राशि के क्रेडिट को ध्यान में रखने के बाद निकलती है।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

3.18 रद्द किए गए/फिर से किए गए निर्धारणों को पूरा करने में असाधारण विलम्ब

1943-44, 1944-45, 1945-46 और 1946-47 के निर्धारण वर्षों के लिए एक फर्म के मूल निर्धारण जो पहले वर्ष रजिस्ट्रीकृत फर्म (अनिवासी) की हैसियत से और अगले तीन वर्ष अरजिस्ट्रीकृत फर्म (अनिवासी) की हैसियत से क्रमशः 25-3-1948, 21-4-1949, 12-2-1949 और 12-2-1949 को पूरे किए गए थे, आयकर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा मार्च, 1953 में रद्द कर दिए गए थे और यह निदेश दिया गया था कि फर्म की प्रास्थिति के मामले का निर्णय करने के लिए आवश्यक तथ्यों को दर्ज करने के बाद कानून के अनुसार फिर से निर्धारण किए जाएं। चारों वर्षों के रद्द किए गए निर्धारण, निर्धारण अधिकारी द्वारा एक पक्षीय रूप से 2-3-1976 को अर्थात् 23 वर्ष के बाद पूरे किए गए थे और मूल निर्धारणों में अपनाई गई प्रास्थिति को मानते हुए कुल 8,05,077 रु० की मांग की गई थी। एक पक्षीय निर्धारण निर्धारिती द्वारा 29-3-1976 को दाखिल किए गए आवेदन पत्र पर बाद में पुनः किए जाने के लिए रद्द कर दिए गए जिसमें यह तर्क दिया गया था कि 28-2-1976 को, जो कि सुनवाई के लिए निर्धारित की गई तारीख थी, कोई पेशी नहीं हो सकती थी क्योंकि "महाशिव रात्रि" के कारण राज्य सरकार की छुट्टी थी और बैंक में भी छुट्टी थी। फिर से खोले गए निर्धारण मार्च, 1980 तक पूरे नहीं किए गए थे।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

3.19 विदेशी मुद्रा के रूपान्तरण के लिए गलत दरों का अपनाया जाना

आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी भी आय पर जो किसी निर्धारिती को भारत के बाहर उपचित या उद्भूत होती है या किसी भी आय पर जो किसी निर्धारिती को विदेशी मुद्रा

में उचित या उद्भूत तो होती है किन्तु भारत में उपन्नित या उद्भूत हुई समझी जाती है, भारत में कर लगेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई आयकर नियमावली, 1962 में यह विहित किया गया है कि रुपयों में मूल्य की संगणना करने के लिए विनिमय दर विनिर्दिष्ट तारीखों पर भारतीय स्टेट बैंक की तार-अंतरण क्रय दर होगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सितम्बर, 1978 में जारी किए गए कार्यकारी अनुदेशों के अंतर्गत ऐसी दरें केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सूचित की जाएगीं और विदेशी मुद्रा के रूपांतरण के प्रयोजन के लिए अपनायी पड़ेगी।

निर्धारण वर्ष 1978-79 के लिए 20 अनिवासी निर्धारितियों के निर्धारण मामलों में बोर्ड द्वारा यथासूचित सही दरें नहीं अपनाई गई थी। इसके फलस्वरूप आय 80,074 रु० कम निर्धारित की गई और 58,607 रु० का कर कम लगाया गया।

यह पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर, 1980)।

3.20 अग्रिम कर नोटिस के जारी न किये जाने के कारण राजस्व के संग्रह में विलम्ब

1-6-1978 से संशोधन होने से पूर्व, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबन्धों के अंतर्गत, किसी निर्धारिती के मामले में, जिसका आयकर निर्धारण नियमित निर्धारण के रूप में पहले किया जा चुका हो, निर्धारण अधिकारी से अपेक्षा की गई थी कि वह अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अवधारित अग्रिम कर अदा करने के लिए उसे नोटिस जारी करें। यदि कोई निर्धारिती जिसे अग्रिम कर अदा करना होता है, अनुमानित करता है कि उसकी वर्तमान आय पर देय आध-कर अवधारित अग्रिम कर से 33% प्रतिशत से अधिक होगा, तो उसे अपनी वर्तमान आय का अनुमान दाखिल करना होता है और तदनुसार अग्रिम कर अदा करना होता है। जब ऐसा अनुमान दाखिल न किया गया हो तो उसे उस वित्तीय वर्ष जिसमें अग्रिम कर देय था, के आगामी अप्रैल के पहले दिन से नियमित निर्धारण की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से शास्तिक व्याज देना होगा।

एक व्यक्ति निर्धारित की जाने वाली, जिसका आयकर निर्धारण पहले हो चुका था, अग्रिम कर की अदायगी के लिए विभाग द्वारा 1975-76 के निर्धारण वर्ष की बाबत कोई मांग नोटिस जारी नहीं किया गया था। अग्रिम कर नोटिस जारी न किए जाने के कारण 7.6 लाख रु० के राजस्व का संग्रहण 3½ वर्ष तक स्थगित रहा और उस पर कोई ब्याज नहीं लगाया जा सका।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है।

अध्याय—4

अन्य प्रत्यक्ष कर

क-धनकर

4.01 1975-76 से 1979-80 तक के वित्तीय वर्षों में धनकर के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां इन वर्षों के बजट अनुमानों की तुलना में निम्नलिखित थी:—

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़ें
		(करोड़ रुपयों में)
1975-76	43	53.73
1976-77	52	60.44
1977-78	54.90	48.46
1978-79	55	55.41
1979-80	60	64.47
		(अन्तिम)

4.02 1976-77 से 1979-80 तक के निर्धारण वर्षों के अंत में मांग की बकाया राशि और निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या नीचे दी गई है। मांग की बकाया राशि कर की वार्षिक वसूली की राशि के तीन गुणा से भी अधिक है।

वर्ष	निर्धारण के बकाया मामलों की संख्या	मांग की बकाया राशि
		(करोड़ रुपयों में)
1976-77	2,88,949	52.75
1977-78	3,14,224	56.41
1978-79	3,31,561	184.08
1979-80	4,32,988	180.54

4.03 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 से धन-कर अधिनियम 1957 में एक उपबन्ध लागू कर दिया गया था जिसमें धनकर के मामलों में निर्धारण/पुनर्निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय-सीमा विहित कर दी गई थी। 1-1-1976 से प्रभावी होने वाले इस उपबन्ध से पहले, इन निर्धारणों को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं थी। इस संशोधन के अनुसार, 1974-75 तक के निर्धारण वर्षों के लिए कोई भी निर्धारण 1-4-1975 से चार वर्ष की समाप्ति के बाद, अर्थात् 31-3-1979 के बाद नहीं किया जा सकता था। लेखा-परीक्षा में यह देखने में आया कि बकाया निर्धारणों को पूरा करने का काम उपलब्ध 3 वर्षों में चरणबद्ध नहीं किया गया था, अपितु निर्धारण वर्ष 1978-79 के अंतिम महीनों में किया गया था। मामलों को कालातीत होने से बचाने के लिए इन बकाया निर्धारणों में से अधिकांश निर्धारण मार्च 1979 में पूरे किए गए थे। सीमा अवधि की समाप्ति के निकट ऐसे बकाया निर्धारणों को जल्दी-जल्दी पूरा करने के परिणामस्वरूप हुई गलतियों/चूकों के अनेक मामले इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दिए गए हैं।

4.04 धन-कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत किए गए निर्धारणों की 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक की अवधि के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान निम्न प्रकार की गलतियाँ देखने में आईं जिनके फलस्वरूप कर का अवनियमन हुआ:—

- (i) निर्धारण से छूट गया धन।
- (ii) परिसम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन।
- (iii) निवल धन की गलत संगणना।
- (iv) छूट का गलत अनुमत किया जाना।
- (v) दरों का गलत ढंग से लगाया जाना।
- (vi) अतिरिक्त धन-कर का न लगाया जाना।
- (vii) शास्ति और ब्याज का न लगाया जाना।
- (viii) कार्यवाई में अधिक विलम्ब जिससे राजस्व की हानि हुई।

ऐसी गलतियों को दर्शाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए जाते हैं।

4.05 अन्य प्रत्यक्ष करों के अभिलेखों के साथ मिलान न करने के कारण निर्धारण से छूट गया धन :

लोक लेखा समिति विभिन्न प्रत्यक्ष करों से संबंधित निर्धारण अभिलेखों के बीच समुचित समन्वय करने की जरूरत पर जोर देती रही है (समिति की 186वीं रिपोर्ट का पैराग्राफ 4.12) (पांचवीं लोक सभा)। समिति ने अपनी 50वीं रिपोर्ट (पैराग्राफ 2.9) और 103वीं रिपोर्ट (पैराग्राफ 1.2) (पांचवीं लोकसभा) में आयकर के मामलों की समीक्षात्मक जांच करने पर भी विशेष जोर दिया था ताकि धन-कर के अपवंचन के मामलों का पता लगाया जा सके। यद्यपि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में समन्वय के अभाव के ऐसे मामलों की ओर बारबार ध्यान दिलाया गया है और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भी 10-1-1973, 15-11-1973 और 11-4-1979 को अनुदेश जारी किए थे, तथापि धन-कर लगाने के लिए विभिन्न प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत निर्धारिती के निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध सूचना का उपयोग न करने के परिणामस्वरूप कर अवप्रभारित होने के उदाहरण निरन्तर देखने में आते हैं।

लोक लेखा समिति ने अपनी 50वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोकसभा) के पैराग्राफ 2.9 में सिफारिश की थी कि 15,000 रु० से अधिक कारबार आय वाले सभी निर्धारितियों की आयकर विवरणियों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि क्या सभी निर्धारिती जिनका धनकर लगने योग्य है, विवरणियां प्रस्तुत कर रहे हैं। बोर्ड द्वारा निर्धारण वर्ष 1973-74 तक की गई समीक्षा से व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के क्रमशः 1,16,599 और 15,064 मामलों में 44 लाख रु० के धन-कर के छूट जाने के बारे में पता चला। चूंकि धन-कर छूट जाने के मामले लेखापरीक्षा द्वारा अपने प्रतिवेदन में निरन्तर सूचित किए जाते हैं, इसलिए बोर्ड ने जून 1980 में 15000 रु० से अधिक कारबार आय वाले व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के आयकर संबंधी मामलों की निर्धारण वर्ष 1979-80 तक उसी प्रकार की समीक्षा करने के आदेश दिए थे। इस समीक्षा के परिणाम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 1980)।

(i) दो निर्धारितियों के 1973-74 से 1978-79 तक के निर्धारण वर्षों के निवल-धन की संगणना करते समय, उनके धन में से एक मामले में 1973-74 से 1978-79 तक के निर्धारण वर्षों के लिए

2,53,541. रू० की कटौती और दूसरे मामले में 1976-77 से 1978-79 तक के निर्धारण वर्षों के लिए 1,49,741 रू० की कटौती पूंजी अभिलाभ कर से संबंधित देयता के रूप में अनुज्ञात की गई थी। तथापि, उनके आयकर निर्धारणों में पूंजी अभिलाभ के कारण की गई तदनुसूची वृद्धि अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पहले ही काट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, पूंजी अभिलाभ कर देय नहीं था और जब धन-कर निर्धारणों को वस्तुतः पूरा किया गया तो ऐसी कोई देयता नहीं थी। इस प्रकार इन देयताओं की अनियमित छूट देने के कारण इन दो मामलों में कुल 95,393 रू० का कम कर लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लिया है।

(ii) निर्धारण वर्ष 1969-70 से सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान, एक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब, जिसमें केवल कर्ता और पत्नी शामिल थे, के कर्ता की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इससे हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब 9 अगस्त 1968, उसकी (पत्नी की) मृत्यु की तारीख से समाप्त हो गया क्योंकि एक व्यक्ति से हिन्दू, अविभक्त कुटुम्ब नहीं बन सकता। निर्धारित के आयकर निर्धारण में यह स्थिति स्वीकार कर ली गई थी जिसमें 9 अगस्त 1968 से पूर्व वर्ष के अंत तक प्राप्त आय व्यष्टि की हैसियत में कर्ता के आयकर निर्धारण में शामिल की गई थी। इसी प्रकार, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की समस्त परिसम्पत्तियां कर्ता की व्यक्तिगत जायदाद बन गई थी जिसकी धनकर लगने योग्य अलग जायदाद भी थी। इसके फलस्वरूप, 21 अक्टूबर 1968 अर्थात् सुसंगत मूल्यांकन तारीख को समस्त धन पर जिसमें भूतपूर्व कुटुम्ब की जायदाद का मूल्य और उसकी पृथक जायदाद का मूल्य शामिल था, निर्धारण वर्ष 1969-70 के लिए एक साथ धन-कर निर्धारित किया जाना था। किन्तु व्यष्टि के निवल धन की संगणना करते समय, 34,27,180 रू० की राशि जोकि हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का निवल धन था शामिल नहीं की गई थी और उस रकम पर हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की हैसियत में 16-3-1979 को पृथक रूप से कर लगाया गया था (31-3-1979 को वह कालातीत हो जाना था)। आयकर निर्धारण के समान समस्त राशि पर केवल एक निर्धारण न करने के परिणामस्वरूप उस व्यष्टि के मामले में 34,27,180 रू० का अव-निर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप 97,084 रू० का कर कम लगाया गया।

1969-70 के लिए धन-कर निर्धारण वाद में तब भी संशोधित नहीं किया गया जबकि निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए उस व्यष्टि ने अपनी जायदाद और एकमात्र स्वामी के नाते उसे प्राप्त होने वाली कुटुम्ब की जायदाद दोनों के लिए केवल एक धन-कर विवरणी दाखिल की थी।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

(iii) एक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ने 1973-74 और 1974-75 के निर्धारण वर्षों के लिए अपनी विवरणी में दिखाई गई कृषि भूमि के संबंध में जिसका मूल्य 25,000 रु० दिखाया गया था छूट मांगी जो विभाग द्वारा अनुज्ञात कर दी गई थी। आयकर निर्धारण अभिलेखों और निर्धारण वर्ष 1977-78 के लिए धन-कर निर्धारण के संबंध में निर्धारिती के परिवार द्वारा दाखिल किए गए एक पत्र का मिलान करने पर 1973-74 और 1974-75 के वर्षों का निर्धारण समाप्त करने से पूर्व 19-2-1979 को (31-3-79 को यह कालातीत हो जाना था) लेखापरीक्षा में यह देखने में आया कि भूमि का कुछ हिस्सा एक नगर की म्यूनिसिपल सीमाओं के अंदर स्थित था और उस पर भवन का निर्माण हो चुका था। विभागीय मूल्यांकक की रिपोर्ट के आधार पर 1973-74 और 1974-75 के निर्धारण वर्षों के लिए उस भूमि का मूल्य, जिसपर भवन का निर्माण हो चुका था, क्रमशः 3,52,674 रु० और 5,37,408 रु० संगणित किया गया था। इस प्रकार वह भूमि कृषि-भूमि न होने के कारण कर मुक्त नहीं थी। इन निर्धारणों का आयकर अभिलेखों के साथ मिलान न करने के कारण इन दो निर्धारण वर्षों में 23,806 रु० का धन-कर और 14,671 रु० का अतिरिक्त धन-कर कम लगाया गया।

यह लेखापरीक्षा पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

4.06 गृह-सम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन

धन-कर अधिनियम, 1957 में व्यवस्था है कि किसी परिसम्पत्ति का अनुमानित किया जाने वाला मूल्य वह राशि होगी जो मूल्यांकन की तारीख को उसे खुले बाजार में बेचने से मिलेगी।

परिसम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के द्वारा कर की चोरी को रोकने के लिए निर्धारण अधिकारियों द्वारा भेजे गए मामलों में मूल्यांकन करने के लिए 1969 में एक विभागीय मूल्यांकन कक्ष स्थापित किया गया था। उन मामलों को छोड़कर जहां राजस्व के हित में निर्धारण अधिकारी द्वारा उनकी राय के लिए मामला भेजना आवश्यक समझा जाता है, बोर्ड ने अपने दिसम्बर 1971 के कार्यकारी अनुदेशों और बाद के अनेक अनुदेशों के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन कक्षों को भेजे जाने के लिए सम्पत्तियों के मामलों की श्रेणियां निर्धारित की थी। 1972 में, प्रत्यक्ष कर के कई कानून कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 1972 के माध्यम से संशोधित किए गए थे ताकि मूल्यांकन कक्ष को मूल्यांकन मामलों को भेजने के लिए सांविधिक आधार की व्यवस्था की जा सके। संशोधित अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, धन-कर के मामले में, यदि पंजीकृत मूल्यांकक के प्रमाण-पत्र द्वारा अनुसर्माहित किए गए मामले में निर्धारण अधिकारी का मत है कि विवरणी में दिखाया गया मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम है और किसी अन्य मामले में निर्धारण अधिकारी यह समझता है कि उसका उचित बाजार मूल्य विवरणी में दिखाए गए मूल्य से 33% प्रतिशत से अधिक से या 50,000 रु० से, जो भी कम हो, ज्यादा है तो मूल्यांकन अधिकारी की राय मांगी जाएगी। इस संशोधन के अंतर्गत, विभागीय मूल्यांकन अधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन धन-कर अधिकारी को मानना ही पड़ेगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 1974-75 के पैराग्राफ 14 में उन नमूना मामलों का उल्लेख किया गया था जोकि बोर्ड के अनुदेशों और अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मूल्यांकन-कक्ष को मूल्यांकन के लिए भेजे जाने थे परन्तु भेजे नहीं गए थे। इस पैराग्राफ के अनुसरण में लोक लेखा समिति ने अपनी 7वीं रिपोर्ट (छठी लोक सभा) के पैराग्राफ 2.41 और 3.96 में बोर्ड से कहा था कि वह इन चूकों को गम्भीरता से ले और मूल्यांकन के लिए कक्ष को मामले भेजने के लिए निर्धारण अधिकारियों को समुचित अनुदेश जारी करे। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पुनः अनेक अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें से नवीनतम अनुदेश 27-4-1979 को जारी किए गए थे, जिनमें निदेश दिया गया था कि इस प्रकार के मामले भेजने में कोई चूक नहीं की जानी चाहिए।

विभागीय मूल्यांकन कक्ष को गृह सम्पत्तियों के मूल्यांकन के मामलों को न भेजने के मामले निरन्तर देखने में आते हैं। तमूना लेखा-परीक्षा के दौरान देखने में आई कुछ ऐसी चूकें, जो महंगी सिद्ध हुई, नीचे दी जाती हैं :—

(i) 1974-75 से 1976-77 तक के निर्धारण वर्षों के लिए एक व्यष्टि के धन-कर निर्धारण और पुनर्निर्धारण जनवरी और मार्च 1977 तथा अक्टूबर 1977 में पूरे किए गए थे जिनमें एक गृह सम्पत्ति का मूल्य 7,44,400 रु० अपनाया गया था जोकि अनुमोदित मूल्यांकन के प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत विवरणी में दिखाया गया था। निर्धारिती के आयकर निर्धारण अभिलेखों से पता चला कि समस्त सम्पत्ति किराए पर दी हुई थी और उससे 1,94,825 रु० का सकल वार्षिक किराया मिल रहा था। 1974-75 से 1976-77 तक के निर्धारण वर्षों के लिए उस का निवल वार्षिक मूल्य क्रमशः 1,18,784 रु०, 1,23,543 रु० और 1,20,247 रु० था। यद्यपि बोर्ड के दिसम्बर 1971 के अनुदेशों के अनुसार मूल्यांकन के लिए यह मामला मूल्यांकन कक्ष को भेजा जाना अपेक्षित था तथापि ऐसा नहीं किया गया, हालांकि सम्पत्ति का मूल्य 5 लाख रु० से अधिक था और निर्धारिती द्वारा विवरणी में दिखाया गया मूल्य निवल किराया मूल्य के आठ गुने से भी कम था। उसी निर्धारिती के निर्धारण वर्ष 1974-75 और 1975-76 के धन-कर निर्धारणों में उसकी शहरी परिसम्पत्ति के मूल्य पर अतिरिक्त धन-कर भी नहीं लगाया गया था।

सितम्बर 1976 और अगस्त 1977 में लेखापरीक्षा द्वारा इन गलतियों की ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने उन्हें स्वीकार कर लिया और मामला विभागीय मूल्यांकन कक्ष को भेज दिया जिसने 1974-75 से 1976-77 तक के निर्धारण वर्षों के लिए गृह सम्पत्ति का मूल्य क्रमशः 11,36,000 रु० 11,27,000 रु० और 14,18,000 रु० अवधारित किया। इस पर विभाग ने मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अवधारित मूल्य अपनाते हुए निर्धारणों को संशोधित कर दिया और 1974-75 तथा 1975-76 के निर्धारण वर्षों के लिए 72,286 रु० की अतिरिक्त मांग भेजी। निर्धारण वर्ष 1976-77 के विषय में रिपोर्ट प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

यह लेखापरीक्षा पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

(ii) तीन व्यक्तियों के संयुक्त स्वामित्व वाली कुछ अचल सम्पत्तियों का मूल्य अवधारित करते समय, धन-कर अधिकारी ने निर्धारण वर्ष 1966-67 के लिए उनका मूल्य 14.25 लाख रु० अनुमानित किया। यद्यपि 21 दिसम्बर 1957 को जारी किए गए बोर्ड के स्थायी आदेशों के अंतर्गत यह मूल्य तीन वर्षों के सामान्य अंतराल पर संशोधित किया जाना था, तथापि दो निर्धारितियों के मामले में निर्धारण वर्ष 1973-74 तक और तीसरे निर्धारिती के मामले में निर्धारण वर्ष 1972-73 तक वही मूल्य निर्धारणों में अपनाया गया था। इसके अतिरिक्त, दिसम्बर 1971 में जारी किए गए बोर्ड के अनुदेशों के अन्तर्गत इन सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन कक्ष की राय मांगी जानी अपेक्षित थी। किन्तु मामला मूल्यांकन कक्ष के पास नहीं भेजा गया। सहायक आयुक्त (निरीक्षण) के निदेशानुसार, इन सम्पत्तियों के मूल्यांकन का मामला विभागीय मूल्यांकन कक्ष को केवल जनवरी 1977 में भेजा गया और मूल्यांकन कक्ष ने 1965, 1968 और 1972 के अप्रैल मास के पहले दिन को उपरोक्त सम्पत्तियों का मूल्य क्रमशः 17.69 लाख रु०, 20.60 लाख रु० और 24.58 लाख रु० आंका। इसलिए समय पर सही मूल्य अवधारित न करने के कारण इन तीन मामलों में 1966-67 से 1973-74 तक के निर्धारण वर्षों के लिए सम्पत्ति का मूल्य 38,38,492 रु० कम लगाया गया और जिसके परिणामस्वरूप 67,679 रु० का धन-कर कम लगा और उतनी ही राजस्व की हानि हुई।

यह लेखापरीक्षा पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को अगस्त 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

(iii) एक निर्धारिती के मामले में, 1970-71 से 1975-76 तक के निर्धारण वर्षों के निर्धारणों में, उसकी कृषि भूमि का मूल्य 95,832 रु० अवधारित किया गया था। किन्तु यह देखने में आया कि विभाग के मूल्यांकन अधिकारी ने एक अन्य मामले में समीप की उसी तरह की भूमि का मूल्य आंका था और यदि वर्तमान मामले में वही दरें अपनाई जातीं तो निर्धारिती की भूमि का मूल्य 2,91,015 रु० बनता जबकि विवरणी में दिखाया गया मूल्य 95,832 रु० था। इस बात को ध्यान में

रखते हुए, इस मामले में मूल्यांकन के लिए मूल्यांकन कक्ष को लिखा जाना अपेक्षित था किन्तु ऐसा नहीं किया गया था। भूमि के मूल्यांकन के बारे में विभागीय मूल्यांकन अधिकारी को न लिखने या ज्ञात मूल्यों को न अपनाने के कारण, छः निर्धारण वर्षों में से प्रत्येक में 1,95,183 रु० का धन कम निर्धारित किया गया। इसके अतिरिक्त, निर्धारण वर्ष 1975-76 में कृषि-भूमि और कुछ वित्तीय परिसम्पत्तियों पर अधिनियम द्वारा विहित 1.50 लाख रु० की अधिकतम अनुमत सीमा से 68,000 रु० की अधिक छूट भी दी गई थी। इन गलतियों के परिणामस्वरूप 32,386 रु० का धन-कर कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है।

4.07 नमूना लेखापरीक्षा में देखने में आए निम्नलिखित मामलों में धन-कर अधिकारी ने मूल्यांकन अधिकारी के मूल्यांकन रिपोर्ट पर सम्पत्तियों के मूल्यांकन को आधार नहीं बनाया, यद्यपि धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन ऐसा मूल्यांकन उस पर बाध्य था।

(i) निर्धारण वर्ष 1970-71 से 1974-75 तक के लिए एक व्यष्टि की धन-कर विवरणियों में एक बड़े नगर के भली भाँति विकसित भाग में 3,751 वर्ग गज के माप की भूमि का एक टुकड़ा शामिल था। इस भूमि को कृषि भूमि होने का दावा किया गया था और विवरणी में इसका मूल्य निर्धारण वर्ष 1970-71 से 1972-73 तक के लिए 3 लाख रु० और निर्धारण वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए 3.30 लाख रु० दिखलाया गया था जिसे अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा प्रमाणित किया गया था। निर्धारण अभिलेखों को देखने से पता चला कि अगस्त 1974 में इन निर्धारण वर्षों के लिए धन-कर अधिकारी ने भूमि को गैर-कृषि भूमि माना था और 2 अगस्त, 1974 को इसके मूल्यांकन के लिए विभागीय मूल्यांकक को भेजा था। 23 मई, 1975 की अपनी रिपोर्ट में मूल्यांकन अधिकारी ने भूमि का अलग-अलग मूल्यांकन किया था जोकि निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए 4,87,630 रु० से लेकर निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए 8,32,730 रु० तक था। मूल्यांकन अधिकारी ने स्थल पर निरीक्षण करने के बाद यह रिपोर्ट तैयार की थी और उसने अपनी इस रिपोर्ट में यह बताया था कि यह भूमि जोती हुई

नहीं थी और इसके चारों ओर बाड़ा बना दिया था और यह नगर के भली भाँति विकसित पुराने रिहायशी क्षेत्र में स्थित थी। तथापि, भूमि को गलती से कृषि-भूमि मानकर तथा एक अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा प्रमाणित 3 लाख रु० तथा 3.30 लाख रु० के विवरणी में दिए गए मूल्य को स्वीकार करके 30 दिसम्बर 1978 को अर्थात् इस मूल्यांकन रिपोर्ट के साढ़े तीन वर्षों से अधिक समय के बाद इन पांच निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारण को अंतिम रूप दिया गया। इन निर्धारण आदेशों में इस बात का कोई हवाला नहीं दिया गया था कि भूमि का मूल्यांकन कराने के लिए मामला मूल्यांकन अधिकारी के पास भेजा गया था और उसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी। विभागीय मूल्यांकन अधिकारी की मूल्यांकन रिपोर्ट, जोकि धनकर अधिकारी के लिए बाध्य थी, पर विचार न करने के कारण निर्धारण वर्ष 1970-71 से 1974-75 के निर्धारण वर्षों के धनकर निर्धारणों में (जो एक साथ 30 दिसम्बर 1978 को की गई थी जबकि यह 31 मार्च, 1979 को कालातीत होने वाली थी) कुल 24.80 लाख रु० के धन का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप 87,527 रु० का कर कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली गई है।

(ii) किसी महानगर में एक गृह सम्पत्ति जो चार अलग-अलग निर्धारितियों के बराबर बराबर हिस्से में थी, विभागीय मूल्यांकक द्वारा निर्धारण वर्ष 1972-73 और 1974-75 के लिए क्रमशः 31,87,500 रु० और 21,33,600 रु० (इसका मूल्य इसलिए गिर गया क्योंकि इसके कई फलैटों को बेच दिया गया था), मूल्यांकित की गई थी। जनवरी 1978 में एक सह-स्वामी के मामले में धन-कर निर्धारण पूरा करते समय, विभाग ने कथित मूल्यांकन के आधार पर सम्पत्ति के मूल्य में उसके एक चौथाई भाग पर विचार किया। सितम्बर 1974 और फरवरी 1975 में पूरे हुए 1972-73 से 1974-75 तक के ही निर्धारण वर्षों के लिए अन्य तीन सह-स्वामियों के धन-कर निर्धारणों में गृह सम्पत्ति का मूल्य अपेक्षाकृत बहुत कम लिया गया था। बाद में प्राप्त विभागीय मूल्यांकक की रिपोर्ट के अनुसार अधिक मूल्य लिए जाने के लिए इन निर्धारणों में भी संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी। ऐसा नहीं किया गया। इस चूक के कारण कुल मिलाकर 31,86,621 रु० के धन का अव-निर्धारण

हुआ जिससे कुल 82,578 रु० का धन-कर कम लगाया गया जिसमें अतिरिक्त धन-कर का न लगाया जाना भी शामिल था।

इसके अतिरिक्त, जून 1970 के बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार सम्पत्ति के सही मूल्य के संबंध में विचार करने के लिये इन सभी चार मामलों में पिछले निर्धारणों (निर्धारण वर्ष 1970-71 और 1971-72 के लिये जो उसके समय कालातीत नहीं हो गये थे) पर जून 1978 में, जब विभागीय मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी, धन-कर अधिकारी द्वारा भी फिर से विचार किये जाने की आवश्यकता थी। ऐसा भी नहीं किया गया। निर्धारण वर्ष 1970-71 और 1971-72 के लिये ये निर्धारण अब कालातीत हो गये थे।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है और कहा है (दिसम्बर 1980) कि इस बात की जांच की जा रही है कि क्या निर्धारण से बच गए धन के लिए अब कोई उपचारी कार्यवाही की जा सकती है।

(iii) किसी महानगर में एक व्यष्टि के पास एक गृह सम्पत्ति थी। उसने 1964-67 में उसी ग्रहाते में एक अन्य बहु मंजिले भवन का और निर्माण किया। जनवरी 1972 की अपनी रिपोर्ट में विभागीय मूल्यांकन कक्ष ने 31 मार्च 1968 को समस्त सम्पत्ति का मूल्य 29,61,000 रु० निर्धारित किया जिसमें नए निर्माण पर हुआ 18,83,500 रु० का मूल्य शामिल था। किन्तु निर्धारण वर्ष 1968-69 (मूल्यांकन की तारीख 6 अप्रैल 1968) के लिए 28-3-1979 (जबकि उनके पूरा करने की अवधि की अंतिम तारीख 31-3-1979 थी) को पूरा किए गए धन-कर निर्धारण में उक्त सम्पत्ति का मूल्य गलती से 22,32,026 रु० लिया गया था जिसमें नए निर्माण की लागत केवल 11,54,526 रु० ली गई थी। इस प्रकार, इस निर्धारण में निर्धारण वर्ष 1968-69 के लिए विभागीय मूल्यांकन कक्ष द्वारा निर्धारित मूल्य को छोड़ दिया गया था। इसके फलस्वरूप सम्पत्ति के 7,28,974 रु० से अब-मूल्यांकन किए जाने के कारण अतिरिक्त धन-कर की राशि शामिल करके 44,494 रु० का धन-कर कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है और बताया है (दिसम्बर 1980) कि उपचारी कार्यवाही की जा रही है।

(iv) जुलाई 1976 के दौरान पूरे किये गए 1972-73 से 1975-76 तक के निर्धारण वर्षों के लिए एक व्यष्टि के धन-कर निर्धारण में निर्धारिती की अचल सम्पत्ति का मूल्य 21,200 रु० निर्धारित किया गया था जैसा कि निर्धारिती द्वारा विवरणी में दिया गया था। निर्धारण अभिलेखों के देखने से पता चला कि इस सम्पत्ति के मूल्यांकन का मामला विभागीय मूल्यांकन अधिकारी के पास भेजा गया था जिसने 30 अक्टूबर 1976 की अपनी रिपोर्ट में निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए सम्पत्ति का मूल्य 4,79,000 रु० निर्धारित किया था जो निर्धारण वर्ष 1973-74 और 1974-75 तथा इसके मूल्य में वृद्धि के किसी प्रमाण के अभाव में निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए भी लागू होगा। अक्टूबर 1976 में मूल्यांकन अधिकारी द्वारा निर्धारित ऊंचे मूल्यांकन के बारे में निर्धारण अधिकारी को सूचित किए जाने पर भी, सितम्बर 1979 में लेखापरीक्षा की तारीख तक इन निर्धारणों पर नए सिरे से विचार करने के लिये उसने कोई कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही न करने के कारण कुल मिलाकर 18,31,200 रु० के धन का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप निर्धारण वर्ष 1972-73 से 1975-76 के लिए 40,799 रु० का कर कम लगाया गया। चूंकि पिछली लेखापरीक्षा के दौरान निर्धारिती के निर्धारण अभिलेख उपलब्ध नहीं किये गए थे इसलिए लेखापरीक्षा आपत्ति पहले नहीं जारी की जा सकी।

4.08 गलत मूल्यांकन के अन्य मामले

(i) 1966-67 से 1974-75 तक के निर्धारण वर्षों के लिये किसी निर्धारिती के आयकर अभिलेखों से पता चला कि उसने मई 1960 में बंगलौर के किसी अमीर इलाके में 1,14,605 वर्ग फुट भूमि की 1,05,000 रु० में खरीद की थी और उसने वर्ष 1965-66 और 1974-75 के बीच कुल 27,605 वर्ग फुट भूमि के टुकड़ों को बेचा था। इन व्यौरों के संदर्भ में निर्धारण वर्ष 1966-67 से संबद्ध मूल्यांकन तारीखों को निर्धारिती द्वारा धारित भूमि का क्षेत्र 1,06,108 वर्गफुट होगा और जो बाद की मूल्यांकन तारीखों को उत्तरोत्तर कम होता जाएगा जिससे यह निर्धारण वर्ष 1974-75 से संबद्ध मूल्यांकन तारीख को 87,000 वर्ग फुट रह जायेगा। 1966-67 से 1974-75 तक के निर्धारण वर्षों के लिए निर्धारिती के धन-कर निर्धारणों में, जो एक साथ 16-3-1979

को (जिन्हें 31-3-1979 को कालातीत होना था) किये गये थे, अलग-अलग मूल्यांकन तारीखों को निर्धारिती द्वारा धारित भूमि का क्षेत्र समान रूप से केवल 50,000 वर्ग फुट लिया गया था और इसका मूल्य निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1974-75 तक के लिये 5,56,600 रु० लिया गया था और पिछले निर्धारण वर्षों के लिये हर वर्ष के निर्धारण के लिए मूल्य में 10 प्रतिशत की कटौती की गई थी। इस प्रकार सभी निर्धारण वर्षों के लिए भूमि का सही क्षेत्र जो आयकर अभिलेखों से निकाला जा सकता था, मूल्यांकन करने में नहीं लिया गया जिसके परिणामस्वरूप 1966-67 से 9 वर्षों के लिए कुल 36,29,107 रु० के धन का अव-निर्धारण हुआ और 86,706 रु० का कर कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने सिद्धांत रूप में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) एक व्यष्टि के पास एक शहरी क्षेत्र में एक अचल सम्पत्ति थी जिसमें एक भवन, एक बाह्य-गृह, एक पेगी-गृह और 5831 वर्ग गज की भूमि थी। निर्धारण वर्ष 1962-63 के लिए निर्धारिती के धन-कर निर्धारणों में धन-कर अधिकारी ने सम्पत्ति का मूल्य 1,04,600 रु० निर्धारित किया जिसे निर्धारिती द्वारा अपील किए जाने पर अपीलीय अधिकरण द्वारा कम करके 95,100 रु० कर दिया गया। उसने निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1977-78 तक के लिए अपनी धन-कर विवरणियों में 1962-63 के निर्धारण वर्ष के लिए अधिकरण द्वारा अवधारित 95,100 रु० के उसी मूल्य को लिया था। इन सभी निर्धारण वर्षों के धन-कर निर्धारणों को, फरवरी 1979 के दौरान (जबकि निर्धारण वर्ष 1974-75 तक के लिए यह 31-3-1979 को कालातीत होना था) अंतिम रूप दिया गया जिसमें निर्धारिती द्वारा विवरणी में दिये गये 95,100 रु० के मूल्य को स्वीकार किया गया। यद्यपि 10 से 15 वर्षों के बीच की अवधि के दौरान शहरी सम्पत्तियों के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई थी, विवरणी में दिया गया और आंका गया मूल्य 95,100 रु० ही बना रहा। यह देखने में आया कि इलाके में स्थित खुली भूमि, जहां निर्धारिती की सम्पत्ति थी, निर्धारण वर्ष 1972-73 के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान 9 रु० प्रति वर्ग फुट से अधिक की दर पर बेची गई थी। निर्धारिती के स्वामित्व वाली भूमि की 9 रु० प्रति वर्ग फुट की दर से संगणना करके और निर्धारण वर्ष 1962-63 के लिए निर्धारिती द्वारा विवरणी में दिया

गया भवन का मूल्य 51,600 रु० लिये जाने पर भी निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1977-78 तक के लिये संपत्ति का बाजार मूल्य 5,23,920 रु० से कम नहीं था जब विभिन्न निर्धारणों में इसका मूल्य 95,100 रु० ही लिया गया था। इस अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप 1971-72 से 1977-78 तक के प्रत्येक निर्धारण वर्षों के लिए निवल धन का निर्धारण 4,28,820 रु० कम हुआ जिसके कारण 49,860 रु० का कुल धन-कर कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने सिद्धांत रूप में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है।

4.09 आभूषण का गलत मूल्यांकन

एक व्यष्टि के स्वामित्व वाले आभूषण और चांदी की वस्तुओं को निर्धारण वर्ष 1972-73 और 1973-74 के लिए 4,00,000 रु० और 1,00,000 रु० और बाद के निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए 4,25,000 रु० और 1,20,000 रु० निर्धारित किया गया। तथापि, चूंकि सोने और चांदी की दरें जो 31-3-1972 को 202.75 रु० प्रति 10 ग्राम और 534.50 रु० प्रति कि० ग्रा० थी, 31-3-1974 को बढ़कर क्रमशः 596.रु० प्रति 10 ग्राम और 1260 रु० प्रति कि० ग्राम० हो गई। अतः 31-3-1973 और 31-3-74 के संबद्ध मूल्यांकन तारीखों को आभूषण और चांदी की वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 5,50,000 रु० और 1,16,000 रु० और 9,98,000 रु० और 2,35,700 रु० होगा। आभूषण और चांदी की वस्तुओं के अवमूल्यांकन के कारण कुल 8,54,700 रु० के धन का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप निर्धारण वर्ष 1973-74 और 1974-75 में 63,040 रु० का कर कम लगा।

वित्त मंत्रालय ने सिद्धांत रूप में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है।

4.10 निवल धन की संगणना में गलतियां

(1) एक ही परिवार के समूह के तीन व्यष्टियों के मामले में 1967-68 से 1974-75 तक के समस्त निर्धारण वर्ष के लिए उनमें से दो के और 1964-65 से 1975-76 तक के निर्धारण वर्षों के लिए तीसरे के धन-कर निर्धारणों को 8 मार्च 1979 और 28 मार्च 1979 को पूरा किया गया (जबकि उनके पूरा करने की अवधि की अंतिम

तारीख 31-3-1979 थी) । इन निर्धारणों में, 1968-69 से 1975-76 तक के निर्धारण वर्षों के लिए उन में से दो के निवल-धन में शामिल किसी फर्म में शेयर हित की संगणना फर्म के तुलन-पत्रों में दर्शाई गई सभी हानियों और देयताओं को घटाने के बाद उसमें दर्शाई गई फर्म की निवल परिसम्पत्तियों के आधार पर अधिनियम के अधीन बनाए गए सुसंगत नियमों के साथ पठित धन-कर अधिनियम 1957 की धारा 7(2) के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार की गई थी । इसके अतिरिक्त, जैसाकि निर्धारितियों द्वारा दावा किया गया था, उक्त फर्म में शेयर पूंजी की हानि के कारण इन सभी निर्धारणों में उनके निवल धन में शामिल करने के लिए फर्म में उनके शेयर हित की संगणना करने में गलत कटौती अनुज्ञात की गई थी । इसके कारण क्रमशः कुल 16,35,680 रु०, 14,64,299 रु० और 23,73,755 रु० के धन का अवनिर्धारण हुआ । इसके अतिरिक्त, एक गृह सम्पत्ति में उन में से प्रत्येक के एक तिहाई हित का मूल्य 1967-68 से 1974-75 तक के निर्धारण वर्षों के लिए उन में से दो के और 1964-65 से 1975-76 तक के निर्धारण वर्षों के लिए तीसरे धन-कर निर्धारणों में 1,26,667 रु० लिया गया जैसाकि विवरणी में दिखलाया गया था । 1964-65 से 1966-67 तक के निर्धारण वर्षों के लिये जून 1970 में अपीलीय सहायक आयुक्ता द्वारा अवधारित इस सम्पत्ति का मूल्य 1,66,666 रु० था । इस प्रकार, पिछले निर्धारणों के संदर्भ में भी उनका शेयर हित उपर्युक्त प्रत्येक निर्धारणों में 39,999 रु० तक कम मूल्यांकित किया गया । इस पर भी बोर्ड के इन स्थायी आदेशों का कि तीन वर्षों के सामान्य अंतराल पर एक गृह सम्पत्ति के मूल्यांकन का पुनरीक्षण किया जाए और मूल्यांकन के लिये मूल्यांकन कक्ष के पास भेज कर इसका मूल्यांकन करा लिया जाए, पालन नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त, उपरोक्त प्रत्येक निर्धारितियों ने निर्धारण वर्ष 1967-68 के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान एक व्यष्टि को 40,000 रु० की राशि का दान दिया । जबकि विभाग द्वारा दान को वैध नहीं स्वीकार किया गया और 1967-68 के निर्धारण वर्ष के लिए उन में से दो निर्धारितियों के निवल धन में इस राशि को शामिल कर लिया गया, तीसरे निर्धारितियों के मामले में ऐसा नहीं किया गया ।

इन चूकों के कारण कुल मिलाकर 66,33,706 रु० के धन का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप 1964-65 से 1975-76 तक के

निर्धारण वर्षों के लिए तीन मामलों में कुल 1,04,106 रु० का कर कम लगाया गया ।

वित्त मंत्रालय ने इन गलतियों को स्वीकार कर लिया है और बताया (दिसम्बर 1980) कि उपचारी कार्यवाही की जा रही है ।

(ii) निर्धारण वर्ष 1962-63 से 1974-75 के लिए एक व्यष्टि के धन-कर निर्धारण 20 सितम्बर 1978 को एक साथ किये गये थे (सीमा अवधि के अंतिम निर्धारण वर्ष में) 1 जुलाई 1979 में लेखापरीक्षा द्वारा इन निर्धारणों की संवीक्षा से पता चला कि आभूषणों, कुछ गैर-कृषि शहरी भूमि के मूल्य, सरकार द्वारा कुछ अन्य भूमि के अधिग्रहण से प्राप्य मुआवजे को शामिल नहीं किया गया था और भूमि एवं भवनों का अवमूल्यांकन किया गया था । इसके अतिरिक्त, शहरी परिसम्पत्तियों के संबंध में, अतिरिक्त धन-कर लगाया जाना था क्योंकि उनका मूल्य निर्धारण वर्ष 1965-66 से 1972-73 के लिये अनुमत्य छूट की सीमा से बढ़ गया था । किन्तु अतिरिक्त धन-कर नहीं लगाया गया था । इन सब गलतियों के परिणामस्वरूप इन सभी निर्धारण वर्षों के लिए 70,470 रु० के धन-कर का अवनिर्धारण हुआ ।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था, उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980) ।

4.11 छूट का गलत दिया जाना

(i) वित्त अधिनियम, 1979 द्वारा यथा संशोधित धन-कर अधिनियम 1957 के उपबंधों के अधीन या कृषि, भूमि से किराया या राजस्व के प्राप्तकर्ता द्वारा धारित एक भवन या भवनों के समूह का मूल्य निर्धारण वर्ष 1971-72 से लेकर आगे के लिए धन-कर से मुक्त है बशर्ते कि संबंधित भवन/भवनों भूमि के बिल्कुल पास में हो (हों) और निर्धारिती को भूमि के साथ अपने संबंधों के कारण रिहायशी मकान, भंडार-गृह या उपभवन के रूप में उसकी/उनकी आवश्यकता हो ।

निर्धारण वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए एक अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब के धन-कर निर्धारण में इन उपबंधों के अधीन एक फार्म-हाउस के संबंध में छूट दी गई थी जिसका मूल्य इन निर्धारण वर्षों के

लिए 3,22,500 रु. तथा 8,99,050 रु० था। क्योंकि 30-3-1979 को इस प्रकार परिकल्पित निरधन (अर्थात् 31-3-1979 को कालातीत होने की सीमा से एक दिन पहले) 2 लाख रु० से अधिक नहीं था। अतः धनकर नहीं लगाया गया था। कुटुम्ब और इसके सदस्यों के आयकर धनकर निर्धारण अभिलेखों से पता चला कि 30 मार्च 1970 को इनके सदस्यों के स्वामित्व में 23 एकड़ और 38 कुन्टे कृषिभूमि थी। उस दिन उनके द्वारा 23 एकड़ भूमि आंशिक रूप से बांट दी गई थी जिससे कुटुम्ब के पास 38 कुन्टे भूमि का छोटा सा टुकड़ा बच गया था। निर्धारण वर्ष 1970-71 और उससे आगे के लिए कुटुम्ब के दो सदस्यों के धनकर निर्धारण में उन्होंने भूमि को कृषि-भूमि होने का दावा किया था। किन्तु धनकर अधिकारी ने विभागीय मूल्यांकन अधिकारी, जिसको मूल्यांकन के लिए मामला भेजा गया था, की रिपोर्ट के आधार पर भूमि को गैर कृषि-भूमि सुनिश्चित किया और कृषि-भूमि के लिए स्वीकार्य छूट के दावे को अस्वीकृत कर दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निर्धारिती के स्वामित्व में एक एकड़ से भी कम भूमि थी और भूमि की किस्म भी गैर कृषि की थी 'फार्म-हाउस' के संबंध में किसी प्रकार छूट अनुमत्य नहीं था। 1973-74 और 1974-75 के निर्धारण वर्षों के लिए इस प्रकार अनुमत अनियमित छूट के कारण 3,22,500 रु० और 8,99,050 रु० के धन का अव-निर्धारण हुआ जिससे 57,398 रु० के धनकर (अतिरिक्त धनकर सहित) का अव-प्रभार हुआ। इसके अतिरिक्त यद्यपि निर्धारिती ने निर्धारण वर्ष 1970-71 और उससे आगे के लिए समान प्रकार की छूट का दावा करते हुए विवरणियां दाखिल की थीं किन्तु निर्धारण वर्ष 1970-71 से 1972-73 के लिए कोई निर्धारण आदेश नहीं दिए गए थे। उन के अभाव में लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या इन वर्षों के लिए भी छूट गलती से दी गई थी। अन्यथा ये मामले 31 मार्च 1979 को कालबाधित हो गए होंगे।

उसी मामले में, भवन का मूल्य निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए 3,22,500 रु० विवरणी में दिखाया गया था और निर्धारित किया गया था किन्तु यह मूल्य अनुमोदित मूल्यांकक द्वारा 18-10-1968 को प्रमाणित किया गया था। निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए उसी भवन का मूल्य एक अन्य अनुमोदित मूल्यांकक के 12-7-1974 के एक अन्य प्रमाण-पत्र

के आधार पर 8,99,050 रु० लिया गया था। मूल्य में बड़े भारी अन्तर को देखते हुए और इस तथ्य के कारण कि पहला मूल्यांकन बहुत वर्ष पहले अक्टूबर 1968 में किया गया था, निर्धारण अधिकारी को न केवल निर्धारण वर्ष 1973-74 के लिए सम्पत्ति का सही मूल्य ही अपनाना चाहिए था बल्कि जून, 1970 के बोर्ड के अनुदेशों के अनुसार जुलाई 1974 में या इसके आसपास उसे चाहिए था कि वह जितने वर्षों के लिए सम्भव हो उन के निर्धारणों को फिर से करता ताकि सम्पत्ति का सही मूल्यांकन हो पाता। ऐसा नहीं किया गया था।

बोर्ड के एक अन्य स्थायी अनुदेश के अन्तर्गत सम्पत्तियों का सामान्यतया तीन वर्षों के बाद पुनः मूल्यांकन किया जाना चाहिये। इन अनुदेशों का भी अनुपालन नहीं किया गया था।

निर्धारण वर्ष 1974-75 तक के ये सभी निर्धारण/पुनर्निर्धारण 31 मार्च 1979 को कालबाधित हो गये थे।

वित्त मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) धन-कर अधिनियम, 1957 के अंतर्गत 1970-71 से कृषि-भूमि के मूल्य सहित कृषि भूमि पर कीमती पेड़ों पर धनकर प्रभाय हो गया था। वित्त अधिनियम 1975 द्वारा लागू किए गए एक संशोधन के कारण निर्धारण वर्ष 1976-77 से ऐसे पेड़ कर मुक्त कर दिये गए थे जो वागान के अन्दर स्थित न हों। इसके फलस्वरूप, वागान में खड़े पेड़ों (उनमें उगी हुई फसलों से इतर) पर 1-4-1970 से कर देयता शुरू हो गई थी।

किन्तु एक व्यक्ति के मामले में निर्धारण वर्ष 1970-71 से 1972-73 तक के लिए कतिपय चाय वागानों में चाय के पौधों के लिए जिनका मूल्य 4,85,813 रु०, 4,85,813 रु० और 5,12,702 रु० था, गलती से छूट दे दी गई थी। इसके अतिरिक्त इसी मामले में वागान में "श्रमिकों के घरों" के लिए अस्वीकार्य छूट दी गई थी। इन छूटों को दिए जाने के कारण 43,638 रु० के कर का अव-निर्धारण हुआ।

वित्त मंत्रालय ने गलती को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है।

4.12 गलत दरों का लागू किया जाना

वित्त अधिनियम, 1973 द्वारा यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 और धन-कर अधिनियम, 1957 की अनुसूचियों में निर्धारण वर्ष 1974-75 से ऐसे हर अविभक्त हिन्दू कुटुम्बों के लिए कर (आयकर तथा धन-कर दोनों) की ऊंची दर निर्धारित की गई है जिसके कम से कम एक सदस्य की आय और/या निवल धन कर-निर्धार्य हो। ऐसे विशिष्ट हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के मामलों में उच्चतर दरों पर कर न लगाए जाने संबंधी चूकें 1975-76, 1976-77, 1977-78 और 1978-79 की लेखापरीक्षा रिपोर्टों में ध्यान में लाई गई थी।

1977-78 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 61.3 में यह बताया गया था कि बोर्ड ने जनवरी 1979 में यह आदेश दिया था कि विभाग द्वारा निर्धारण वर्ष 1974-75 और उससे आगे के लिये सामान्यतः आयकर और धनकर मामलों की समीक्षा यह पता लगाने के लिये की जाए कि विशिष्ट हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के संदर्भ में कर की गलत दरों को लागू करने के कारण कर के अवनिर्धारण के कितने मामले थे। यह भी उल्लेख किया गया था कि मार्च 1979 तक की गई एक अधूरी समीक्षा से पता चला था कि 1041 मामलों में 9.29 लाख रु० के आयकर और 132 मामलों में 3.93 लाख रु० के धन-कर का अवनिर्धारण हुआ था। पूरी समीक्षा के परिणाम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 1980)।

इसी बीच अप्रैल, 1979 से मार्च 1980 की अवधि में की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान भी ऐसी गलतियां सामने आईं। आठ आयुक्तों के प्रभारों में विशिष्ट हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों के पंद्रह मामलों में जहां लेखापरीक्षा में ऐसी गलतियों को ध्यान में लाया गया था, निर्धारण वर्ष 1974-75 से 1978-79 के लिए 2,36,219 रु० के धन-कर का अवनिर्धारण हुआ।

इन सभी मामलों में वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है। इन स्वीकृत मामलों में की गई धन-कर की अतिरिक्त मांगों की राशि 2,31,455 रु० है।

4.13 अतिरिक्त धन-कर का न लगाया जाना/कम लगाया जाना

धन-कर अधिनियम, 1957 के अधीन वित्त अधिनियम, 1976 द्वारा इसमें संशोधन किये जाने से पहले जहां एक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के निवल धन में ऐसे भवन या भूमि (सारे पिछले वर्ष के दौरान उसके/उनके कारोबार या पेशे के प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किये गये कारोबार परिसर से इतर) या उनमें अन्तर्निहित कोई अधिकार, शामिल हो, और वह शहरी क्षेत्र में स्थित हो वहां निर्धारित सीमा से अधिक ऐसी शहरी परिसम्पत्तियों के मूल्य पर अतिरिक्त धन-कर लगाया जाना था।

1970-71 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 71 में 67 मामलों में 1.36 लाख रु० के अतिरिक्त धन-कर के अवप्रभार को ध्यान में लाया गया था, इस पर विचार करते हुए लोक लेखा समिति ने अपनी 88वीं रिपोर्ट (पांचवीं लोकसभा) के पैराग्राफ 2.60 में धन-कर मामलों की समीक्षा की इच्छा व्यक्त की। तदनुसार बोर्ड ने 1972 और 1975 की बीच की अवधि में समीक्षा की जिसमें 105 मामलों में 3.25 लाख रु० के अतिरिक्त धन-कर के न लगाए जाने का पता चला। किंतु चूंकि अतिरिक्त धन-कर के न लगाए जाने/कम लगाए जाने के मामलों को बाद की लेखापरीक्षा रिपोर्ट द्वारा ध्यान में लाया जाता रहा है और उल्लिखित किया जाता रहा है इसलिए ऐसा लगता है कि समीक्षा पूरी नहीं हुई थी।

अतः अक्टूबर 1979 में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से यह अनुरोध किया गया था कि वे पूरी समीक्षा की व्यवस्था करें। तदनुसार बोर्ड ने फरवरी 1980 में नए सिरे से समीक्षा करने का आदेश दिया। इस समीक्षा के परिणाम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 1980)।

कुछ ऐसे मामले जिनमें इससे आगे भी चूकें देखने में आई हैं, नीचे दिए गए हैं:—

(i) निर्धारण वर्ष 1968-69 से 1975-76 में से प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए इन निर्धारणों (परिसीमा अवधि के अंतिम निर्धारण वर्ष में सई, 1978 में सब पूरे किए गए) में संगणित किसी व्यष्टि के निवल धन में 25,26,000 रु० की शहरी अचल संपत्ति शामिल थी जिस पर अतिरिक्त धन-कर लगाया जाना था। किंतु विभाग ने ऐसा कर नहीं लगाया। इस

चूक के परिणामस्वरूप सभी उपर्युक्त वर्षों के लिए 2,66,028 रु० के धन-कर की निवल राशि नहीं लगायी गयी। इसके अतिरिक्त यद्यपि निर्धारिती ने स्वतः निर्धारण कर की अदायगी नहीं की थी किंतु स्वतः निर्धारण कर की अदायगी न किए जाने के कारण कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी। वित्त मंत्रालय ने इन चूकों को स्वीकार कर लिया है।

(ii) निर्धारण वर्ष 1969-70 से 1976-77 के लिए 30-12-1978 को (समय-सीमा 31-3-79 को समाप्त होनी थी) निर्धारित एक व्यष्टि के निवल धन में अन्य बातों के साथ-साथ क्रमशः 7,68,700 रु०, 7,68,700 रु०, 8,70,200 रु०, 8,70,200 रु०, 10,59,800 रु०, 11,92,300 रु०, 11,92,300 रु० और 10,98,000 रु० मूल्य की शहरी अचल परिसंपत्तियां शामिल थीं जिन पर कुल 1,78,362 रु० का अतिरिक्त धन-कर लगाया जाना था। किंतु विभाग ने ऐसा कोई कर नहीं लगाया। इसके परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1969-70 से 1976-77 के लिए 1,78,362 रु० का अतिरिक्त धन-कर नहीं लगाया गया।

उसी मामले में निर्धारण वर्ष 1969-70 और 1972-73 से 1976-77 के लिए स्वतः निर्धारण कर की अदायगी न किए जाने के कारण कोई शास्ति नहीं लगाई गई थी। इसके अतिरिक्त स्वतः निर्धारण कर की अदायगी के अनावश्यक विलम्बन से हुई राजस्व हानि से बचा जा सकता था बशर्ते कि निर्धारण अधिकारी ने विवरणी में दिखाए गए धन के आधार पर अनन्तिम निर्धारण किया होता। निर्धारण वर्ष 1972-73 से 1974-75 और 1976-77 के लिए ऐसा नहीं किया गया था।

वित्त मंत्रालय ने इन चूकों को स्वीकार कर लिया है और बताया है कि 1,87,736 रु० की अतिरिक्त मांग कर दी गई है।

(iii) निर्धारण वर्ष 1965-66 से 1974-75 के लिए 31-10-1977 को और निर्धारण वर्ष 1975-76 और 1976-77 के लिए 31-1-1978 को निर्धारित एक व्यष्टि के निवल धन में शामिल की गई शहरी परिसंपत्तियों का मूल्य निर्धारण वर्ष 1970-71 के लिए 7,00,000 रु० की और निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1976-77 के लिए 5,00,000 रु० की छूट सीमा से अधिक था। इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त धन-कर लगाया जाना था। किंतु कोई अतिरिक्त धन-कर नहीं लगाया गया था।

इस चूक के परिणामस्वरूप 1965-66 से 1976-77 के सभी निर्धारण वर्षों में 1,68,708 रु० का अतिरिक्त धन-कर नहीं लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है और बताया है कि उपचारी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(iv) निर्धारण वर्ष 1968-69 से 1974-75 के लिए एक विशिष्ट हिंदू अविभक्त कुटुम्ब की 26-3-1979 को (परिसीमा अवधि का अंत 31-3-1979 को होना था) को किए गए इन वर्षों के निर्धारण में अवधारित निवल धन में निर्धारित सीमाओं से अधिक मूल्य की ऐसी शहरी अचल संपत्तियां शामिल थी जिन पर अतिरिक्त धन-कर लगाया जाना था। किंतु विभाग ने कर नहीं लगाया। इस चूक के कारण कुल 1,56,949 रु० का अतिरिक्त धन कर कम लगाया गया। निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए स्वतः निर्धारण पर कर की अदायगी न किए जाने के कारण शास्ति भी नहीं लगाई गई थी।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1980) कि लेखापरीक्षा आपत्ति अपीलिय आदेशों को लागू करते समय ध्यान में रखी जाएगी।

(v) एक व्यष्टि के निवल धन में निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1974-75 के लिए क्रमशः 10,08,780 रु०, 7,69,755 रु० (विवरणी में दिखाया गया मूल्य 12,25,086 रु०), 7,69,755 रु०, (विवरणी में दिखाया गया मूल्य 12,21,808 रु०), 9,95,643 रु०, 9,95,643 रु०, 9,95,643 रु०, 8,93,162 रु० और 8,93,162 रु० मूल्य की ऐसी शहरी अचल परिसंपत्तियां शामिल थीं जिन पर अतिरिक्त धन-कर लगाया जाना था। किंतु विभाग ने 23-11-1977 को किए गए इन सभी निर्धारणों में से किसी भी निर्धारण में इस कर को नहीं लगाया। इस चूक के कारण कुल 96,287 रु० का अतिरिक्त धन-कर नहीं लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है और बताया है (नवम्बर 1980) कि अतिरिक्त कर की मांग कर दी गई है।

(vi) 22 आयुवतों के प्रभारों में 26 अन्य मामलों में 12,16,118 रु० का अतिरिक्त धन कर उसी प्रकार 1965-66 और

1976-77 के बीच विभिन्न निर्धारण वर्षों के लिए नहीं लगाया गया। इन मामलों में से प्रत्येक मामले में न लगाया गया कर 20,000 रु० से अधिक था।

वित्त मंत्रालय ने सभी मामलों में चूक स्वीकार कर ली है, 19 स्वीकृत मामलों में, 8,25,263 रु० के अतिरिक्त कर की मांग भेजी गई है।

4.14 भागीदारी फर्मों और विशिष्ट प्रकार की कंपनियों के स्वामित्व वाली शहरी परिसंपत्तियों के संबंध में अतिरिक्त धनकर का न लगाया जाना

निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1976-77 के लिए लागू की जाने योग्य धन-कर अधिनियम, 1957 की अनुसूची में व्यवस्था थी कि फर्मों और विशिष्ट प्रकार की कंपनियों की शहरी परिसंपत्तियों के निर्धारित ढंग से संगणित आनुपातिक मूल्य पर अतिरिक्त धन-कर लगाया जायेगा। यदि एक व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुम्ब जो कि एक भागीदार या एक शेयरधारी हो, के स्वामित्व वाली शहरी परिसंपत्तियों के मूल्य सहित आनुपातिक मूल्य निर्धारित सीमा से अधिक हो जाये तो वैसी ही स्थिति बनती थी।

(i) निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1974-75 के लिए दो निर्धारितियों के निचले धन में भूमि और विकास निगम, एक भागीदारी फर्म जिसमें दोनों निर्धारित समान भागीदार थे, द्वारा धारित शहरी भूमि और भवन के मूल्य सहित 18,07,000 रु०, 18,95,200 रु०, 17,02,750 रु० और 18,80,750 रु० मूल्य की शहरी अचल संपत्ति सम्मिलित थी। अतः ऐसी शहरी परिसंपत्तियों के मूल्य पर क्रमशः 1,58,096 रु०, 1,67,996 रु०, 1,43,040 रु० और 1,66,116 रु० का अतिरिक्त धन-कर लगाया जाना था। किंतु ऐसा देखने में आया कि विभाग द्वारा इस पर कर नहीं लगाया गया। इस चूक के परिणामस्वरूप निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1974-75 के लिए कुल 6,35,248 रु० का अतिरिक्त धन-कर नहीं लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि फर्म की भूमि के मूल्य को शामिल करने के लिए विभाग द्वारा अधिकरण के समक्ष की गई अपीलों के परिणाम प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 1980)।

(ii) एक व्यष्टि के मामले में, धन-कर अधिकारी ने उसके स्वामित्व वाली शहरी अचल सम्पत्तियों और एक भागीदारी फर्म जिसमें वह भागीदार था, की परिसंपत्तियों में शामिल शहरी भूमि के आनुपातिक मूल्य पर अतिरिक्त धनकर नहीं लगाया। निर्धारण वर्ष 1973-74 से 1976-77 के लिए धन-कर योग्य सम्पत्तियों का मूल्य क्रमशः 6,13,450 रु०, 6,53,800 रु०, 7,84,064 रु० और 6,10,614 रु० था। इस चूक के कारण कुल 35,335 रु० का अतिरिक्त धन-कर नहीं लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने चूक स्वीकार कर ली है और बताया है कि 35,335 रु० के कर की अतिरिक्त मांग कर दी गई है।

(iii) पांच मामलों में, जिनमें दो व्यष्टियों और तीन हिन्दू अविभक्त कुटुम्बों से संबंधित थे, जहां उनके निवल धन में कुछ भागीदारी फर्मों के भागीदारों के रूप में फर्मों की शहरी परिसंपत्तियों के मूल्य में निर्धारितियों के हित का मूल्य शामिल था, निर्धारण वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लिए कुल 65,44,100 रु० की शहरी संपत्तियों के मूल्य के संबंध में अतिरिक्त धन-कर नहीं लगाया गया। इस भूल से इन सभी मामलों में दो निर्धारण वर्षों के लिए कुल 78,320 रु० का अतिरिक्त धन-कर नहीं लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने यह स्वीकार किया है कि फर्मों के कारबार परिसर के रूप में उपयोग में न लाई जाने वाली फर्मों की शहरी परिसंपत्तियों के संबंध में अतिरिक्त धन-कर लगाया जाएगा।

(iv) एक निर्धारिती के निवल धन में निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1974-75 तक के लिए अन्य संपत्ति के साथ-साथ 4,73,523 रु० के मूल्य की उसके स्वामित्व वाली शहरी परिसंपत्तियां शामिल थीं। 21-1-1979 को इन निर्धारण वर्षों के निर्धारण पूरा करते समय अतिरिक्त धन-कर नहीं लगाया गया था क्योंकि शहरी परिसंपत्तियों का मूल्य 5 लाख रु० से कम था (जबकि समयावधि 31-3-1979 को समाप्त होती थी)। तथापि लेखापरीक्षा में यह देखा गया था (जुलाई 1979) कि उपर्युक्त निर्धारण वर्षों की सुसंगत मूल्यांकन तारीखों को एक प्राइवेट

कंपनी में 16170 शेयरों के कुल निर्गमों में से एक निर्धारिती के पास 7360 शेयर थे और इस प्राइवेट कंपनी के स्वामित्व में 9,36,700 रु० के मूल्य की शहरी परिसंपत्तियां भी थीं। इन शेयरों के मूल्य का भाग, जिसे अतिरिक्त धन-कर लगाए जाने के लिए 'शहरी परिसंपत्तियों' के मूल्य के रूप में माना जाता था, 4,26,000 रु० बनता था। यह मूल्य अतिरिक्त धनकर लगाए जाने के प्रयोजन के लिए छोड़ दिया गया था। इस भूल से निर्धारण वर्ष 1971-72 से 1974-75 के लिए 79,900 रु० का कुल अतिरिक्त धन-कर नहीं लगाया गया था।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली है और बताया है (दिसम्बर 1980) कि अतिरिक्त धन-कर कंपनी की उन शहरी परिसंपत्तियों के मूल्य के अनुपात में लगाया जाएगा जो उसके कारबार परिसर के रूप में उपयोग में नहीं लाई गई हैं।

4. 15 शास्ति का न लगाया जाना

धन-कर अधिनियम 1957 में, अन्य बातों के साथ-साथ शास्ति लगाए जाने की व्यवस्था है यदि कोई निर्धारिती बिना उचित कारण के निर्धारित समय में धन-कर विवरणी प्रस्तुत नहीं करता। जुलाई 1969 में जारी किए गए अपने कार्यकारी अनुदेशों में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने निदेश दिया कि जहां धन-कर अधिकारी ने मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शास्ति न लगाए जाने का निर्णय किया हो वहां इन शास्ति उपबंधों को लागू न करने के विस्तृत कारण देते हुए आदेश पत्र में टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए। कारणों को दर्ज किए बिना शास्ति न लगाए जाने के मामले देखे जाते रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप विवरणियां दाखिल करने में अनुचित विलम्ब को रोकने के लिए अधिनियम में शास्ति लगाए जाने के ये उपबंध, उस प्रत्याशित प्रयोजन को पूरा नहीं करते हैं। ऐसा न करने के उदाहरण 1975-76 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 97(ii) और 1976-77 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 81 में बताए गए थे। शास्ति लगाए जाने की भूलों के कुछ महत्वपूर्ण मामले नीचे दिए जाते हैं:—

(i) एक निर्धारिती के मामले में जहां निर्धारण वर्ष 1968-69 और 1969-70 के लिए, विवरणियां दाखिल करने में क्रमशः 53 महीनों और 43 महीनों का विलम्ब हुआ था, विवरणियां विलम्ब से दाखिल करने के लिए शास्ति

लगाए जाने के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई थी किंतु बाद में अपीलिय ट्रिब्यूनल द्वारा इन निर्धारणों को ही दुबारा किए जाने के लिए रद्द कर दिया गया था। ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अधीन निर्धारण दुबारा करते समय निर्धारण अधिकारी शास्ति कार्रवाई आरम्भ करना भूल गया, शास्ति कार्रवाई आरम्भ न करने के कारण भी दर्ज नहीं किए गए थे। इस मामले में उद्ग्राह्य न्यूनतम शास्ति 4,24,390 रु० थी।

वित्त मंत्रालय ने शास्ति कार्रवाई आरम्भ न करने के लिए कारण दर्ज न करने के लिए धन-कर अधिकारी की भूल स्वीकार कर ली है।

(ii) एक निर्धारिती, एक हिंदू अविभक्त कुटुम्ब, के मामले में जिसने अधिनियम द्वारा अनुमत समय के भीतर निर्धारण वर्ष 1970-71 से 1976-77 के लिए निवल धन की विवरणियां प्रस्तुत नहीं कीं (विलम्ब 25 से 101 महीने तक का था), 4,12,735 रु० की न्यूनतम शास्ति लगाई जानी थी किन्तु न तो शास्ति कार्रवाई आरम्भ की गई थी और न ही शास्ति कार्रवाई लागू न करने के लिए कारण दर्ज किए गए थे।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

(iii) एक हिंदू अविभक्त कुटुम्ब ने वर्ष 1966-67 से 1972-73 तक के निर्धारण वर्षों के लिए धन-कर विवरणियां 28-8-1973 को दाखिल कीं। 24-3-1979 को इन निर्धारणों को करते समय कोई शास्ति संबंधी कार्रवाई नहीं की गई थी (जबकि समयावधि 31-3-79 को समाप्त हो रही थी) और न ही धनकर अधिकारी द्वारा शास्ति उपबंधों को लागू न करने के लिए आदेश पत्र पर कोई टिप्पणी दर्ज की गई थी। अतः निर्धारण अभिलेखों से यह सूचित नहीं होता था कि निर्धारण प्राधिकारी ने इन विवरणियों को देर से दाखिल करने के लिए शास्ति लगाने के विरुद्ध निर्णय किया था। इन निर्धारण वर्षों के लिए न्यूनतम शास्ति 1,46,417 रु० उद्ग्राह्य थी।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति सिद्धांत रूप में स्वीकार कर ली है।

4.16 ब्याज का न लगाया जाना

धन-कर अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत एक निर्धारित यदि मांग नोटिस में विनिर्दिष्ट राशि उसकी तामील से 35 दिनों के भीतर अदा नहीं करता है तो दोषी माना जाता है और चूक की अवधि के लिए उसे 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देना होता है।

एक व्यष्टि के मामले में धन-कर विवरणियां विना उचित कारणों के विलम्ब से दाखिल करने के लिए निर्धारण वर्ष 1964-65 और 1965-66 के लिए क्रमशः 25,570 रु० और 30,234 रु० की शास्तियां लगाए जाने का मांग नोटिस 12-8-1974 को जारी किया गया था। 55,804 रु० की अदायगी 17-9-1974 को या उससे पहले की जानी थी। निर्धारित ने नियत तारीख से पहले इस राशि की अदायगी नहीं की किंतु निर्धारण वर्ष 1964-65 के लिए 25,247 रु० और निर्धारण वर्ष 1965-66 के लिए 2,181 रु० फरवरी 1979 में ही अदा किए। लेखापरीक्षा में यह देखा गया (मई 1979) कि निर्धारण अधिकारी द्वारा बकाया मांग की अदायगी विलम्ब से होने के लिए जनवरी 1979 तक 28,946 रु० का ब्याज नहीं लगाया गया था।

वित्त मंत्रालय ने फरवरी 1979 से मई 1979 तक की अवधि में ब्याज न लगाए जाने के लिए निर्धारण अधिकारी का दोष मान लिया है।

4.17 कार्यवाही करने में अनुचित विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

(i) 1 अप्रैल 1971 से यथा संशोधित धनकर अधिनियम, 1957 में व्यवस्था है कि शास्ति लगाए जाने का आदेश उस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से दो वर्षों के भीतर पारित करना चाहिए जिसमें शास्ति लगाए जाने के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई थी और जिसके न करने से कार्यवाही कालातीत हो जाती है।

एक व्यष्टि ने अधिनियम में विनिर्दिष्ट नियत तारीखों के काफी बाद में निर्धारण वर्ष 1961-62 से 1965-66 तक की धन-कर विवरणियां

दाखिल की। निर्धारण वर्ष 1961-62 से 1965-66 तक की विवरणियां विलम्ब से दाखिल करने के लिए उद्ग्राह्य न्यूनतम शास्ति की राशि कुल मिलाकर 61,458 रु० बनती थी। यद्यपि सितम्बर 1974 में निर्धारण पूरे करते समय विवरणियां विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए विभाग ने शास्ति कार्यवाही आरम्भ की किंतु 31 मार्च 1977 को समाप्त होने वाली परिसीमा अवधि के भीतर शास्ति लगाए जाने के आदेश पारित नहीं किए गए थे। इस मामले में उद्ग्राह्य न्यूनतम शास्ति 61,458 रु० थी।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनका अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

तीन अन्य निर्धारितियों ने निर्धारण वर्ष 1967-68 की अपनी धनकर विवरणियां अधिनियम में विनिर्दिष्ट नियत तारीख से 44 महीनों के समाप्त होने के बाद प्रस्तुत कीं। विवरणियां विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए इन मामलों में उद्ग्राह्य न्यूनतम शास्ति कुल मिलाकर 1,46,755 रु० बनती थी। क्रमशः 5,62,040 रु०, 5,69,020 रु० और 4,20,184 रु० के निवल धन पर मार्च 1971 में पूरे किए गए निर्धारणों के दौरान विभाग ने विवरणियां विलम्ब से प्रस्तुत करने के लिए शास्ति कार्यवाही आरम्भ की किंतु निर्धारितियों को नोटिस नवम्बर 1973 में ही भेजे जबकि नियत तारीख 31-3-1973 थी। नोटिस विलम्ब से जारी करने के परिणामस्वरूप कार्यवाही कालातीत हो गई। इन कालातीत मामलों में अन्तर्ग्रस्त न्यूनतम शास्ति की राशि 1,46,755 रु० थी।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) धनकर अधिनियम 1957 के अन्तर्गत पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप देय कोई कर, व्याज, शास्ति, जुर्माना या कोई अन्य राशि निर्धारित पर मांग नोटिस के जरिये तामील कराई जानी होती है जिसमें देय राशि विनिर्दिष्ट होती है और जिसके बिना निर्धारित ऐसी किसी राशि की अदायगी करने के लिए बाध्य नहीं है।

पांच मामलों में निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1974-75 तक के लिए कुल 80,710 रु० का धनकर लगाए जाने के नियमित निर्धारणों के आदेश

जनवरी से मार्च 1979 की अवधि में पारित किए गए थे। तथापि मांग से संबंधित नोटिस दिसम्बर 1979 में लेखापरीक्षा की तारीख तक निर्धारितियों को जारी या तामील नहीं कराए गए थे। मांग के नोटिस जारी करने में भूल के परिणामस्वरूप 38,087 रु० की मांग अनुचित रूप से मुलतवी हुई।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(iii) एक अनुमोदित मूल्यांकक ने एक निर्धारित के स्वामित्व वाली कृषि भूमि का मूल्य 31-3-1973 को 4,81,652 रु० निर्धारित किया। नवम्बर 1973 में किए गए निर्धारण वर्ष 1973-74 के निर्धारण में यह मूल्य अपनाया गया था। धनकर अधिकारी ने 3-7-1973 को पूरे किए गए निर्धारण में निर्धारण वर्ष 1972-73 के लिए इस भूमि का मूल्य 1,29,806 रु० लिया था, जब विभाग के आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने मार्च 1974 में यह भूल बताई और निर्धारण वर्ष 1972-73 का भी निर्धारण संशोधित करने के लिए कहा जिससे अधिक मूल्य के आधार पर मूल्यांकन संशोधित किया जा सके, तो धनकर अधिकारी ने उत्तर दिया कि निर्धारण वर्ष 1973-74 के निर्धारण आदेश में इस आशय की टिप्पणी पहले ही कर दी गई थी। फिर भी, 1972-73 के फिर से किए गए निर्धारण में, जो फरवरी 1976 में पूरा हुआ था, भूमि का अधिक मूल्य लिए जाने में भूल हो गई जिससे 21,611 रु० का कम कर लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है।

ख-दान-कर

4.18 सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान एक व्यक्ति द्वारा दिए गए सभी दानों के कुल मूल्य पर दानकर लगाया जाता है। संपत्ति के उन सभी अंतरणों पर, जो धन या धन के मूल्य के पर्याप्त प्रतिफल के बिना किए जाते हैं, कर लगाना होता है जब तक कि दान कर अधिनियम के अन्तर्गत विशिष्ट रूप से छूट न हो। दानकर अधिनियम के प्रयोजन के लिए 'संपत्ति' शब्द से न केवल कृषि भूमि सहित मूर्त जंगम और स्थावर संपत्ति का ही संकेत मिलता है बल्कि मूल्यांकन अधिकार और हित का भी संकेत मिलता है।

4.19 1975-76 से 1979-80 तक के वित्तीय वर्षों में दान कर के अन्तर्गत प्राप्तियों और इन वर्षों के बजट अनुमानों की तुलना नीचे की गई है :—

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक
	(करोड़ रुपयों में)	
1975-76	4.50	5.11
1976-77	4.75	5.67
1977-78	5.50	5.55
1978-79	5.75	5.85
1979-80	5.75	6.83(अनन्तिम)

4.20 निर्धारण के लिए विचाराधीन मामलों की संख्या और बकाया मांग की राशि नीचे दी गई है :—

वर्ष	विचाराधीन निर्धारणों की संख्या	मांग की बकाया राशि
	(करोड़ रुपयों में)	
1976-77	22,580	5.90
1977-78	22,925	6.97
1978-79	21,807	17.72
1979-80	27,403	15.77

4.21 दानकर अधिनियम 1958 के अन्तर्गत किए गए निर्धारणों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान, जो 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक की अवधि के दौरान की गई, निम्नलिखित किस्म की गलतियां देखी गई थी :—

- (i) निर्धारण से छूटा दान ।
- (ii) दानों का गलत मूल्यांकन ।
- (iii) छूटों की गलत अनुमति देना ।

उपर्युक्त किस्म की गलतियों के कुछ महत्वपूर्ण मामलों के उदाहरण निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए जाते हैं :—

4.22 निर्धारण से छूटा दान

विभिन्न प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत निर्धारणों के बीच परस्पर संबंध न रखने की चूकों के परिणामस्वरूप धनकर के अवप्रभार के मामलों के कुछ उदाहरण इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 4.05 में बताए गए हैं। दानकर के अवप्रभार के ऐसे ही मामले नीचे दिए जाते हैं :—

(i) जून 1974 में एक पंजीकृत फर्म ने अपने दो देनदारों से 5,40,862 रु० के कर्जे और उसपर प्रोद्भूत ब्याज की वसूली का अपना दावा छोड़ दिया। निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए फर्म के आयकर निर्धारण में, जो सितम्बर 1978 में पूरा किया गया था, आयकर अधिकारी ने देखा कि कर्जे का छोड़ा जाना आपसी करार के परिणामस्वरूप था और अतिरिक्त वाणिज्यिक प्रतिफल के लिए देनदारों को सहायता देने का प्रयास था। इसके फलस्वरूप अप्राप्य ऋण के दावे की कटौती 'अनुमत्य नहीं' मानी गई। किंतु विभाग द्वारा दानकर कार्यवाही आरम्भ करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इन ऋणों को छोड़ने के करार से दानकर लगाया जाना था। आयकर के निर्धारण अभिलेखों में उपलब्ध सूचना पर कार्रवाई न करने से इस चूक के कारण 5,40,862 रु० का दान छूट गया जिसमें निर्धारण वर्ष 1975-76 के लिए 1,17,258 रु० का दान कर लगाया जाना था।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(ii) निर्धारण वर्ष 1968-69 तक एक फर्म के चार भागीदार थे जिनमें से एक भागीदार का लाभ का हिस्सा 34 प्रतिशत और अन्य तीन का प्रत्येक का 22 प्रतिशत था। तीन नए भागीदार लाकर और भागीदारी के लाभों के लिए छः अवयस्क अनुमत करके निर्धारण वर्ष 1969-70 के सुसंगत पूर्व वर्ष में फर्म का गठन फिर से किया गया था। किसी भी नए भागीदार और अवयस्क ने फर्म में निवेश के लिए कोई पूंजी नहीं लगाई। फर्म के गठन में परिवर्तन होने से पहले के तीन भागीदारों का लाभ का अनुपात 34 प्रतिशत, 22 प्रतिशत और 22 प्रतिशत से कम

होकर क्रमशः 11 प्रतिशत, 9 प्रतिशत और 8 प्रतिशत रह गया। इस तरह इन तीन भागीदारों ने फर्म की परिसंपत्तियों और लाभ में अपने अधिकार का एक अंश किसी धन या धन-तुल्य प्रतिफल के बगैर त्याग दिया। ऐसा करने पर तीन भागीदारों द्वारा फर्म की परिसंपत्तियों और सुनाम में से इसकी वर्तमान देयताओं को कम करके छोड़े गए आनुपातिक मूल्य पर दान-कर प्रभार्य था। परन्तु न तो दान-कर विवरणियां दाखिल की गई थी और न ही दान-कर अधिकारी ने इन दानों पर कर लगाने के लिए निर्धारण संबंधी कार्यवाही आरम्भ की। यद्यपि लेखापरीक्षा आपत्ति अगस्त 1971 में जारी की गई थी, विभाग द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई। यद्यपि आयुक्त की निगाह में यह बात ला दी गई थी कि सुधार की कार्यवाही 31 मार्च 1978 को बाधित हो जाएगी, फिर भी छूट गए दान पर कर लगाने के लिए दान-कर अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत अपेक्षित नोटिस भी जारी नहीं किए गए थे। दानों पर कर लगाने की विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप राजस्व की 1,60,830 रु० की हानि हुई।

लेखापरीक्षा पैरा वित्त मंत्रालय को अगस्त 1980 में भेजा गया था; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर, 1980)।

4. 23 'समझे गए' दान कर का न लगाया जाना

दान-कर अधिनियम, 1958 में यह व्यवस्था है कि जहां संपत्ति पर्याप्त प्रतिफल के लिए अंतरित किए जाने से अन्यथा अंतरित की जाती है, वहां अंतरण की तारीख को सम्पत्ति का बाजार मूल्य जितना प्रतिफल मूल्य से अधिक है, उतनी रकम के बारे में यह समझा जाएगा कि वह अंतरक द्वारा किया गया दान है और उस पर "समझा गया दान" के रूप में दान-कर लगाया जाएगा।

विभिन्न कर कानूनों के अन्तर्गत निर्धारणों के बीच समुचित समन्वय की आवश्यकता पर नवम्बर, 1973 में अनुदेश जारी करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड ने दान-कर अधिकारियों से उन मामलों में जहां उन्होंने आय-कर अधिकारियों के रूप में घोषित प्रतिफल से अधिक उचित बाजार मूल्य देखा हो और उस पर पूंजी अभिलाभ कर लगाया हो, "समझे गए दान" पर दान-कर लगाने के लिए विशिष्ट रूप से कहा था।

फिर भी ऐसे "समझे गए दान" पर कर लगाने में विफलता के मामले देखे जाते रहे जैसा कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1976-77 के पैरा 92, लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1977-78 के पैरा 76 और लेखापरीक्षा रिपोर्ट 1978-79 के पैरा 75 में बताया गया था। इस प्रकार के कुछ उदाहरण नीचे पुनः दिए जाते हैं :

(i) एक आय-कर वार्ड की लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 1973-74 और 1974-75 के निर्धारण वर्षों के सुसंगत पूर्व वर्षों में छः निर्धारितियों ने अपने द्वारा धारित 4 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के अनुदृत इक्विटी शेयर (अपने कौटुम्बिक समूह के) उन फर्मों को जिनमें वे भागीदार थे, या तो बिक्री के रूप में अथवा पूंजी अंश दान के रूप में अन्तरित कर दिए थे। इन मामलों में इन शेयरों के लिए जो पूंजी उन भागीदारों के पूंजी खाते में जमा की गई, वह अन्तरण की तारीख को उनके उचित बाजार मूल्य के समतुल्य नहीं थी। उनके आय-कर निर्धारणों में यह निर्णय दिया गया था कि इन तीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के शेयर जिस दर पर अन्तरित किए गए थे, वह उनके बाजार मूल्य से बहुत कम थे। परिणामस्वरूप विभागीय मूल्यांकन अधिकारी द्वारा अनुमानित उचित बाजार मूल्य घोषित प्रतिफल से जितना अधिक था, उस पर "पूंजी अभिलाभ" के अन्तर्गत कर लगा दिया गया था। तथापि इन मामलों में अंतर्ग्रस्त "समझे गए दान" पर दान-कर लगाने के लिए कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त यह देखने में आया कि चौथी कंपनी के अनुदृत इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य उसके निवल मूल्य के आधार पर 235 रु० प्रति शेयर था जबकि भागीदारों के पूंजीगत खाते में 115 रु० प्रति शेयर की दर से राशि जमा की गई थी। इस प्रकार छः निर्धारितियों में से दो निर्धारितियों के मामले में इससे "समझे गए दान" पर दान-कर लगने से रह गया। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मामले में, जिसने निर्धारण वर्ष 1975-76 के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान इस चौथी कंपनी के 9114 शेयर अन्तरित किए थे, इसी प्रकार का "समझा गया दान" कर से छूट गया। इन सब चूकों के परिणामस्वरूप 1973-74 से 1975-76 तक के वर्षों के दौरान 153.69 लाख रु० के "समझे गए दान" का निर्धारण होने से रह गया जिससे 70.89 लाख रु० का दान-कर नहीं लगाया गया।

लेखापरीक्षा पैरा वित्त मंत्रालय को सितम्बर, 1980 में भेजा गया था; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर, 1980) ।

जनवरी, 1979 में एक अन्य आय-कर वार्ड में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान सात निर्धारितियों के बारे में, जो एक बड़े औद्योगिक कौटुम्बिक समूह के थे, देखा गया कि निर्धारण वर्ष 1974-75 के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान उनके द्वारा अन्तरित अनुद्वृत इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य उनके घोषित प्रतिफल से जितना अधिक था, उस पर दान-कर लगाने के लिए कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की गई थी। यद्यपि उनके आय-कर निर्धारण में इस आधिक्य पर पूंजी अभिलाभ-कर लगाया गया था, फिर भी यह चूक हुई। इसके परिणामस्वरूप 130.55 लाख रु० की राशि के "समझे गए दान" पर कुल मिलाकर 63.25 लाख रु० का दान-कर नहीं लगाया गया ।

तदनुसूची आय-कर के मामले आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा देखे गए थे परन्तु उन्होंने यह चूक नहीं बताई। लेखापरीक्षा पैरा वित्त मंत्रालय को सितम्बर, 1980 में भेजा गया था; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर, 1980) ।

(ii) एक लिमिटेड कंपनी ने अपने निदेशकों के पुत्रों और उनके संबंधियों को 27 अगस्त, 1971 को दो अचल संपत्तियां 6,86,000 रु० और 11,00,000 रु० के घोषित प्रतिफल के लिए अन्तरित कर दी। यद्यपि बोर्ड के दिसम्बर, 1971 के कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार मूल्यांकन के लिए इन दोनों संपत्तियों का मामला विभागीय मूल्यांकन अधिकारी को भेजा जाना चाहिए था, इस मामले में घोषित प्रतिफल को इस प्रकार बिना भेजे ही मान लिया गया। जनवरी, 1978 में लेखापरीक्षा द्वारा इस चूक की ओर ध्यान दिलाए जाने पर यह मामला मूल्यांकन कक्ष को भेजा गया जिसने इन संपत्तियों का उचित बाजार मूल्य क्रमशः 11,70,600 रु० और 16,45,300 रु० अवधारित किया।

इस प्रकार 10,29,900 रु० के "समझे गए दान" का निर्धारण होने से रह गया जिस पर 2,66,460 रु० का दान-कर निर्धारित था।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है और बताया है (अक्तूबर, 1980) कि उपचारी कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(iii) एक ही वार्ड में दो व्यष्टियों की आय-कर विवरणियों के साथ दाखिल किए लेखा विवरणों से यह देखा गया कि निर्धारण वर्ष 1974-75 के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान उन्होंने 1 जून 1973 को कुछ संपत्तियों में अपने एक चौथाई हित को अपने कौटुम्बिक समूह के सदस्यों को प्रत्येक मामले में 2,59,227 रु० के घोषित प्रतिफल पर अन्तरित कर दिया था। इन संपत्तियों में इनमें से प्रत्येक के हित का बाजार मूल्य 31 मार्च, 1973 की मूल्यांकन तिथि से सम्बद्ध उनके निर्धारण वर्ष 1973-74 के धन-कर निर्धारण के आधार पर 4,86,270 रु० था। यद्यपि प्रत्येक मामले में 2,27,043 रु० की राशि जो घोषित प्रतिफल से बाजार के उचित बाजार मूल्य के आधिक्य को दर्शाती थी "समझा गया दान" था जिस पर दान-कर लगना था, लेकिन न तो कोई दान-कर विवरणी दाखिल की गई और न ही विभाग ने दान-कर संबंधी कोई कार्यवाही प्रारंभ की। आय-कर और धन-कर निर्धारणों को सहसम्बद्ध न करने से 2,27,043 रु० का दान निर्धारण से छूट गया जिससे निर्धारण वर्ष 1974-75 के लिए प्रत्येक मामले में 37,011 रु० का दान-कर नहीं लगा। इस प्रकार 74,022 रु० का कर नहीं लगाया गया।

उपरोक्त निर्धारितियों में से एक के मामले में यह भी देखने में आया कि वह एक फर्म से जिसमें वह 20 प्रतिशत भागीदार था, निवृत्ति की तारीख को फर्म में अपने पूंजी खाते के 61,787 रु० के डेबिट शेष की अदायगी करके 1-6-1973 को निवृत्त हो गया। फर्म में उसके भागीदारी हित की संगणना करने में विभाग ने 31-3-1973 को परिसंपत्तियों का मूल्य विभागीय मूल्यांकक द्वारा फरवरी, 1976 में अवधारित बाजार मूल्य 18,88,200 रु० लेने की जगह 4,59,859 रु० का वही मूल्य लिया। निवृत्ति होने वाले भागीदार के भागीदारी हित की संगणना के लिए फर्म की परिसंपत्तियों में फर्म के सुनाम का मूल्य भी संगणित करके शामिल नहीं किया गया। सुनाम के मूल्य को छोड़कर फर्म की परिसंपत्तियों का मूल्य 4,59,859 रु०

की जगह 18,88,200 रु० लिए जाने पर इस मामले में 78,852 रु० का और दान-कर नहीं लगाया गया। इस प्रकार इन मामलों में कुल 1,52,874 रु० का कर नहीं लगाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा मई, 1979 में बताए जाने पर विभाग ने यह चूक स्वीकार कर ली।

पैरा वित्त मंत्रालय को जुलाई, 1980 में भेजा गया था, उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर. 1980)।

4. 24 अनुद्भूत इक्विटी शेयरों का गलत मूल्यांकन

दान-कर अधिनियम, 1958 की धारा 6(1) के अन्तर्गत दान दी गई किसी संपत्ति का मूल्य वह कीमत प्राक्कलित की जानी होती है जो यदि खुले बाजार में बेची जाती, तो दान-कर अधिकारी की राय में उसके लिए मिलती। दान-कर नियमावली के नियम 10(2) में कहा गया है कि किसी कंपनी के अनुद्भूत इक्विटी शेयरों का मूल्य कंपनी की कुल परिसंपत्तियों के मूल्य के संदर्भ में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। चूंकि अनुद्भूत इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन संबंधी दान-कर अधिनियम के उपबन्ध सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के समान ही है, सम्पदा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे शेयरों के मूल्यांकन के लिए बोर्ड द्वारा जारी किए गए अनुदेश दान-कर के मामलों में समान रूप से लागू हैं। सम्पदा शुल्क अधिनियम के अधीन बोर्ड ने मई, 1965 और जुलाई, 1965 में यह बताते हुए निदेश जारी किए थे कि अनुद्भूत शेयरों का मूल्य कंपनी की परिसंपत्तियों के वही मूल्य के आधार पर अवधारित नकरके इन परिसंपत्तियों के बाजार मूल्य पर अवधारित किया जाना चाहिए।

धन-कर अधिनियम, 1957 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में अनुद्भूत इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन संबंधी उपबन्ध दान-कर अधिनियम और सम्पदा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों से भिन्न है। इस पर भी बोर्ड ने मार्च, 1968 में जारी किए गए अपने कार्यकारी अनुदेशों में अनुद्भूत इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिए धन-कर नियमावली के उपबन्धों को सम्पदा शुल्क और दान-कर मामलों के लिए भी लागू कर दिया। इन अनुदेशों को सम्पदा शुल्क के मामलों में गलत लागू किए जाने पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट 1972-73 के पैरा 72 में टीका-टिप्पणी की गई थी और

इस पैरा के अनुसरण में बोर्ड द्वारा ये अनुदेश संपदा शुल्क और दान-कर मामलों के लिए वापस ले लिए गए थे। उस समय यह कहा गया था कि मूल्यांकन मई, 1965 और जुलाई, 1965 के पूर्वोक्त अनुदेशों के अनुसार किया जाना चाहिए। मई, 1975 में यह और स्पष्ट किया गया था कि कंपनी की कुल परिसंपत्तियों में उसके सुनाम का मूल्य भी शामिल होगा, चाहे वह तुलन-पत्र में दिखाई गई हो अथवा नहीं।

तथापि अभी भी ऐसे मामले ध्यान में आ रहे हैं जिन में कंपनियों से अनुद्वृत ईक्विटी शेयरों का उपर्युक्त अधिनियम, नियमावली और बोर्ड के अनुदेशों की उपेक्षा करके गलत मूल्यांकन किया गया जिसके कारण कम दान-कर लगाया गया। इस प्रकार के अव-प्रभार के कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर 1975-76 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 82 में, 1976-77 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 94 में, 1977-78 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 77 (ii) में और 1978-79 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैरा 76 में टिप्पणी की गई थी। अवमूल्यांकन के कुछ और महत्वपूर्ण मामलों के उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :

(i) निर्धारण वर्ष 1973-74 के सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान दो प्राइवेट लि० कम्पनियों द्वारा एक अन्य प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में धारित 300 और 250 शेयर 1,000 रु० प्रति शेयर की दर से उस कंपनी जिसके शेयर हस्तांतरित किये गये थे, के निदेशकों को हस्तान्तरित कर दिये। दान-कर अधिकारी का विचार था कि हस्तान्तरण अपर्याप्त प्रतिफल के लिये किया गया था तथा उसने इन निर्धारितियों के विरुद्ध दान-कर संबंधी कार्यवाही शुरू कर दी। मार्च 1978 के दौरान पूरे किये गये इन निर्धारणों में शेयरों का बाजार मूल्य उसने दान-कर नियमावली 1957 के उपबन्धों को लागू करके निर्धारित किया अर्थात् छूट कम करके प्रत्येक शेयर का विश्लेषित मूल्य निश्चित किया। विश्लेषित मूल्य कम्पनी की परिसम्पत्तियों के खाता मूल्य के आधार पर संगणित किया गया था। उसने अलग से कम्पनी के सुनाम का मूल्य 235 रु० प्रति शेयर अनुमानित किया और दान का मूल्य 3490 रु० (3255 रु० अर्थात् विश्लेषित मूल्य का 85 प्रतिशत + सुनाम के लिये 235 रु० प्रति शेयर और 1000 रु० प्रति शेयर का अन्तर निर्धारित किया। इन शेयरों का मूल्यांकन सुनाम सहित कम्पनी की परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य के आधार पर किया

जाना अपेक्षित था। यद्यपि दान के अवमूल्यांकन की पूरी मात्रा तभी मालूम हो सकती है जब प्रति शेयर कीमत निर्धारित की जाये तथापि कम्पनी की परिसम्पत्तियों के खाता मूल्य के बजाय बाजार मूल्य को ध्यान में रख कर केवल विश्लेषित मूल्य पर ही 15 प्रतिशत की छूट देने के कारण शेयरों का अवमूल्यांकन 575 रु० प्रति शेयर के हिसाब से हुआ। इस आधार पर इन दो मामलों में दानों का क्रमशः 172,500 और 1,43,750 रु० कम मूल्यांकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप 51,750 रु० और 43,125 रु० का कमदान-कर लगाया गया।

लेखापरीक्षा पैरा वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1980)।

(ii) एक निर्धारिती द्वारा निर्धारण वर्ष 1974-75 और 1975-76 में दान किये गये अनुद्भूत ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन करते समय 'विश्लेषित मूल्य' पद्धति अपनाई गई थी। धन-कर नियमावली में निर्धारित इस पद्धति के अन्तर्गत एक कम्पनी में अनुद्भूत ईक्विटी शेयरों का मूल्यांकन इसके तुलन पत्र में दिखाए गए परिसम्पत्तियों के खाता मूल्य पर आधारित होता है और कम्पनी द्वारा लाभांश घोषित न किये जाने की स्थिति में छूट भी अनुमत की जाती है। चूंकि दान-कर मामलों के लिये धन-कर नियमावली का प्रयोग अक्टूबर 1974 से बोर्ड के कार्यकारी अनुदेशों के अन्तर्गत बन्द कर दिया गया था, इसलिये इन शेयरों का मूल्यांकन सुनाम सहित कम्पनी की परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना अपेक्षित था। निर्धारण अधिकारी द्वारा इन मूल्यों को निश्चित न करने, रिकार्ड न करने और उन पर कार्रवाई न करने के कारण, दान की निकटतम तिथियों पर कम्पनी के तुलन पत्र में दिखाई गई परिसम्पत्तियों के खाता मूल्य पर आधारित इन शेयरों का अवमूल्यांकन 1,49,598 रु० और 24,320 रु० से कम नहीं था जिसके परिणामस्वरूप क्रमशः निर्धारण वर्ष 1974-75 और 1975-76 में 44,588 रु० और 6,070 रु० कम दान कर लगाया गया।

लेखापरीक्षा पैरा वित्त मंत्रालय को अगस्त 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

4.25 अन्य परिसम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन

एक निर्धारिती ने 29 अक्टूबर 1977 को अपनी चार पुत्रियों और दो पोतों को 172.65 एकड़ कृषि भूमि (जिसके अधिकांश

भाग पर कॉफी की खेती होती थी) दान दी। अगस्त 1978 में पूरे किये गये दान-कर निर्धारण में दान की गई भूमि का मूल्य, पहले वर्षों में धन-कर के उद्देश्य के लिये अपनाये गये मूल्य के आधार पर 5,56,869 रु० लिया गया। इस प्रकार निश्चित किया गया मूल्य मोटे तौर पर 3,250 रु० प्रति एकड़ बनता था जो कि इस क्षेत्र के आस-पास, जिसमें कि दान की गई सम्पत्ति स्थित थी, काफी सम्पदाओं के लिये प्रचलित लगभग 10,000 रु० प्रति एकड़ की बाजार दर से बहुत कम था, जैसा कि अन्य निर्धारितियों के मामले में धन-कर प्रयोजनों के लिये अपनाई गई दरों से पता लगाता था। इस प्रकार सही बाजार मूल्य न अपनाये जाने के कारण दान का अवमूल्यांकन 12 लाख रु० से कम नहीं था। इसके अलावा दान की तिथि पर खड़ी फसलों का अनुमानित मूल्य जो कि 4,33,600 रु० था को भी कर लगाई गई दान की राशि 5,56,869 रु० अपनाते समय हिसाब में नहीं लिया गया था। इन दो चूकों के कारण 7.53 लाख रु० का कम दान-कर लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है और कहा है (अक्तूबर 1980) कि आयुक्त द्वारा दान-कर अधिकारी के आदेश रद्द कर दिये गये हैं और दुबारा निर्धारण के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

ग. सम्पदा शुल्क

4.26 1975-76 से 1979-80 तक के वित्तीय वर्षों में सम्पदा शुल्क के अन्तर्गत प्राप्तियों की इन वर्षों के बजट अनुमानों से तुलना नीचे की गई है :—

वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ रुपयों में)	वास्तविक
1975-76	9.25	11.65
1976-77	8.75	11.73
1977-78	10.75	12.30
1978-79	11.00	13.08
1979-80	12.00	14.05 (अनुमानित)

4.27 विभिन्न निर्धारण वर्षों के अन्त में बकाया मांग और बकाया निर्धारणों की संख्या निम्नलिखित थीं :

वर्ष	बकाया निर्धारणों की संख्या	बकाया मांग (करोड़ रु० में)
1976-77	27,256	15.56
1977-78	28,287	17.52
1978-79	28,278	17.11
1979-80	34,891	17.23

4.28 सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 के अन्तर्गत किये गये निर्धारणों की 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक की अवधि में की गई नमूना लेखापरीक्षा से निम्नलिखित प्रकार की गलतियां सामने आईं जिनके परिणामस्वरूप शुल्क का अवनिर्धारण हुआ :

- (i) निर्धारण से छूटी हुई सम्पदायें
- (ii) परिसम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन
- (iii) सम्पदाओं की मूल कीमत का गलत संगणन
- (iv) व्याज का न लगाया जाना
- (v) अपीलीय आदेशों को लागू करने में गलतियां ।

इन गलतियों के कुछ उदाहरण नीचे के पैराग्राफों में दिये गये हैं ।

4.29 सहसंबंध के अभाव के कारण सम्पदाओं का छूट जाना ।

इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के पैराग्राफ 4.05 और 4.22 में विभिन्न प्रत्यक्ष कर कानूनों के अन्तर्गत किये गये निर्धारणों में सहसंबन्ध के अभाव के कारण धन-कर और दान-कर के बच जाने के मामले ध्यान में लाये गये हैं । इसी प्रकार के सह संबंध की कमी निम्नलिखित मामलों में भी देखी गई थी जिसके कारण सम्पदाओं सम्पदा शुल्क लगने से बच गई :—

- (i) दिसम्बर 1976 में एक मृत व्यक्ति के संबंध में किये गये सम्पदा शुल्क निर्धारण में सम्पदाओं की मूल कीमत में से 1,59,825 रु०

की राशि उस व्यक्ति की निर्धारण वर्ष 1962-63 से 1970-71 के लिये आयकर की देनदारी को घटाने की अनुमति दे दी गई थी। किन्तु अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को लागू करने के कारण आयकर की देनदारी अप्रैल 1973 और नवम्बर 1973 में कम करके 46,716 रु० कर दी गई थी। इस प्रकार इस निर्धारण का मृत व्यक्ति के आयकर निर्धारण रिकार्डों के साथ मिलान न करने के कारण 1,13,109 रु० की आयकर देनदारी की अधिक छूट दे दी गई। परिणामस्वरूप उसकी सम्पदा की उतनीही राशि का अवनिर्धारण हुआ जिसके कारण 56,521 रु० कम शुल्क लगाया गया। फरवरी 1977 में लेखापरीक्षा द्वारा गलती ध्यान में लाये जाने पर मई 1979 में निर्धारण परिशोधित कर दिया गया और 56,521 रु० के शुल्क के लिये अतिरिक्त मांग जारी कर दी गई।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है।

(ii) नवम्बर 1969 में मरे एक व्यक्ति के मार्च 1977 में किये गये सम्पदा शुल्क निर्धारण में उसकी शहरी गृह सम्पत्ति का मूल्य, उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत सम्पदा के संशोधित लेखा के आधार पर 20,370 रु० स्वीकार किया गया था। किन्तु मृतक के निर्धारण वर्ष 1967-68 से 1969-70 के धनकर निर्धारण में और उसकी मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा प्रस्तुत धन कर विवरणियों में इस सम्पत्ति का मूल्य 1,01,892 रु० दिखाया और निर्धारित किया गया था। निर्धारण विलेखों में उपलब्ध मृतक और उसके भाई द्वारा निष्पादित विभाजन विलेख में भी इस सम्पत्ति का मूल्य 1,01,892 रु० दिखाया गया था। इस प्रकार सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के कारण सम्पदा का 81,522 रु० (1,01,892 रु० में से 20,370 रु० घटाकर) कम निर्धारण हुआ। इसके अलावा कर देयता के लिये 39,420 रु० की कटौती की अनुमति दे दी गई थी। किन्तु इस देयता का कुछ भाग एक अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पहले ही रद्द कर दिया गया था और छूट देने योग्य सही देयता 7,840 रु० थी।

सम्पदा शुल्क निर्धारणों का मृतक के धनकर और आयकर निर्धारणों से मिलान न करने की चूक से हुई इन गलतियों का सम्मिलित परिणाम

यह हुआ कि उसकी सम्पदा 1,13,102 रु० कम निर्धारित की गई जिसके कारण 33,930 रु० कम शुल्क लगाया गया ।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है ।

(iii) एक मृतक (जिसकी मृत्यु नवम्बर 1961 में हुई) के सम्बन्ध में मार्च 1979 में पूरे किये गये सम्पदा शुल्क निर्धारण में उसकी कुल आयकर और धनकर देनदारियों के लिये 11,13,657 रु० की छूट दी गई थी, हालांकि आयकर अधिकारी द्वारा संबंधित सहायक सम्पदा शुल्क नियंत्रक को सूचित किया गया था कि यह देनदारी 9,58,786 रु० की थी । उसी निर्धारण में एक सम्पत्ति का मूल्य 22,500 रु० के बजाय 18,000 रु० लिया गया था और उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा सम्पदा का लेखा प्रस्तुत करने के लिए 25-5-1962 से 15-2-1966 तक की बढ़ायी गयी अवधि के लिये उस पर 58,870 रु० का व्याज भी नहीं लगाया गया था । इन चूकों के परिणामस्वरूप कुल मिलाकर 98,623 रु० का कम शुल्क लगाया गया ।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ, सितम्बर 1980 में वित्त मंत्रालय को भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980) ।

4.30 परिसम्पत्तियों का गलत मूल्यांकन

किसी सम्पत्ति के मूल मूल्य का अनुमान उस कीमत पर लगाया जायेगा जो कि नियंत्रक के विचार से मृतक की मृत्यु के समय इसे खुले बाजार में बेचने से प्राप्त होता ।

(i) सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 7 के अन्तर्गत ऐसी सम्पत्ति जिसमें मृतक का या मृतक की मृत्यु पर समाप्त होने वाला किसी अन्य व्यक्ति का हित था, वह मृतक की मृत्यु पर उस सीमा तक संक्रांत समझा जायेगा जितना लाभ ऐसा हित समाप्त होने पर प्रोद्भूत या उद्भूत होता है । इसी की धारा 40 में यह प्रावधान है कि यदि मृतक का सारी सम्पत्ति में हित है तो ऐसे हित की समाप्ति पर प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले लाभ की मात्रा सम्पत्ति की मूल कीमत होगी ।

एक मृतक की माता द्वारा छोड़े गये वसीयत नामे के अनुसार उसका विस्तृत कृषि सम्पत्तियों को कब्जे में रखने और उपभोग करने का आजीवन हित इस शर्त के साथ था कि वह अपनी पांच बहनों में से प्रत्येक को 1,000 रु० सालाना भुगतान करेगा । उसकी मृत्यु के बाद सम्पत्तियां पांचों बहनों को बराबर न्यागत होनी थीं । मृतक की मृत्यु के बाद सम्पदा शुल्क निर्धारण पूरा करते समय उक्त सम्पत्तियों में उसके आजीवन हित का मूल्य, सम्पत्तियों की सकल कीमत 4,85,000 रु० का 1/6 भाग लेकर 80,833 रु० निश्चित किया गया था । क्योंकि मृतक को 4,85,000 रु० मूल्य की सम्पूर्ण सम्पत्तियों (जिनसे सालाना अनुमानित आय 45,540 रु० थी) को अधिकार में रखने और उपभोग करने का हक था, उसकी मृत्यु पर समाप्त होने वाले उसके हित का मूल्य सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 7 और 40 (ख) के अन्तर्गत तिकाला जाना चाहिये था । इस प्रकार किया गया मूल्यांकन 4,31,750 रु० अर्थात् सम्पत्ति का पूरा मूल्य होता । इस प्रकार मृत्यु पर समाप्त होने वाले हित का गलत मूल्यांकन होने की वजह से सम्पदा की मूल कीमत जो निर्धारण से छूट गई, 3,50,917 रु० (4,31,750 रु० — 80,833 रु०) थी जिसके परिणामस्वरूप 76,946 रु० के शुल्क की कम मांग की गई । जून 1979 में जारी की गई लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर विभाग ने निर्धारण को जुलाई 1980 में संशोधित करके 76,946 रु० के शुल्क की अतिरिक्त मांग कर दी ।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि 76,946 रु० के शुल्क की अतिरिक्त मांग कर दी गई है ।

(ii) एक मृत व्यक्ति (जिसकी मृत्यु अप्रैल 1975 में हुई) का एक ऐसे कौटुम्बिक भागीदारी कारबार में भागीदार के रूप में 1/5 वां शेयर हित था जिसको कलकत्ता में स्थित किराये पर दी गई दो बड़ी गृह-सम्पत्तियों से किराया आय होती थी । फर्म के तुलन पत्र में इन परिसम्पत्तियों के दिखाए गए 1,62,727 रु० के खाता मूल्य के आधार पर इस शेयर हित के मूल्य की संगणना 69,501 रु० की गई थी । तथापि, 'आय-पूजीकरण' पद्धति के आधार पर इन परिसम्पत्तियों का बाजार मूल्य 11,65,560 रु० था जिसे 97,130 रु० के निवल वार्षिक औसतन जारी रखे जाने योग्य किराए, (1,45,695 रु० के वार्षिक किरायों का

एक तिहाई-निर्गमों के रूप में अनुज्ञात किये जाने के पश्चात्) के 12 गुणा के आधार पर पूँजीकृत करके निकाला गया था। मृत भागीदार के शेयर हित की संगणना करते समय परिसम्पत्तियों का मूल्य 1,62,727 रु० की बजाए 11,65,560 रु० लिया जाना चाहिये था। मृत व्यक्ति के शेयर हित की इस प्रकार की गई गलत संगणना के परिणामस्वरूप उसकी सम्पदा का 2,00,566 रु० से अवनिर्धारण हुआ और फलस्वरूप 51,241 रु० के शुल्क का अवप्रभार हुआ।

वित्त मंत्रालय ने सिद्धांत रूप से लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली है।

(iii) एक मृत व्यक्ति (मृत्यु नवम्बर 1963 में हुई) के मार्च 1979 में पूरे किये गए सम्पदा शुल्क निर्धारण में निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 22 नवम्बर 1971 की मूल्यांकन की रिपोर्ट के अनुसार 312.24 एकड़ माप के भूखण्डों का मूल्य 5,60,536 रु० लिया। तथापि इन भूखण्डों का सही क्षेत्रफल मार्च 1965 में उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा दाखिल किये गये लेखे के अनुसार 475.54 एकड़ था। 163.30 एकड़ भूमि का मूल्य, जो 4,32,500 रु० बनता था, शामिल न किए जाने की चूक के परिणामस्वरूप 4,32,500 रु० की सम्पदा का अवनिर्धारण हुआ जिसके फलस्वरूप 57,382 रु० के शुल्क का अवप्रभार हुआ।

लेखापरीक्षा पैरा वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

4.31 कंपनियों में शेयरों का गलत मूल्यांकन।

(i) सम्पदा शुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी सम्पत्ति के मूल मूल्य का अनुमान उस कीमत पर लगाया जाएगा जो उस सम्पत्ति से प्राप्त होती यदि उसे मृतक की मृत्यु के समय खुले बाजार में बेचा जाता।

एक व्यक्ति, जिसकी मृत्यु 26 दिसम्बर 1975 को हुई, के सम्पदा-शुल्क निर्धारण में एक कंपनी में 2,500 इक्विटी शेयरों के मूल्य की संगणना 10.50 रु० प्रति शेयर की दर पर की गई जबकि 31 दिसम्बर 1975 को शेयर बाजार में शेयरों का मूल्य 24.50 रु० की दर पर उद्धृत

किया गया था। इस प्रकार शेयरों का मूल्य 35,000 रु० कम लगाया गया। इसके कारण तथा अन्य छोटी-मोटी गलतियों के परिणामस्वरूप उसकी सम्पदा के मूल्य की संगणना 38,000 रु० कम की गई और 29,214 रु० का शुल्क कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने इन गलतियों को स्वीकार कर लिया है।

(ii) इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पैरा 4.24 में दानकर लगाये जाने के लिये कंपनियों के अनुद्धृत इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन की सही पद्धति की ओर ध्यान दिलाया गया है। सम्पदा शुल्क लगाने के लिए अनुद्धृत इक्विटी शेयरों के मूल्यांकन के लिये यही पद्धति लागू होती है क्योंकि इस संबंध में सम्पदा शुल्क अधिनियम में उसी प्रकार के उपबन्ध हैं। ऐसे शेयरों के मूल्यांकन के संबंध में धन-कर के एक नियम के उपबन्ध पहले सम्पदा शुल्क के मामलों पर भी लागू किये गये थे, इन्हें अक्टूबर 1974 में वापस ले लिया गया था।

तथापि, एक मृत व्यक्ति के मामले में, जिसकी मृत्यु 25 नवम्बर 1976 को हुई थी, निर्धारण अधिकारी ने अगस्त, 1978 में उसकी सम्पदा में शामिल कम्पनियों में अनुद्धृत इक्विटी शेयरों के मूल्य की संगणना करते समय धन-कर नियम को गलती से लागू किया और मूल्यांकन का आधार कम्पनी की परिसम्पत्तियों के खाता मूल्य को बनाया और कम्पनी द्वारा लाभांश घोषित न किये जाने के लिये बट्टा अनुज्ञात किया। इन शेयरों का मूल्यांकन कम्पनी के सुनाम के मूल्य सहित उसकी परिसम्पत्तियों के बाजार मूल्य के आधार पर किया जाना था। क्योंकि कम्पनी के सुनाम तथा परिसम्पत्तियों का बाजार मूल्य सुनिश्चित नहीं किया गया था और अभिलेखों में नहीं दिखाया गया था इसलिये केवल 91,700 रु० का गलत बट्टा अनुज्ञात किये जाने के परिणामस्वरूप 27,510 रु० के सम्पदा शुल्क के अवनिर्धारण की ओर दिसम्बर 1979 में लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाया गया।

वित्त मंत्रालय ने बताया है (दिसम्बर 1980) कि सम्पदा शुल्क नियंत्रक को आदेश दिये गये हैं कि अवनिर्धारण के संबंध में जांच की जाए।

4.32 सम्पदाओं के मूल मूल्य की गलत संगणना

(i) सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अधीन जब कोई दान किया जाए तो उसमें शामिल ऐसी परिसम्पत्ति, जिसमें दाता कुछ हित या लाभ अपने पास रखता है, उसकी मृत्यु पर उसकी सम्पदा के रूप में संक्रांत मानी जाती है और तदनुसार उस पर सम्पदा शुल्क लगाने योग्य है। मृत व्यक्ति द्वारा अपनी स्वार्जित सम्पत्ति का, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब जिसका वह सदस्य था, की सामान्य सम्पत्ति में सम्मिश्रण एक व्ययन होगा जिस पर सम्पदा शुल्क लगाने योग्य है क्योंकि यह एक इस प्रकार के दान के समान है जिससे दाता को पूर्णतया अलग नहीं किया जा सकता।

एक व्यक्ति के मामले, जिसकी मृत्यु 19 सितम्बर 1976 को हुई थी, उसकी मृत्यु पर संक्रांत होने वाली सम्पदा का मूल मूल्य 25 जुलाई 1978 को 8,41,624 रु० पर निर्धारित किया गया था जिसमें उसकी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की परिसम्पत्ति में उसके पारम्परिक वंशजों का शेर शामिल है। निर्धारण के समय ध्यान में रखी गई हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में 4,44,211 रु० के मूल्य का एक मकान शामिल था जो मृत व्यक्ति की व्यक्तिगत सम्पत्ति थी किन्तु जिसे अपनी मृत्यु से पहले 1 अप्रैल 1970 को उसके कारण कुटुम्ब, जिसमें वह स्वयं, उसके तीन पुत्र और पत्नी शामिल थे, की सामान्य सम्पत्ति में सम्मिश्रित कर दिया गया था। सम्पत्ति को गलती से हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति मानने का प्रभाव यह हुआ कि उसकी पत्नी का पांचवां भाग सम्पदा से निकाल दिया गया और उसके पारम्परिक वंशजों का तीन बटा पांच भाग केवल दर के प्रयोजन से सम्पदा के मूल मूल्य में शामिल किया गया। चूंकि वार्जित सम्पत्ति का संयुक्त कुटुम्ब सम्पत्ति में परिवर्तन संबंधियों के पक्ष में व्ययन न था जिससे दाता को पूर्णतया अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका कुल निर्धार्य मूल्य (3,44,211 रु०) (स्व-निवास के लिए एक लाख रु० की अनुमत छूट को अनुज्ञात किये जाने के बाद) उसकी सम्पदा के मूल्य में शामिल किये जाने योग्य था। ऐसा न किये जाने के परिणाम-स्वरूप उसकी सम्पदा के मूल्य की कम संगणना हुई और फलस्वरूप 57,896 रु० का सम्पदा शुल्क कम लगा।

वित्त मंत्रालय ने बताया है कि नियंत्रक से अनुरोध किया जा रहा है कि आवश्यक उपचारी कार्यवाही की जाए।

(ii) एक पुरुष, जो फिलहाल, हिन्दू विधि के मिताक्षरु मत द्वारा नियंत्रित एक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का एकमात्र उत्तरजीवी सहदायिक है, सहदायिकी सम्पत्ति को उसी प्रकार से और उसी सीमा तक अन्य संक्रांत करने में सक्षम है जिस प्रकार वह अलग से अपनी सम्पत्ति को कर सकता है और कुटुम्ब के महिला सदस्यों द्वारा या किसी ऐसे पुत्र द्वारा यदि कोई हो, जो अन्य संक्रामण के पश्चात् पैदा हुआ हो या उस द्वारा दत्तक लिया गया हो, इस अन्य संक्रामण पर आपत्ति नहीं की जा सकती। ऐसे एकमात्र सहदायिक की मृत्यु पर, सहदायिकी सम्पत्ति सहित उसकी सम्पूर्ण सम्पत्ति उत्तराधिकार में उसके वारिसों को संक्रांत हो जाती है और इस प्रकार उसकी सम्पूर्ण सम्पदा पर सम्पदा शुल्क निर्धार्य है। विधि की इस सुस्थापित स्थिति को अक्टूबर 1959 में जारी किए गए बोर्ड के अनुदेशों संबंधी परिपत्र में भी निर्धारित किया गया था और जुलाई 1976 में इसे दोहराया गया था।

एक हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता (मृत) एकमात्र उत्तरजीवी सहदायिक था और कुटुम्ब में वह और उसकी पत्नी शामिल थे। पहली अगस्त 1974 को उसकी मृत्यु पर कुटुम्ब की सामान्य सम्पत्ति के मूल्य की संगणना मार्च 1979 में 4,53,732 रु० की गई थी और मई 1979 में संशोधित करके 4,44,732 रु० की गई थी। इस एकमात्र सहदायिक की मृत्यु पर सम्पदा के मूल मूल्य की संगणना बोर्ड के अनुदेशों की अवहेलना करते हुए कुल 4,44,732 रु० के मूल्य पर करने की बजाए इस मूल्य के आधे अर्थात् 2,22,366 रु० पर गलती से की गई। इस प्रकार सम्पदा के मूल मूल्य की की गई गलत संगणना के परिणाम-स्वरूप 42,347 रु० का सम्पदा शुल्क कम लगा।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है

(iii) एक मृत व्यक्ति, जिसकी 1 मार्च, 1975 को मृत्यु हुई, की सम्पदा के मूल मूल्य की संगणना में जीवन बीमा पालिसियों का मूल्य 2,83,920 रु० लिया गया जैसाकि भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दावा स्वीकार किया गया था। सम्पदा के सकल मूल्य में से इन पालिसियों पर मृत व्यक्ति द्वारा लिये गये कर्जों के रूप में 84,052 रु० की राशि घटा दी गई थी। लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाया गया (जनवरी

1980) कि पालिसी राशि से कर्जों के लिए कोई कटौती अनुज्ञात नहीं थी क्योंकि निगम द्वारा स्वीकृत दावा बकाया कर्जों के समायोजन के पश्चात् देय निवल राशि के लिए था। इस प्रकार 84,052 रु० की कटौती गलती से की गई जिसके परिणामस्वरूप 25,135 रु० का शुल्क कम लगा।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

(iv) दिसम्बर 1978 में एक मृत व्यक्ति की सम्पदा का मूल मूल्य 3,67,518 रु० अवधारित करने में 63,000 रु० की एक राशि शामिल किए जाने से रह गई जो उसके जीवन काल के दौरान उस द्वारा की गई मियादी जमा की द्योतक थी। इस चूक के परिणामस्वरूप 15,753 रु० का सम्पदा शुल्क कम लगा।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है।

(v) एक अन्य सम्पदा शुल्क मामले में 30 मार्च 1978 को उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा दाखिल किये गए सम्पदा शुल्क लेखे में दिखाई गई कुछ सम्पत्तियों का मूल्य निर्धारण में शामिल किये जाने से छूट गया जिसे 20 दिसम्बर, 1978 को पूरा किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप सम्पदा के मूल मूल्य की संगणना 52,400 रु० कम की गई जिसके परिणामस्वरूप 13,100 रु० का शुल्क कम लगा।

वित्त मंत्रालय ने चूक को स्वीकार कर लिया है।

4.33 व्याज का न लगाया जाना

सम्पदा शुल्क अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अधीन सम्पदा शुल्क के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मृत व्यक्ति की सम्पदा का लेखा उसकी मृत्यु की तिथि से छः महीनों के भीतर दाखिल करें। तथापि सम्पदा शुल्क नियंत्रक को अधिकार है कि

कुछ शर्तों के अधीन इस समयावधि को बढ़ाए जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त भी है कि 6 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज की अदायगी करनी होगी। इसके अतिरिक्त अचल सम्पत्ति के बारे में उत्तरदायी व्यक्ति की इच्छा पर सम्पदा शुल्क की किस्तों में अदायगी की जानी अनुज्ञात की जा सकती है जिसके लिए 4 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ब्याज या सम्पत्ति द्वारा अर्जित ब्याज, जो भी अधिक हो, की अदायगी करनी होगी।

एक मृत व्यक्ति के मामले में (मृत्यु की तारीख 1 जुलाई 1965) उत्तरदायी व्यक्ति ने सम्पदा के लेखे को दाखिल करने के लिये समयावधि बढ़ाने के लिए आवेदन पत्र दिया और 25 मार्च 1966 को लेखा प्रस्तुत किया। 20 जनवरी, 1969 को पूरे किये गए निर्धारण में बढ़ाई गई समयावधि के लिये 6 प्रतिशत वार्षिक की दर पर 62,022 रु० की राशि का ब्याज लगाया गया और उसे वसूल कर लिया गया। तथापि, नवम्बर 1972 में उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र दिये जाने पर इस ब्याज के लगाये जाने को इस आधार पर रद्द कर दिया गया कि लेखा दाखिल किये जाने के लिये बढ़ाई गई समयावधि संबंधी पत्र वास्तव में उत्तरदायी व्यक्ति को नहीं भेजा गया और ब्याज का लगाया जाना गलत था। इसके अतिरिक्त इस तकनीकी आधार पर ब्याज लगाये जाने को रद्द करते समय विभाग द्वारा, लेखे को देरी से दाखिल किये जाने के लिये शास्ति लगाए जाने पर, विचार नहीं किया गया।

इसी मामले में सम्पदा के मूल मूल्य का निर्धारण 76,92,724 रु० पर किया गया जिसमें 76,11,206 रु० के मूल्य की अचल सम्पत्तियां, शामिल थीं और 52,81,015 रु० के शुल्क की मांग भेजी गई जिसकी अदायगी 24 फरवरी 1969 तक की जानी थी। मार्च 1969 में उत्तरदायी व्यक्ति ने विभाग को प्रस्ताव भेजा जिसमें मुख्यतया अचल परिसंपत्तियों से संबंधित 17 लाख रु० की निर्विवाद मांग में से पांच-पांच लाख रु० की तीन किस्तों में प्रतिवर्ष मार्च में अदायगी करने की अनुमति मांगी जिसपर 6 प्रतिशत की वार्षिक दर पर ब्याज देय था। नियंत्रक ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तथापि सितम्बर, 1972 में उत्तरदायी व्यक्ति ने अचल सम्पत्तियों के व्ययन में आई कठिनाइयों

की दलील देकर विभाग से अनुरोध किया कि शुल्क की विलम्बित अदायगी के लिए 6 प्रतिशत वार्षिक दर पर देय व्याज की छूट दे दी जाए। इस पर विभाग ने व्याज को घटाकर 4 प्रतिशत वार्षिक निर्धारित निम्नतम दर से भी कम कर दिया और 1.5 प्रतिशत वार्षिक दर पर 1,13,810 रु० का व्याज प्रभारित किया। प्रभाय व्याज की सही राशि 6 प्रतिशत दर पर 5,32,410 रु० थी या 4 प्रतिशत वार्षिक न्यूनतम सांविधिक दर पर 3,54,940 रु० बनती थी।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनके उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 1980)।

4.3.4 अपीलीय आदेशों को लागू करने में गलतियां

(i) एक मृत स्त्री, जिसकी मृत्यु अगस्त 1967 में हुई थी, के सम्पदा शुल्क निर्धारण में न्यास के दो व्यवस्थानों में उसके हित का मूल्य उसकी सम्पदा के मूल मूल्य में शामिल किया गया। ऐसा करने में एक न्यास में एक जीवन पर्यन्त हित धारक की मृत्यु होने पर उद्भूत होने वाली सम्पदा-शुल्क देयता को छोड़ दिया गया। जनवरी 1972 में सम्पदा शुल्क के अपीलीय नियंत्रक ने मत व्यक्त किया कि इस न्यास में मृत का हित उसकी सम्पदा में शामिल किये जाने योग्य नहीं था। परिणामस्वरूप उपरोक्त सम्पदा शुल्क देयता मृत व्यक्ति की सम्पदा में शामिल किए जाने योग्य परिसम्पत्ति से संबंधित नहीं थी और कटौती के रूप में अनुज्ञेय नहीं थी। तथापि, इन अपीलीय आदेशों को जून 1972 में लागू करते समय इस सम्पदा शुल्क देयता को गलती से हिसाब में ले लिया गया। इस चूक के परिणामस्वरूप 2,53,144 रु० की सम्पदा का अवनिर्धारण हुआ और 1,26,572 रु० का सम्पदा शुल्क कम लगाया गया।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है और बताया है कि 1,28,958 रु० के शुल्क के लिए अतिरिक्त मांग कर दी गई है।

(ii) एक मृत व्यक्ति के मामले में, जिसकी मृत्यु 26 जनवरी, 1973 को हुई थी, कुछ अपीलिय आदेशों को लागू करते समय उसकी सम्पदा के मूल मूल्य में एक वार्षिकी जमा को 27,462 रु० कम करके शामिल किया गया और पारंपरिक वंशजों का 40,491 रु० का भाग दर प्रयोजनों के लिये जमा करने से छूट गया और शुल्क की मांगों की विलम्बित अदायगी पर ब्याज नहीं लगाया गया। इन चूकों के परिणाम-स्वरूप 45,504 रु० का शुल्क कम लगा। मार्च 1980 में लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने इन चूकों को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया।

लेखापरीक्षा पैरा वित्त मंत्रालय को सितम्बर 1980 में भेजा गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 1980)।

घ-ब्याज-कर

4.35 ब्याज-कर अधिनियम, 1974 के उपबन्धों के अधीन पूर्व वर्ष के प्रभार्य ब्याज की संगणना करने में ब्याज की उस राशि को हिसाब में नहीं लिया जायेगा जो निर्धारिती को अग्रस्त 1974 के पहले दिन से पूर्व प्रोद्भूत या उद्भूत हुई हो। तदनुसार एक निर्धारिती (एक राज्य सहकारी बैंक) के निर्धारण वर्ष 1976-77 के सुसंगत पूर्व वर्ष 1 जुलाई, 1974 से 30 जून, 1975 के लिए प्रभार्य ब्याज की संगणना जुलाई 1974 के महीने के लिए प्रोद्भूत या उद्भूत ब्याज को छोड़ कर की जानी थी। यह नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, अग्रस्त 1974 से जून 1975 के लिए प्रभार्य ब्याज की संगणना करते समय निर्धारण अधिकारी ने सकल प्रभार्य ब्याज (अधिनियम के अधीन सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज को छोड़कर) का परिकलन लाभ-हानि लेखे में दिखाई गई वर्ष के दौरान प्राप्त राशिओं के संदर्भ में 11 महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर किया। ऐसा करने में बैंक से प्राप्त ब्याज की आवृत्ति के लिए अन्यथा स्वीकार्य कटौतियां, इन कटौतियों को 11 महीनों के लिए आनुपातिक आधार पर सीमित किए बिना सम्पूर्ण वर्ष के लिए अनुज्ञात की गई। इन गलतियों के परिणामस्वरूप 18,37,410 रु० के प्रभार्य ब्याज और 1,28,619 रु० के ब्याज-कर का अवनिर्धारण हुआ।

वित्त मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया है और बताया है (दिसम्बर 1980) कि नए सिरे से निर्धारण किए जाने के लिये पहले निर्धारण को रद्द कर दिया गया है।

राम स्वरूप गुप्त

नई दिल्ली

(राम स्वरूप गुप्त)

दिनांक 23-2-81

निदेशक, प्राप्ति लेखापरीक्षा

प्रतिहस्ताक्षरित

ज्ञान प्रकाश

नई दिल्ली

(ज्ञान प्रकाश)

दिनांक 23-2-81

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

राष्ट्रीय अभिलेखागार पुस्तकालय

नई दिल्ली

National Archives Library

New Delhi

यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक इस पुस्तकालय को वापस कर दी जाए।

This book must be returned to the Library on the date stamped below.

119

प्राधानांक

(Call No.)

336.54

C 739

134195

प्राप्ति सं०

(Acq. No.)

लेखक

Author

भारत के नियंत्रक मंडल लेख

शीर्षक

Title

परिक्षक

प्रतिवेदन 1919-80

निकासी तिथि

Issued on

लेने वाले के हस्ताक्षर

Borrower's Signature

वापसी तिथि

Returned on